षष्ठम् माला, खंड 6, अंक 45 गुरुवार, 4 अगस्त, 1977/13 श्रावण, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. VI No. 45 Thursday, August 4, 1977/Sravana 13, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं / Vol. VI contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 45, गुरुवार, 4 अगस्त, 1977/13 श्रावण, 1899 (शक)

No. 45, *Thursday, August* 4, 1977/*Sravana* 13, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	2-13
तारांकित प्रश्न संख्या 773, 775, 777 और 780	Starred Questions Nos. 773, 775, 777 and 780	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 30	Short Notice Question No. 30	13-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	20-148
तारांकित प्रश्न संख्या 774, 776, 778, 779 और 781 से 793	Starred Questions Nos. 774, 776, 778, 779 and 781 to 793.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 6090 से 6289	Unstarred Questions Nos. 6090 to 6289.	
दिनांक 12-7-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3261 के उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting answers to USQ 3261, dated 12-7-77	148
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	144 व 150-152
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege	149-150
राज्य सभा से संदेश	Message from Raya Sabha	152-153

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign †marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—248 LSS/77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	153-157
दिल्ली में निरन्तर वर्षा के कारण मकानों के गिरने तथा कुछ व्यक्तियों की कथित मृत्यु	Incessant rains in Delhi and reported collapse of houses resulting in deaths of some persons	153-157
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	153-156
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	153-157
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	157-158
5 वां प्रतिवेदन	Fifth Report	157-158
नियम 377 के अधीन मामला—	Matters under rule 377—	158-159
(एक) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण दिल्ली में विद्युत संकट	(i) Power crisis in Delhi due to agitation by employees of DESU	158
(दो) रिहायशी क्षेत्रों में डाक्टरों के चिकित्सालयों और उपचर्चा-गृहों के चलाये जाने पर प्रतिबंध	(ii) Restrictions on running Doctors' Clinics and Nursing Homes in residential areas	158-159
(तीन) पंजाब तथा हरियाणा के अन्य केन्द्रों में खुले में पड़ी गेहूं।	(iii) Wheat lying in the open in Chandigarh and other centres of Punjab and Haryana	159
विदेश मंत्री की तंजानिया यात्रा के बारे में वक्तव्य—	Statement re. visit to Tanzania by Minister of External Affairs—	159-161
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	159-161
गृह मंत्री के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव—	Motion re. Conduct of Home Minister—	161-181
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	164-172
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	172-175
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	176-177
श्री राम जेटमलानी	Shri Ram Jethmalani	177-178
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	178-180
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	178-181
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion—	181-184
ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को काम पर लगाया जाना—	Engagement of workers through contractors—	181-184
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	181-182
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	183-184

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 4 अगस्त, 1977/13 श्रावण 1899 (शक)
Thursday, August 4, 1977/Sravana 13, 1899(Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को दो भतपूर्व सहयोगियों श्री मूलदास भूधरदास वैश्य और बख्शी अब्दुरशीद के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री मूलदास भूधरदास वैश्य अस्थायी संसद तथा वर्ष 1951-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे। 1962-67 के दौरान भी वह तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और गुजरात के साबरमती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पहले 1925-28 तक वह बड़ौदा राज्य विधान सभा के भी सदस्य रहे।

श्री वैश्य एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा श्रमिक नेता थे और देश के अनेक सामाजिक एवं श्रमिक संगठनों से सम्बद्ध थे। वह दलितों के हितों की रक्षा में सर्वथा प्रथम रहे और हरिजन उत्थान सम्बन्धी अनेक संगठनों के वह सदस्य थे। गुजरात में "डिप्रेस्ड क्लासिस लीग" के भी वह उप-सभापति रहे। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न संगठनों से भी उनका सम्बन्ध था। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजी शासन के दौरान वह जेल भी गये। अहमदाबाद में 81 वर्ष की आयु में 1 अगस्त, 1977 को उनका निधन हो गया।

बख्शी अब्दूरशीद 1957-67 के दौरान दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने जम्मू और काश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 1951-56 के वर्षों में वह जम्मू और काश्मीर राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। वह बड़े हंसमुख व्यक्ति थे और सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे। श्रीनगर में 54 वर्ष की आयु में 2 अगस्त, 1977 को उनका निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने में सभा मेरे साथ है।

अब सभा अपना दुःख प्रकट करने के लिए थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी हो।

तब सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

New Programmes of Mineral Development and Exploitation of Natural Resources

*773. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether in view of present economic condition, Government have directed State Governments, to defer execution of all new programmes of mineral development and exploitation of natural resources; and

(b) if so, schemes and programmes in Madhya Pradesh and Rajasthan proposed to be so deferred during the Fifth Five Year Plan period?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजु पटनायक) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

Shri S. S. Somani: Sir, it is well known that mineral development and utilisation of natural resources is the base for the economic development of the country. We are fortunate that India is rich in all such resources. Nature has bestowed its gifts in plenty to this country. We have the Himalayas, rivers, deep seas, all types of climate and large areas of land. So we can make enough progress by utilising these things.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

Shri S. S. Somani: I want to know whether archaeological survey has been conducted in Madhya Pradesh and Rajasthan and if so, the results thereof ? What is the rough estimate in regard to the quantity of various minerals as also their names and what is the estimated amount likely to be spent on all these schemes?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता । यदि आप के पास जानकारी है तो उत्तर दे दीजिये ।

श्री बीजू पटनायक : महोदय, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से धातुओं के लिए निम्नलिखित स्थानों पर खुदाई किये जाने का प्रस्ताव है :

धात्विक खनिज—

सोना	रायगढ़ और रायपुर जिले
मैंगनीज	बालघाट जिला
आधार धातु . . .	जबलपुर जिला

औद्योगिक खनिज—

बाक्साइट . . .	बंडरापट पठार
केलसाइट तथा राक फास्फेट	झाबुआ जिला
पाइरोफिलाइट तथा डायास्पोर	टीकम जिले
कोयला	सरगुजा और शहडोल जिले

1977-78 की वार्षिक योजना में यू०एन० डी० पी० की सहायता से सर्वेक्षण का उपबंध भी है। यह एक नई योजना है जिसे मध्य प्रदेश में राज्य द्वारा 1977-78 में आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

Shri S. S. Somani: Will the hon. Minister call an informal meeting of Members of Parliament from Rajasthan and Madhya Pradesh in order to discuss in detail the programmes for early development of minerals & natural resources and to mobilise resources for this purpose?

Will Government discuss this matter with institutions like the World Bank to implement these schemes & programmes as has been done in the case of Rajasthan Canal?

Shri Biju Patnaik: All such meetings have been arranged, matter has been discussed and the action is being initiated.

Shri Bharat Singh Chowhan: Some time back an archaeological survey committee was constituted for the development of minerals in Madhya Pradesh which had reported large deposits of Copper requiring many years for exploitation. Will the Hon'ble Minister see that this work is undertaken on a war footing in order to overcome the shortage of copper?

Shri Biju Patnaik: We are undertaking the work as speedily as possible.

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमे खुशी है कि किसी नये कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या सुपर फास्फेट प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में डोलोमाइट खानों की खुदाई के लिए मंत्रालय का कोई प्रस्ताव है? खनिजों की खुदाई तो एक सामान्य विषय है। इन खनिजों की, जिनकी सप्लाई कम है, खुदाई के लिए क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सहायता करेगी?

श्री बीजू पटनायक: राज्य सरकार न केवल वहां बल्कि उत्तर बंगाल में भी डोलोमाइट सम्बन्धी खुदाई का कार्य कर रही है। केन्द्रीय सरकार को कलई बनाने के संयंत्रों के लिए उच्च कोटि के डोलोमाइट की जरूरत है और सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण को निर्देश दिये हैं कि बंगाल में उचित तथा बढ़िया किस्म के खनिजों की खुदाई के लिए वह पश्चिम बंगाल के राज्य खनिज निगम के साथ पूर्ण सहयोग करे।

श्री जगन्नाथ राव: 1952 के खनिज अधिनियम के अधीन खनिजों को मुख्य और गौण दो श्रेणियों में बांटा गया है। क्या सरकार राज्य सरकारों को राज्यों में मुख्य खनिजों की खुदाई के लिए अनुमति देगी?

श्री बीजू पटनायक : राज्य सरकारें पहले से ही अपने नियंत्रण में राज्य खनिज विकास नियमों के अधीन यह काम कर रही है। देशभर में एस 20 राज्य खनिज विकास निगम है। उड़ीसा में मुख्य अयस्कों के रूप में लोह अयस्क तथा कोयले का विकास किया जा रहा है।

Shri Tej Pratap Singh : May I know whether any survey has been conducted in Bundelkhand areas of Hamirpur, Banda, Jhansi and Jalore districts? These are backward areas and so far no action has been taken in this regard and whether he proposes to undertake this work in future?

श्री बीजू पटनायक : मैं इसका उत्तर नहीं क्योंकी प्रश्न ही समझ में नहीं आया है। वैसे सदस्य जो चाहते है मैं उस बारे में अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री तेज प्रतापसिंह : उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में पुरा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। क्या भविष्य में उस क्षेत्र के खनिज संसाधनों के विकास के लिए कोई कायक्रम मत्री जी बनायेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : यदि वहां खनिज निक्षेप होने के संकेत है तो मेरे नियंत्रणाधीन भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण वहां अवश्य कार्य करेगा।

Telegraph and Telephone facilities in villages of M.P. having population of more than 5 thousand

***775. Shri C. Laxmi Narayan Nayak :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of those villages in Madhya Pradesh which have a population of more than 5 thousand and do not have telegraph and telephone facilities; and

(b) the efforts being made to ensure an early provision of telegraph and telephone facilities in villages having a population of more than 5 thousand?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) & (b) : The number of villages in Madhya Pradesh having a population of more than 5,000 but not having telegraph and telephone facilities is 13. Telegraph and telephone facilities have been sanctioned for 8 of these 13 places. The cases for the remaining 5 places are under examination.

Shri Laxmi Narayan Nayak : He has mentioned in the reply that sanction has been given for eight places and the cases for 5 places are under examination. May I know the names of these places.

May I also know the names of places which have P. C. O's and those which have Telephone Exchanges?

Shri Brij Lal Verma : At present I have no information but if a notice is given I shall certainly tell these names.

Shri Laxmi Narayan Nayak : The hon. Minister should have come prepared. These were only 13 names.

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। मंत्री जी को नाम बताने चाहिये। केवल 13 ही नाम हैं।

Shri Laxmi Naravan Nayak : Secondly, I want to know the number of P.C.Os and Exchanges.

Shri Brij Lal Verma : There are 467 public call offices and 350 exchanges in Madhya Pradesh.

Shri Laxmi Narayan Nayak : Whether the Government have any proposal for providing telegraph & telephone facilities in villages with more than one-thousand population?

Shri Brij Lal Verma : This proposal is not under the scheme. At present this facility is available in villages having a population from five thousand to ten thousand persons.

Shrimati Chandravati : Sir, when there is no message system what is the use of having P. C. Os.?

Shri Brij Lal Verma : At some places there is messenger system and some places do not have this facility. Sir, I have received the list of those 13 names with your permission may I tell the House. . . .

अध्यक्ष महोदय : आपको देर हो गई है। कृपया उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

Shrimati Chandrawati : I want to know whether there are messengers in P.C.Os and if not, whether messengers will be appointed there?

Shri Brij Lal Verma : We will try to appoint messengers wherever needed.

श्री एल० के० डोले : क्या सरकार को पता है कि आसाम के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा साथ के राज्यों के अन्य क्षेत्रों में, जहां 50,000 से अधिक जनसंख्या है, तार और टेलीफोन की सुविधाएं नहीं है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी और उन क्षेत्रों को इन सुविधाओं के बारे में प्राथमिकता देगी जिन्हें इन तमाम वर्षों में इस सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है।

Shri Brij Lal Verma : Mr. speaker we are trying to provide such facilities at those places where there are no such facilities. We are going to extend such facilities at about 2 thousand places this year. We will set up P. C. Os. at 2 thousand places. Special attention will be paid towards North-Eastern region.

Shri Sheo Narain : Firstly I want to know the names of those 13 places and Secondly I want to know by what time telephone connections would be given to those people in Delhi who have already deposited five thousand rupees each with you.

Shri Brij Lal Verma : The names of 13 villages where telegraph and P. C. Os. are to be set-up are as below :—

Kuknar, Ghulkot, Kaniwar, Upanwara, Ghana, Lighora, Prithavipur, Sarani, Badekilepal, Baturia, Mau, Khodiyar ghar and Galitha. We are going to open telegraph office and P. C. Os. at these places.

Shri Ram Awadhesh Singh : I want a clarification from the Hon. Minister whether there are 5,75,000 villages in India. What is the number of those villages out of the total villages, whose population is more than 5,000, I want to know whether there is any scheme to provide telephone facility in such villages and if so, the time by which telephone facilities will be provided there?

Shri Brij Lal Verma : Mr. Speaker, we are formulating a scheme under which telephone facility will be provided in those villages within two years where the population is more than five thousand and particularly in those areas which are backward.

Shri Ram Awadhesh Singh : Mr. speaker, I wanted to know the number of such villages whose population is more than five thousand.

Shri Brij Lal Verma : Mr. Speaker at present I do not have information about it, but I would like to assure you that we will provide such facilities even in those hilly areas having population less than 5,000. We will provide such facilities in those villages where the population is about 2,500.

Shri Bharat Bhushan : There is no village in hills which has a population of 2,500.

Mr. Speaker : No. No.

श्री के० ए० राजन : चाहे गांव हो अथवा शहर, सार्वजनिक टेलीफोन कालों पर अधिक पैसा लिया जाता है । प्रायः वे ही लोग सार्वजनिक काल का प्रयोग करते हैं जिनके पास टेलीफोन नहीं होता । ऐसी कालों के लिए उनसे अधिक पैसा क्यों लिया जाता है ? क्या मंत्री जी कालों की दर कम करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि इससे जनसाधारण को लाभ हो सके ?

Shri Brij Lal Verma : We are ready to open P. C. Os. in the cities wherever necessary, but the rate of 50 paise per call will remain same.

Shri Ram Kanwar Berwa : There are several villages in Jaipur area of Rajasthan having population more than 5 thousand. But I want to know on how many persons' request you to set up telephone exchange and what is your all India policy in this regard?

Shri Brij Lal Verma : Mr. Speaker, this question is about Madhya Pradesh, but about Rajasthan I can say that we will try to provide telephone facility within two years in the villages having a population of more than 5 thousand.

डाक तथा तार विभाग को हुई हानि

*777. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में डाक तथा तार विभाग को कितनी हानी हुई;

(ख) हानि के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार ने उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग और टेलीफोन विभाग की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिये कोई समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों में डाक-तार विभाग को सिर्फ वर्ष 1975-76 के दौरान ही घाटा हुआ था । घाटे की रकम 4.11 करोड़ रुपये थी। यह घाटा मुख्य रूप से इस कारण हुआ था कि उस वर्ष विभाग ने महंगाई भत्ते की पांच अतिरिक्त किस्तों (जो की 30 करोड़ रुपये की थी) की अदायगी की थी।

(ग) जी नहीं। तथापि डाक-तार विभाग शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न का लगातार पुनरीक्षण करता रहता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, just now the Hon. Minister has said that they are increasing telephone facilities but while doing so, the telephone service is deteriorating and in Delhi for 15 days together telephones are not set right. If you ring up 197, 198, 199 no response comes for three minutes. Thus there is such type of criminal negligence in Telephone Department. Therefore I want to tell the Minister to improve the telephone service in Delhi. I want to know how much time will be taken to complete the Delhi list and what steps are being taken in this regard?

Shri Brij Lal Verma : Mr. Speaker, we are trying our best to remove faults in telephone system. Our first step is to remove faults by pressurisation system and putting gas on cables. The second way is by using jelly fill. Thirdly our instruments are also defective. There are two systems. First is Cross Bar system and second is strouser system. Strouser system is very old and there are less defects in it, but Cross Bar system is more faulty. It is our effort to remove faults as much as we can. The Cross Bar system Exchange which is at Jor Bagh was imported from Belgium and this has maximum defects. It was imported in 1964. But the Cross Bar system exchange which was imported from Sweden is better one. It is installed at Idgah. In order to remove all these defects improved instruments will be manufactured and if necessary some instruments will be imported. These are very old faults.

So far as second question is concerned, there are 40,000 names in the waiting list in Delhi and we intend to give telephone connections to all these people within a period of two years.

So far as delay in getting response at 197 (enquiry) is concerned, steps have been taken to remove this defect also. The staff has been doubled and the Telephone Directory is also being improved.

Shri Kanwar Lal Gupta : I am thankful to the Hon. Minister that he has assured us to complete the waiting list of Delhi within two years. I hope he will be strict towards his Administration, because for two minutes they do not pick up the receiver.

At present Dak is not regularly delivered in villages. I want to know whether there is any scheme under which Dak will be delivered daily in villages?

Shri Brij Lal Verma : Mr. Speaker, at present only in 5½ lakhs villages Dak is distributed daily. We are trying to open 3100 new post offices. In 50,000 villages mobile post offices will be opened. In this way Post Office facilities will be extended in about 1½ lakh villages. In this way we are going to make so much facilities available within one year which the previous Government could not make during 10 years period.

Shri Sukhdev Prasad Verma : The Minister has said that the telephone instruments have become old. I want to know by what time these instruments will be replaced and what action has been taken in this regard ?

He pointed out that they are opening post offices and sub-post offices at large scale to avoid inconvenience. What is their policy in this regard and what criterion they have laid for opening new post offices in villages ?

Shri Brij Lal Verma : We are trying to extend postal facilities in all the villages. But so far as the criterion for opening Post office is concerned, we have to see if we get 25 per cent of the total cost from these we open post office there. In backward areas we must get 15 percent and in hilly areas 10 percent of the total cost.

Shri Sukhdev Prasad Verma : What action is being taken to replace defective instruments ?

Shri Brij Lal Verma : All the defects in telephone system will be removed within two years. The whole system is being revised in such a way that new alternative instruments could be replaced and this difficulty may be removed.

श्री द्वारकादास पटेल : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं की क्या यह सही है कि विभाग द्वारा टेलीफोन कनेक्शन की स्वीकृति दिए जाने के बाद और ग्राहक द्वारा धन-राशि जमा कर देने के बाद भी दो से पांच वर्षों तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जाते ? विभाग ग्राहकों से भेंट स्वरुप कुछ लेकर ही कनेक्शन देते हैं। क्या मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और विभाग द्वारा धनराशि प्राप्त कर लेने के बाद कनेक्शन देने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री बृजलाल वर्मा : देश में टेलीफोनों की जो भी मांग हो, उसे दो वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether it is a fact that the machines in telephone exchanges in metropolition cities like Delhi, Bombay, Calcutta, Kanpur, Ahmedabad, Madras and in the capital of each State and other big cities are not working properly? The machines which had been imported were old and in this way the previous Government indulged in corruption, bungling and cheating. I want to know whether an enquiry will be conducted in this regard so that the facts may come out?

Shri Brij Lal Verma : I will conduct enquiry in these affairs.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : एस० टी० डी० के मीटर के बारे में समूचे देश से शिकायतें आ रही हैं कि जब काल समाप्त कर दी जाती है तो भी मीटर चलता रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

दुसरे, मैं जानना चाहती हूं कि टेलीफोनों की टैपिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूं कि हाल के महीनों से टैपिंग अधिक हो रही है। जब कभी टैपर चाय नाश्ता या मध्यान्ह भोजन अथवा रात्रि भोजन के लिए जाते हैं तो हम टेलीफोन नहीं कर सकते। अतः मैं जानना चाहती हूं कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्री सौगत राय : विशेषकर महिलाओं को ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : इस नौजवान को कुछ अधिक सुसंस्कृत, विकसित होना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।

Shri Brij Lal Verma : The complaints about telephones are mainly due to faults in cabins and machines. I have already said that these defects are being removed. The previous Government installed defective machines that is why these complaints are being made... (*interruption*) so far as tapping is concerned, now our department has stopped tapping. During the rule of previous Government there was tapping. Now we have instructed our department that there should be no tapping.

Shri Zulfiqusarulla : There are villages in backward districts of U.P. like Sultanpur, Hamirpur, Fatehpur etc. where the population is more than one thousand and there are no post offices. I want to know whether the Hon. Minister has conducted any survey about these villages and by what time post office will be opened there?

Shri Brij Lal Verma : We will try to open post offices there.

Dr. Sushila Nayar : One of the main reason for loss on telephones is that the linemen give wrong connection and one's call is connected with others connection. In this way the man who does not make any call receives a Bill of considerable amount. When he says how this bill has come to me, they say that perhaps you made S. P. D. calls. Therefor, I want to know from the Minister whether he will take any action against such linemen and other employees who commit such mistakes.

Shri Brij Lal Verma : If we receive any such complaint, we will certainly look into that and punish the employees found responsible for this.

Shri Dhanna Singh Gulshan : I want to know from the Hon. Minister whether there is any system to link District Headquarters with the capital through direct dial system ?

Shri Brij Lal Verma : We are making efforts to connect the capital of one state with the capital of other state Besides this big Headquarters, big cities and thickly populated areas will also be connected with each other through telephones. This work will be completed within two years.

Shri Chaturbhuj : I want to know the qualifications of the Director of P. and T. and when he was promoted? He is responsible for all this corruption and malpractice.

Shri Brij Lal Verma : The question of qualifications does not arise out of this.

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह उन सभी आदिवासी गांवों में, जिनकी जनसंख्या 2500 से अधिक है, टेलीफोन के कनेक्शन देने जा रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसकी जनसंख्या 2500 से अधिक हो। इसका यह अर्थ हुआ कि आप किसी आदिवासी गांव में टेलीफोन कनेक्शन देना नहीं चाहते। मेरा उनसे यह अनुरोध है कि यदि आप यहां टेलीफोन कनेक्शन देना चाहते है तो इस संख्या को घटाकर 500 कर दी जाये। मैं यह जानना चाहता हूं की क्या 500 या इससे कम जनसंख्या वाले आदिवासी गांवों में टेलीफोन कनेक्शन दिए जायेंगे। यदि वह केवल 2500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में ही टेलीफोन कनेक्शन देना चाहते हैं तो किसी गांव में भी टलीफोन नहीं लग पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में पहले ही कह दिया है कि वह 500 व्यक्ति की जनसंख्या वाले गांवों में भी टेलीफोन कनेक्शन देंगे।

Shri Ravindra Pratap Singh : During the last elections telephone connections were given to Sultanpur and Amethi villages. But now this connection is not working properly. I want to know whether arrangements will be made to set this connection right ?

Shri Brij Lal Verma : I would look into this. If any defect is found it will be set right.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 778 पर चर्चा होगी ।

श्री सौगत राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री एस० एस० सोमानी जी के नाम में दो तारांकित प्रश्न हैं। क्या नियमों के अधीन यह अनुज्ञेय है ?

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ही दिन दो प्रश्न नहीं होने चाहिए।

श्री सोमानी : . . . वह चले गये हैं और अब समस्या का समाधान हो गया है।

डा० कर्ण सिंह : यदि बेलट में आ जाते हैं तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न से अधिक नहीं; ऐसा नियम है।

युगांडा से निष्कासित भारतीयों के दावों का निपटारा

*780. **श्री तरुण गोगोई :**
श्री वयालार रवि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा से निष्कासित भारतीयों के सभी दावों का निपटारा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इससे युगांडा के साथ हमारे संबंधों को सुधारने में कहां तक सहायता मिली है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार ने उगांडा सरकार के समक्ष केवल भारतीय राष्ट्रिकों के दावे ही प्रस्तुत किये थे। कम्पाला स्थित भारत के हायकमीशन द्वारा उगांडा सरकार को दाखिल किये गए 1535 दावों में से 1,038 दावे प्रमाणित हो सके थे और उन्हीं पर मुआवजे के लिए विचार किया गया था। उगांडा सरकार ने 628 दावों के एवज में 1,44,88,729.35 रुपये का मुआवजा दिया था। कुछ मदों को सामान्य राजनयिक सारणियों या स्थापित पद्धतियों के माध्यम से निपटाया जाना था। 468 दावों की पूरी अदायगी वितरित की जा चुकी है। अन्य स्वीकृत दावों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) उगांडा सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों को मुआवजे की इस अदायगी से भारत-उगांडा संबंधों की एक बड़ी समस्या हल हो गई है।

श्री तरुण गोगोई : दावों की पूर्ण अदायगी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों को धन राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभी दावों पर मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जानी है। कार्यवाही तेजी से करने के लिए हमने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। मुझे आशा है सभी दावेदारों को शीघ्र ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जायगा।

श्री तरुण गोगोई : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या नई सरकार युगांडा से सम्बन्ध सुधारने की दिशा में कुछ नये कदम उठा रही है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : युगांडा से सम्बन्ध सुधारने की दिशा में पहले ही कुछ कदम उठाये जा चुके हैं तथा अन्य कुछ विचाराधीन हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या भारत मूलक अनेक भारतीय तथा कुछ ब्रिटिश राष्ट्रीयता प्राप्त भारतीय युगांडा से भारत आ गये हैं और इन में से अनेक गुजरात में बस गये हैं। और क्या मंत्री महोदय को यह भी पता है कि इन में से कुछ भारत मूलक और ब्रिटिश पारपत्र-धारी लोगों के अभी तक दावे नहीं निपटाये गये है। क्या युगांडा और भारत की सरकारों के बीच इसी कारणवश सम्बन्ध सामान्य नहीं हैं।

अन्त में, प्रश्न के भाग (ग) के सम्बध में मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत और युगांडा के सम्बन्धों में सुधार हुआ है। लेकिन मेरा प्रश्न विशेषत: यह है : क्या इसके अलावा, क्योंकि उनका कहना है कि युगांडा और भारत के बीच सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है, यह सच नहीं है कि लन्दन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में श्री ईदी अमीन उपस्थित नहीं थे जिससे भारत और युगांडा के बीच ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र मण्डलीय देशों में सम्बन्धों के बारे में अत्यन्त कठिनाइयां पैदा हुई है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे यह पता है कि युगांडा से आये भारत मूलक अनेक लोग गुजरात में बस गये है। मुझे यह भी पता है कि भारतीय लोगों द्वारा किए गए कुछ दावों का अभी तक निपटान नहीं हुआ है।

जहां तक ब्रिटिश राष्ट्रिकों अथवा ब्रिटिश पास पोर्ट धारी भारतीयों के दावों का प्रश्न है, भारत सरकार ने ऐसे दावे ब्रिटिश उच्चायुक्त के पास भेज दिए हैं और इस मामले की जांच करने की ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है।

जहां तक युगांडा के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रश्न है मैंने संकेत दे दिया है कि इस बारे में पिछली सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये गये थे और कुछ नये कदम अब उठाये जा रहे हैं।

सदन को यह पता है कि राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के परिसमापन पर जारी हुई संयुक्त विज्ञप्ति में युगांडा में मानव अधिकारों के उल्लंघन का उल्लेख हुआ है और भारत इस संयुक्त विज्ञप्ति का पक्षदार है।

श्री डी० डी० देसाई : अधिकांश युगांडा वासी मेरे जिले से है..... (व्यवधान)। अधिकांश लोगों के पास, जिन्हें वहां से निकाला गया है, कपड़े भी नहीं थे। क्या मंत्रालय ने, यह पता लगाया है कि भारतीयों ने युगांडा में कितना धन छोड़ा होगा, और यदि हां तो यह राशि कितनी है और किसने यह समझौता किया है जिससे ईदी अमीन का मान बढ़ा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पिछली सरकार द्वारा समझौता किया गया था लेकिन सब मिलाकर यह समझौता सन्तोषजनक रहा है। इस प्रश्न पर मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा लेकिन हमें कुछ राशि लेने में सफलता मिली है तथा और अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री विनोदभाई बो० शेठ : क्या मंत्री महोदय को पता है कि हमारी सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और वे उन देशों में बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना कर रहे है? भारतीयों ने वहां अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.....

अध्यक्ष महोदय : युगांडा में भारतीयों के बारे में प्रश्न है।

श्री विनोदभाई बो० शेठ : .....और भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। क्या भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भूमिका निभाई है और क्या सरकार भारतीयों द्वारा छोड़ी गई अधिक से अधिक सम्पत्ति वापस लेने का प्रयास करेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार को पता है कि भारतीय विदेशों में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय लोगों ने अपनी इच्छा से ही वहां जाना श्रेयस्कर समझा था। यदि वे वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।

Shri Hukmdeo Narain Yadav: Sir, all the Governments of the world unanimously support the existance of Human rights. I want to know from the Government whether the question of violation of human rights would be taken up with the United Nations and Common Wealth ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, so far as raising the question of human rights is concerned; India is a party to it. We have signed the charter of human rights. Whenever the question regarding violation of human rights is raised in the International Conferences, India expresses her views fearlessly. Whatever we have said about Uganda in the London is a proof of this.

श्री पो० के० कोडियन : भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा कितना राशि के मुआवज़े का दावा किया गया था और उन दावों का निपटारा करने के लिए क्या मापदण्ड है? क्या भारत सरकार मुआवजे के लिए दिए गए आवेदन पत्रों की जांच करती है और फिर राशि क निर्णय कर युगांडा की सरकार के पास भेज देती है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या युगांडा में अब भी कोई भारतीय राष्ट्रिक रहता है? यदि हां, तो उनकी क्या स्थिति है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : युगांडा के साथ वार्ता के दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने कुल 1747 दावे पेश किये थे। यह कार्यवाही उन दाव दारों की ओर से की गई थी जिनके दावे युगांडा मूल्यांकन समिति के पास पड़े थे। इन दावों में से 1535 दावों की जांच हो चुकी थी। मुझे खेद है, मुझे भारत सरकार द्वारा किए गए दावे की वास्तविक राशि का पता नहीं है।

कुछ भारतीय राष्ट्रिक अब भी युगांडा में रहते हैं। हमें ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह पता चले कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के रिपोर्टर की मृत्यु

30. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बदब्रत बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 15 जुलाई, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की जानकारी है कि नई दिल्ली में विलिंगडन अस्पताल के प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण नेशनल हेराल्ड के रिपोर्टर राजीव नन्द्र जोग की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उसके पिता, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पृथ्वीराज, ने भी प्राधिकारियों द्वारा अपर्याप्त चिकित्सा दिये जाने की बात की पुष्टि की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लापरवाह डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और भविष्य में ऐसी दुःखद घटना न होने देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. He informed me to this effect.

(c) A preliminary inquiry was conducted in this case. Since, however, that has left some questions unanswered, I intend to order a detailed inquiry.

Shri Kanwar Lal Gupta: It is an example of the mismanagement and criminal neglect prevalent in Willingdon Hospital. There have been many more cases like this. In this very case operation was performed at 6.00 O'clock in the morning whereas the patient was admitted at 11.55 in the night in a serious condition. The operation was performed by the Junior doctors. The Senior doctors left after seeing the patient without doing anything. Moreover the table of the required length was not available in the hospital. He was the son of Justice Prithvi Raj, a Judge of High Court. He was asked by the doctors at 8 O'clock in the morning to bring the table of that particular size. They also gave wrong specification of the blood required. There was no doctor or nurse with the patient after the operation and when he died. The driver of the emergency van was also not available for 35 minutes. Despite his serious condition he was taken to X-ray department for taking X-ray. It appears, there is no moving X-ray machine in the hospital. I want to know from the Hon. Minister whether taking all these factors in view the enquiry would be conducted by a doctor who is not an employee of this Hospital in consultation with the father of the deceased ?

The condition of the emergency ward is also pitiable. There is no proper arrangement of telephone. It is always out of order. There must be a senior doctor in the emergency ward. Will you depute a senior doctor in the emergency ward and ensure proper functioning of telephone ?

Shri Raj Narain : I also share the feelings of the Hon. Member. I, on behalf of the House, the hon. Members offer my homage to the child and convey condolences to the family of the bereaved.

The earlier enquiry was not conducted by the doctors working in this hospital. It was conducted by Air Commodore, Dr. Dharm Raj.

The report submitted by Dr. Dharam Raj is here with me and I am not satisfied with it. They have clearly stated in this report that they had tried their best to save the patient and that there was no negligence of duty. But when we called for Mr. Justice he had a paper in which the doctor of the hospital had written to bring tube No. 34. If the doctor required tube No. 34 he should have stated earlier. Why did he require that tube at 8 O'clock ? Similarly the requirement of blood should also have been stated earlier. Thirdly, I was told on phone the required blood was not available. But I came to know later on that the group of the blood of the deceased was the same as that of his younger brother and mother was. Both of them were present there. Blood could have been transfused provided there was provision. These are the facts before us. Then Mr. Justice himself came to me yesterday and he has sent a long letter today in which he has disclosed such facts as require probe by an expert. Therefore I am not satisfied with the report submitted by Dr. Dharam Raj, who had conducted enquiry into this sad episode. Now I shall get this enquired thoroughly.

श्री अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि क्या आप अस्पताल के आपतकालीन विभाग में सदैव विशेषज्ञ डाक्टर की नियुक्ति करेंगे और वहां टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे ।

Shri Raj Narain : I have very carefully listened what Shri Kanwar Lal Gupta has said. This is not the only complaint. Many more hon. Members have complained about this also. I take it very seriously and take it for granted that very serious cases are brought to emergency ward. Appointment of expert and efficient doctors in emergency is essential, I do admit this. I shall call Superintendent of the hospital and Secretary in my room afterwards for consultations in the matter. I shall take up this matter in its seriousness and improve the working of the hospital with a strong hand. Nobody will be spared.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker you will recall when Dr. Ram Manohar Lohia was admitted in the hospital the same complaint was there. He was killed and on the other hand there has been criminal negligence on the part of doctors. This has not been enquired into. Criminal negligence has definitely been committed.

I would like to make another sensational disclosure. When Shri Jagjivan Ram fell sick after resigning from the Congress the intelligence personnel and the Prime Minister's secretariat tried to find out which doctor was attending him and then that doctor was approached and was told to declare Babu Jagjivan Ram a heart patient but the doctor said if he was not a heart patient, how could be declare him so and then he was asked to replace the E.C.G. report. The intelligence personnel also persuaded the doctor that he should advise Shri Jagjivan Ram to get admitted to Willingdon Hospital but the doctor said that if he was a heart patient he could go to any hospital of his choice. I am not going to force him to get admitted to Willingdon Hospital.

एक विशिष्ट डाक्टर के नाम का उल्लेख किया गया है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि उस अस्पताल में ऐसे डाक्टर है जिनके द्वारा भूतपूर्व सरकार चाहती तो अपने राजनीतिक विरोधियों का खात्मा करवा सकती थी। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यदि श्री चव्हाण और श्री राजनारायण चाहें तो मैं उन डाक्टरों को आपके सामने पेश कर सकता हूं। यह बात मैं खुले आम कह रहा हूं।

It is a very serious matter. The Members of Parliament and the Ministers go to Willingdon Hospital for their treatment and if such doctors are there who work according to the whims and fancies of the Government then there will be no safety of life. Therefore action should be taken against them.

I also want to know from the hon. Minister whether an inquiry will be instituted in this regard and whether this case will be referred to Home Ministry so that they could take action accordingly. I am prepared to tell the name of that doctor.

Shri Raj Narayan: The Hon. Member deserves congratulations for this disclosure. I would like to inform him that a committee of two doctors has already been appointed to go into the causes of death of Dr. Lohia, Dr. Bhatt and Dr. Gangwal have been entrusted with this work. They will start their work from tomorrow. In fact these doctors were appointed a month back but they were busy in disposing of their work.

As regards the matter relating to Shri Jagjivan Ram, I have also learnt about it from different sources that the then ruling party tried its utmost to stop him from going on election tours. They wanted to declare him unfit by all means. That is why they persuaded the doctor to declare him a heart patient and advise him to get admitted to Willingdon Hospital.

Since this question has been raised by a senior and responsible member, I may tell him that I am looking into the matter. I want to take statements of those doctors who were asked to give adverse reports about Shri Jagjivan Ram's health. We have not been able to contact some of those doctors.

Shri Ugrasen: Call Dr. D. N. Sharma.

Shri Raj Narayan: There is no point in calling Dr. D. N. Sharma or Dr. R. S. Tiwari or Dr. Udappa who is not concerned with it. We will have to collect information from the concerned doctors whether these reports are correct or not but we have also to ensure that these doctors are not harmed in any way for speaking the truth.

The hon. Member has demanded to refer this case to the Home Ministry. When Dr. Bhatt and Dr. Gangwal will submit their report on Dr. Lohia's death the truth will come out and if a probe is felt necessary we will ask the Home Ministry to institute an enquiry through C.B.I. and if everything is above board then there is no point in going ahead. As regards the matter relating to the death of Judge's son aside from the present information we are taking the opinion of experts of Bombay, Varanasi and Allahabad.

Shri M. Ram Gopal Reddy: Take the opinion of the experts of Andhra Pradesh also.

Shri Raj Narain: If the hon. member has got any expert in view he should tell us his name. We will definitely take his opinion. We do not want to hide anything because Janta party is of the people and for the people.

Shri H. V. Kamath: I am sure the hon. Minister must be fully aware of the conditions prevailing in this important hospital of the capital. Ten years back Dr. Lohia died in this hospital. At that time the hon. Minister and I were in opposition. We demanded a probe but the then Government did not accede to our demand. But today after hearing the statement of the hon. Minister I feel satisfied.

The hon. Minister knows it well that for the last 10 years there has not been much progress in the work of this Hospital. Many complaints have been lodged in this regard and have been published in papers also. But no enquiry has been made in this regard. I want to know whether this committee will also look into these complaints or whether a separate committee will be appointed for it.

It will not be improper to say that the living conditions and working conditions of nursing staff and lower staff are not at all satisfactory. May I know whether any action will be taken to improve their lot.

Shri Raj Narayan: This committee of Dr. Gangwal and Dr. Bhatt will only go into the causes of death of Dr. Ram Manohar Lohia. I fully agree with the hon. Member that ten years back he had demanded for a probe in this matter. The then Deputy Health Minister in reply to our questions agreed to it but afterward he changed his mind and rejected our demand. I am also equally anxious when Dr. Ram Manohar Lohia was operated upon at that time I was in Kabul. Dr. Lohia had himself sent me there. I took a special message from his side for Khan Abdul Gaffar Khan. There I received a telegram that he has been successfully operated upon and his condition is satisfactory. But only next day when I was about to board a plane I got the message that his condition has deteriorated considerably. I immediately left Kabul. After reaching Delhi I stayed with him in the Hospital day and night. We were told that Dr. Pathak had performed the operation. But when it was asked in the House Shri Satya Narayan Sinha told that Dr. Lohia was operated upon by Dr. Darbari and when we said that right from the beginning we have been told that the operation was performed by Dr. Pathak. It was stated that both the doctors were present at the time of operation. This is in the proceedings and one can see it.

Now the question is how to carry out the inquiry. Where are the documents? We had also given evidence. We had given evidence in the presence of Dr. Shanti of Jaslok Hospital. It was said to this extent that he had cancer, heart attack or what not. Dr. Shanti had also come at that time and he asked to unstitch the wound. He was not allowed to see the complete wound. It is still a mystery as to how he died at last. We received two letters from Bombay and Poona and it was mentioned therein that such and such clerk of my ministry has hid all the documents in a gunny bag and that bag was opened. Dr. Bajaj had become D.G. by then. We found all the documents, the case history of Dr. Lohia and we came to know the disease he was suffering from. On that basis a note was prepared and sent to an expert of Banaras Hindu University. A doctor of Banaras Hindu University prepared a note further thereupon and said if Dr. Lohia had such high blood pressure why were he operated upon and if he had such and such disease whether he was given such and such treatment or not. Therefore a probe became all the more necessary and that is why we have appointed an inquiry committee of two doctors in this regard.

A committee has also been appointed to go into the causes of disease of Shri Jayaprakashji and how his disease has aggravated.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इस मामले पर आयोग विचार कर रहा है इसलिए आप इस पर प्रकाश नहीं डाल सकते ।

Shri Raj Narain : Since this matter is pending before the commission—I will not go into it.

Shri H. V. Kamath : Mr. Speaker, Sir my question has not been replied.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं है ।

Shri H. V. Kamath : It is very relevant. I had asked whether the living and working conditions of the staff are satisfactory if not what action is being taken to improve the situation ?

Shri Raj Narain : Although this question is not directly related to the main question, I would like to tell the hon. member that I am not at all satisfied with the present state of affairs in the Hospitals. I am also very worried. I used to think that this department is quite good and I will not have much difficulty in looking after it. But everyday there is 'dharna' at my place. Today only 10-12 doctors and 10-12 nurses of Safdarjung Hospital came to my residence and requested me to make some arrangements for their accommodation. To save myself I rang up Shri Sikander Bhakt.

The Minister for Works, Housing, Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : Yes, but instead of 10-12 you told me to provide accommodation for 1500 people.

Shri Raj Narain : I rang up the Hon. Minister because I wanted this problem to be solved. If the Doctors and married nurses will not be provided accommodation how will they reach Hospital in time. Skyscrappers are being built but no accommodation is being provided to doctors.

श्री वेदव्रत वरुआ : मंत्री महोदय दूसरे मंत्री है जिन्होंने आजकी छोटी सी बैठक में प्रबंध की समस्याओं के लिए भूतपूर्व सरकार पर आरोप लगाया है । मैं जनता पार्टी को यह परामर्श देना चाहता हूं : कृपया प्रशासन को कसिये । अपराध बढ रहे हैं । मूल्यों में वृद्धि हो रही है । अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई है । जनता पार्टी को प्रशासन की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये वर्ना उन्हें अपने वक्त से पहले ही जाना पड़ेगा ।

विलिंग्डन अस्पताल में ही नहीं बल्कि सभी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है । गरीब आदमी वहां इलाज नहीं करा सकता । वह किसी प्राइवेट डाक्टर के पास इलाज कराना पसंद करता है । टाइम्स आफ इंडिया में एक समाचार छपा है कि एक रिटायड जज की पत्नी इसलिये मर गई कि इलाज के समय एक खाली आक्सीजन सिलेंडर लाया गया जबकि इलाज के लिये 900 रुपये पेशगी दिये गये थे । विलिंगडन में मामूली चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं । अस्पताल में सभी प्रकार की ट्यूबें उपलब्ध क्यों नहीं होती ? ऐसा क्यों है अस्पताल किसी भी इमेरजेंसी से निबटने के लिये सक्षम नहीं है ? रात को मरीजों की देखभाल करने के लिये या इमेरजेंसी के मामलों को देखने के लिये क्या कोई नहीं है या जिन लोगों को रखा हुआ है वे अपना काम नहीं करते ? कर्मचारियों के बीच तालमेल और अनुशासन क्यों नहीं है ? एक्स-रे और खून की रिपोर्ट प्रायः गलत आदमीयों को दे दी जाती है । ये जीवन-मरण के मामलों को इतने साधारण ढंग से क्यों लिया जा रहा है ?

क्या मंत्री महोदय अस्पतालों के प्रबंध के प्रश्न की पूरी तरह छानबीन करायेंगे ताकि ऐसी घटनाएं सरकारी अस्पतालों में न हों ?

Shri Raj Narain: Sir, the Hon'ble Member has more or less stated the factual position. It is our duty to see that the hospitals are managed properly. We are thinking in terms of instituting an enquiry into the whole matter. The facts stated by the Hon'ble Member are in my mind and there is need for looking into them and to take action in respect of them. We would certainly take action.

श्री के० टी० कोसलराय: कल माननीय मंत्री ने राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर तामिल में दिया था। मैं तामिल में प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री तामिल जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भाषणों के लिए ही हो सकता है। प्रश्न काल में तो हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की अनुमति नहीं है। राज्य सभा में क्या होता है, इससे इस सभा को कोई मतलब नहीं। इस सभा ने अपने नियम बनाये हैं। यह विनिर्णय दिया जा चुका है कि प्रश्न काल में हिन्दी और अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा सकता है। भाषणों के दौरान मैं अनुवाद की व्यवस्था कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एम० सत्यनारायण राव: मेरा नाम सभापति-तालिका में है। आप मुझे प्रश्न पुछने की अनुमति नहीं दे रहे है। आप कुछ लोगों को ही हमेशा प्रश्न पूछने की इजाजत देते हैं। मैंने कभी भी असंगत प्रश्न नहीं पूछा। मेरी कुछ शिकायत है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक दल को समय देता हूं। मैंने अपने कार्यालय से एक नोट तैयार करने के लिये कहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रत्येक दल के कितने सदस्यों ने प्रति दिन प्रश्न पूछे है। मैं इस नोट की प्रति आपको दे सकता हूं ताकि आप जान लें कि प्रत्येक दल को लगभग बराबर समय दिया गया है। प्रत्येक सदस्य अपने आप को दल समझता है। आज मैंने उन्हीं लोगों को प्रश्न पूछने के लिए पुकारा है जिन्होंने पहले एक भी प्रश्न नहीं पूछा। श्री कोसलराय ने कोई प्रश्न नहीं पूछा था, इसलिए उन्हें मैंने इजाजत दे दी। **(व्यवधान)**

श्री के० सूर्यनारायण: प्रश्न दलों की संख्या के हिसाब से बराबर बराबर नहीं बांटे जाते। प्रश्नों का दलों से सम्बन्ध नहीं होता, उनका सम्बन्ध तो समाज से है। अतः आप इस पर पुनः विचार करे और समय दलों के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर आवंटित करें।

अध्यक्ष महोदय: जब कोई प्रश्न किसी एक राज्य के सम्बन्ध में होता है तो मैं उस राज्य के लोगों को बोलने की इजाजत देता हूं। जब कोई मामला तामिलनाडु से सम्बन्धित है तो मैं तामिलनाडु के लोगों को ही बोलने के लिए चुनता हूं। जब कोई प्रश्न हरिजनों से सम्बन्धित होता है तो मैं आम तौर पर ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को बोलने की अनुमति देता हूँ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह : *

श्री ए० बाला पजनौर : मैं महसूस करता हूं कि जो लोग शोर मचा सकते हैं उन्हें बोलने का मौका मिल जाता है और दूसरों की बात नहीं सुनी जाती । मेरे दल के लोगों ने भी नाम दिये थे । परन्तु उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया । मैं भी 20 सदस्यों को ला सकता हूं और वह भी शोर मचा सकते हैं । पर मैं इस तरह के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। मुझे कहा गया है कि मैं अपने दल के प्रस्ताव आपके समक्ष नहीं रखता हूँ। आपको हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का मौका देना चाहिये ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरा सुझाव है कि आपको नियम समिति की बैठक बुलानी चाहिये और वहां इस सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिये । केरल अथवा हरिजनों से सम्बन्धित प्रश्न केरल के लोगों में और हरिजनों से ही सम्बन्ध नहीं रखते । मैं हरिजन नहीं हूँ पर आप मुझे हरिजनों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोक सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि आम तौर हर सम्बन्धित व्यक्तियों को अधिक समय दिया जाना चाहिये । लेकिन दूसरे लोगों को भी समय दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में पंजाब का दौरा करते समय जब श्री जगजीवनराम को तबीयत थोड़ी खराब हुई तो स्वास्थ्य मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने डा० करौली को टेलीफोन किया कि वह श्री जगजीवनराम को 15 दिन के लिये यह कहे की बिस्तर पर लिटा दें कि उन्हें हृदय-रोग की शिकायत है और डा० करौली और अन्य डाक्टरों ने उस संयुक्त सचिव की बात नहीं मानी ? उस संयुक्त सचिव ने प्रधान मंत्री के कहने पर टेलीफोन किया था ।

Shri Raj Narain : We are already looking into this complaint. We cannot proceed against the said Joint Secretary without conducting a proper enquiry.

श्री एस० कुण्डु : दिल्ली के समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी कि सफदरजंग अस्पताल में एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था जबकि बच्चा मरा नहीं था । क्या माननीय मंत्री इसकी जाँच करेंगे ?

Shri Raj Narain : This news had appeared in the press. I have made necessary enquiries into the matter. It was an abortion case. If the Hon'ble Member wants, I shall make further enquires in this regard.

Shri Ugra Sen : Will the Hon'ble Minister assure the House that he would expedite completion of enquiries into the deaths of the correspondent of the National Herald and of Dr. Lohia and lay the enquiry reports on the table of the House?

Shri Raj Narain : I will do whatever is possible within the bounds of the rules.

Shri M. Satyanarain Rao : The Hon'ble Minister has stated that after his becoming Minister, the situation in the Willingdon Hospital has much improved.

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
*Not Recorded.

About 10 days back, I took my ailing daughter to the Willingdon Hospital. The doctors and nurses did not attend to me and showed no responsibility. Similar treatment was meted out to the son of press reporter. I did not think it proper to tell them that I am a Member of Parliament and to get extra attention.

I saw with my own eyes the pitiable condition of the daughter of a poor man. The poor man said that the condition of his daughter was very critical and he desired me to request the doctors and nurses in capacity as Member of Parliament to help him. Then I requested the doctors to attend on the daughter of that poor man. But none attended to her. This is the sorry state of affairs prevailing there.

The Emergency Ward emits foul smell all the time so much so that you cannot stand there even for two minutes without covering your nose. I wish the Hon'ble Minister should pay a visit to the Emergency Ward and see things for himself. There is no bench or chairs to sit there.

Shri Raj Narain: I am happy that the opposition has at last realised the woes of the poor people.

I quite often visit Willingdon Hospital. I will go there again, if the Hon'ble Member desires, as soon as I am free from the House.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

India Population Project Scheme

*774. **Shri Ram Dhari Shastri:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government of Uttar Pradesh have selected Deoria and Gazipur districts under the India Population Project Scheme sponsored by the Central Government and have asked for its expeditious implementation; and

(b) if so, the main features of the scheme and the reasons for delay in its implementation ?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) & (b). : A Second India Population Project is under negotiation with the World Bank. The selection of Districts to be included in the Project is yet to be finalized. The various activities/ schemes under the Family Welfare Programme to be covered under the Project are also to be finalised with the World Bank authorities. Therefore, the question of delay in the implementation of the Project does not arise.

बड़े शहरों में एक्सचेंजों के लिए टेलीफोन निर्देशिकाओं का प्रकाशन

*776. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े बड़े शहरों में कितने वर्षों से एक्सचेंजों के लिए टेलिफोन निर्देशिकाओं का प्रकाशन नहीं किया गया है तथा उन्हें अद्यतन नहीं बनाया गया है और टेलीफोन उपभोक्ताओं को नए कनेक्शनों के नम्बरों का और नए एक्सचेंज खुलने के पश्चात् पुराने नम्बरों की जगह नए नम्बरों का पता लगाने में भारी परेशानी हो रही है। और इस स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पटना में वर्ष 1975 में आई बाढ़ के कारण नष्ट हुई पुरानी निर्देशिकाओं के स्थान पर न तो नई निर्देशिकाएं दी गई है और न ही अगस्त सितम्बर, 1975 के बाद नए कनेक्शन लेने वालों को पुरानी निर्देशिकायें ही दी गई है; और

(ग) जब कोई निर्देशिका प्रकाशित होती है तथा पुराने उपभोक्ताओं को वितरित की जाती हैं तो वह आमतौर से किस हद तक अद्यतन होती है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) टेलीफोन डाइरेक्टरीयां हर साल प्रकाशित की जाती है। दस लाख से अधिक की आबादी वाले 8 बड़े शहरों में से (1971 की जन गणना के आधार पर) दो शहरों अर्थात मद्रास और हैदराबाद की डाइरेक्टरियां पिछले वर्ष प्रकाशित नहीं की जा सकीं। तथापि, जब कभी नए टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए है, पूरक डाइरेक्टरियां प्रकाशित करा के टेलीफोन उपभोक्ताओं को दे दी गई हैं। आशा है कि इन दोनों बड़े शहरों की नई डायरेक्टरियां इस वर्ष के अन्त तक प्रकाशित हो जाएंगी।

(ख) जी हां। डाइरेक्टरी के पिछले संस्करण की प्रतियां समाप्त हो गई हैं। आशा है कि पटना की नयी टेलीफोन डायरेक्टरी इस वष के समाप्त होने से पहले प्रकाशित हो जाएगी।

(ग) सामान्यतया लगभग 3 से 4 महीनों तक किन्तु कभी कभी इसकी अवधि लगभग 6 महीनों की भी हो सकती है।

सांस्कृतिक दौरों के लिए विदेशों को भेजने के लिए प्रतिनिधिमंडल का चयन करने का मानदण्ड

*778. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई संगठन है जो वस्तुतः सांस्कृतिक दौरों के लिये विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने की व्यवस्था करता है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में व्यक्तियों को भेजने अथवा उनका चयन करने के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित सांस्कृतिक शिष्टमंडल शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा या तो सीधे या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की एजेन्सी के माध्यम से विदेश भेजे जाते हैं।

(ख) विदेश भेजने के लिये लोगों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं जिन पर इस कार्य के लिए गठित स्थायी समिति के माध्यम से क्रियान्वयन होता है। यह बात सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि चयन निष्पक्ष एवं तटस्थ तथा गुणों के आधार पर हो ; इसमें भारत के सांस्कृतिक

उपलब्धियों और परम्पराओं का विदेशों में प्रभावकारी प्रदर्शन के सुनिश्चय के अतिरिक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इसमें समस्त भारत में अपने-अपने क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों, प्रवर्तकों, विद्वानों और मंडलियों को समुचित अवसर प्राप्त हो।

(ग) संस्कृति विभाग ने 1977-78 के बजट में सीधे अथवा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए 27.00 लाख रुपये का प्रावधान किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विदेश मंत्रालय की ओर से बाहर भेजे गए तदर्थ प्रतिनिधिमंडलों का खर्च मंत्रालय द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है।

Criteria for Opening Medical Colleges

*779. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether there are any criteria on which medical colleges are opened; and

(b) if so, the details thereof?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) & (b): The existing out turn of approximately 12500 doctors per year is considered adequate to meet the doctors manpower requirement of the country. As such, Government of India does not favour opening of new medical colleges during the Fifth Five Year Plan. The emphasis during the Fifth Plan is on improvement and consolidation rather than expansion.

Strengthening of relations with Spain and Portugal

*781. **Shri S. S. Das:**
Shri Eduardo Faleiro:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Spain and Portugal are taking any positive steps to strengthen democracy and are eager to strengthen the bonds of friendship with democratic people and Governments of India and other countries;

(b) whether the Prime Minister of Portugal had extended a hand of special friendship during his visit to India as Foreign Minister of Portugal; and

(c) if so, what action is being taken to strengthen our relations with these newborn democracies?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) Yes, Sir, After the death of General Franco in November, 1975, various steps have been taken by the Spanish Government to usher in a democratic system of government. The first free elections in Spain after 41 years were held on June 15, 1977, when the Lower House of Parliament and a large part of the Upper House were elected by universal suffrage. A new Government has been formed and has announced its intention to have the Parliament draw up and adopt a new Constitution and carry out further reforms in the system of government. The Spanish Government have also announced their willingness and desire to strengthen the bonds of friendship with all other peace-loving countries.

In Portugal, the Salazar-Caetano regime was overthrown in the coup d'etat of 25th April, 1974. Subsequently rapid changes took place in all spheres of Portuguese political and economic life. A new Constitution, which was drawn up by a Constituent Assembly elected for the purpose in April 1975, was adopted by the new Parliament elected in April 1976 through free, democratic elections based on universal suffrage. The Government formed as a result of these elections is now in office. The Presidential elections were held in June 1976 to elect the Head of State. The Government of Portugal have repeatedly stressed their desire to strengthen bilateral relations with all peace-loving countries.

(b) During the very friendly and successful visit to India of the Prime Minister of Portugal, Dr. Soares, who was at that time Foreign Minister of Portugal, in December, 1974, normal relations were re-established between India and Portugal and the Indo-Portuguese Treaty of 31st December 1974 was concluded, which translated this into concrete terms.

(c) India's relations with Spain are good. A Trade and Economic Cooperation Agreement as well as an Agreement for Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy exists between India and Spain. It is expected that these existing good relations will be strengthened further in the future.

After relations between India and Portugal were normalised in December 1974 steps have been taken to strengthen them in all fields. A draft cultural agreement has been submitted by the Government of India to the Government of Portugal and is under consideration at their end. Trade delegations have been exchanged between the two countries and an agreement of cooperation in the economic, trade, industrial and technical fields has been signed and ratified. Cultural exchanges have already started taking place as well as exchanges in the field of sports. Embassies have been opened by India and Portugal in Lisbon and New Delhi respectively and these have been functioning for almost two years now.

पिछड़े जिलों में डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए नियतन

*782. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने निर्धारित पिछड़े जिलों में डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिये धनराशि नियत की थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 में मंत्रालय ने कितनी धनराशि नियत की है ;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिये अपनाई गई नीति के बारे में मंत्रालय ने राज्यों के सर्किलों को सूचना दी है; और

(घ) इस संबंध में सर्किलों ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (घ) : विभाग देहाती इलाकों में डाक, तार और टेलीफोन की सुविधाएं देने के लिए एक उदार नीति अपना रहा है । पिछड़े इलाकों के संबंध में इस नीति को आगे और भी उदार बना दिया गया है ।

इस निति के अन्तर्गत किसी पिछड़े इलाके में डाकघर इस शर्त पर खोला जा सकता है कि प्रस्तावित डाकघर में सालाना जितना खर्च होने का अनुमान हो, उसका कम से कम 15 प्रतिशत राजस्व अर्जित होना चाहिए तथा वार्षिक घाटे की रकम 1000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

इसी प्रकार 2500 से अधिक की आबादी वाले स्थानों में तार और टेलीफोन की सुविधाएं इस शर्त पर दी जा सकती है कि अर्जित राजस्व उसके अनुमानित वार्षिक व्यय का कम से कम 15 प्रतिशत हो। तारघर के मामले में वार्षिक घाटे की रकम 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए न्यूनतम राजस्व की शर्त में आगे और ढील देकर उसे 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह नीति देश के सभी डाकघर और दूरसंचार सर्किलों को सूचित कर दी गई है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, डाक और दूरसंचार की सुविधाएं देने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 6.5 करोड़ रुपये और 54.3 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष रुप से कोई अलग राशि निर्धारित नहीं की गई है।

इस वर्ष के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में 1342 डाकघर, 1150 तारघर और 1073 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी को प्राप्त धन

*783. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी को कितना धन मिला और इस सोसाइटी के पाकिस्तान स्थित भाग को कितना धन मिला ;

(ख) क्या इंडियन रेडक्रास और सेंट जोन्स एम्बुलैंस को प्राप्त धन बैंक में जमा करा दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो किन बैंकों में और कब ;

(घ) क्या कोई राशि सरकारी ऋण अथवा सरकारी अस्थायी प्रमाण-पत्र पर प्राप्त हुई थी और क्या वही ऋण आज भी इंडियन रेडक्रास सोसाइटी और सेंट जोन्स एम्बुलैंस के नाम पर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ङ) : भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, नई दिल्ली से अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है और यह सभा पटल पर रखे विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 936/77]**

पोलियो माइलिटिस रोकने के उपाय

*784. श्री पी० पी० वेरियामो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलियो माइलिटिस रोकने के उपायों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) अधिक तीव्र अभियान चलाने की यदि कोई योजनाएं हैं तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और अभियान संबंधी समय तालिका क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) पोलियो होने से रोकने के लिए खाने के रूप में सेवन करने वाली पोलियो वक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है ।

(ख) पोलियो से लोगों को निरापद करने के लिए, जिनमें छोटे शिशु भी आ जाते है, एक विस्तृत कार्यक्रम चलाने पर विचार किया जा रहा है । ब्यौरा तैयार होने पर उपलब्ध कर दिया जायगा ।

Pelletisation Plant in M.P.

*785. **Shri Govind Ram Miri :**
Dr. Laxmi Narayan Pandeya :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government of India have received the report of experts regarding setting up of a pelletisation plant in Bastar district of Madhya Pradesh;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the time by which Union Government are likely to take a decision in this regard ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) to (c) : A proposal is under consideration for the setting up a plant of a capacity of about 2 million tonnes per annum for pelletisation of iron ore fines generated at the Bailadila mines of the N.M.D.C. The Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd., have been appointed as Engineering Consultants for this project and based on the discussions with reputed parties possessing requisite process know-how, tenders are expected to be received by October, 1977.

An investment decision for construction of the plant will, however, depend upon a tie-up for sale of pellets and the availability of requisite resources within the overall priorities.

Super Zinc Smelter at Sawai Madhopur

*786. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether zinc mineral is available in abundance in Udaipur, Rajasthan;

(b) whether Government propose to set up the proposed super zinc smelter in Sawai Madhopur instead of Udaipur;

(c) if so, whether before taking this decision, Government have examined each report on the zinc plant carefully and the decision has been taken on the recommendations of various committees; and

(d) the facts in this regard?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) The zinc-lead deposits are mainly located in Udaipur District in Zawar area about 30 kms. south of Udaipur, and in Rajpura-Dariba which is about 65 kms. from Udaipur. The total known reserves in these two areas are estimated at about 92.26 m. tonnes.

(b) There is no proposal, at present, under consideration of the Government for the setting up of a super zinc smelter anywhere.

(c) & (d) : Do not arise.

एल्यूमीनियम का आयात

*787. **श्री डी० डी० देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 13 जुलाई, 1977 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि एल्यूमीनियम का बड़े पैमाने पर आयात किया जाना अवश्यम्भावी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हाँ।

(ख) एल्यूमिनियम प्रद्रावक पर लगाई गई बिजली कटौतियों तथा बेलगांव (कर्नाटक) एल्यूमिनियम प्रद्रावक में हुई 70 दिन की हड़ताल के कारण एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रभावित हुआ है। एल्यूमिनियम उत्पादन के लिये पर्याप्त बिजली-पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपभोक्ता इकाइयों उत्पादन की कमी से प्रभावित न हों, 5000 टन एल्यूमिनियम का आयात करने के प्रबंध किए गए हैं।

आशा है कि चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में एल्यूमिनियम उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि आवश्यक हुआ तो और आयात भी किया जा सकता है।

Vocational Training Scheme

*788. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government are preparing a Vocational Training Scheme; and

(b) if so, the estimated expenditure to be incurred thereon and the total number of persons who will be imparted vocational training every year?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Yes, Sir. An Advanced Vocational Training System is proposed to be implemented with UNDP/ILO assistance.

(b) The total estimated expenditure for the Project is Rs. 8.44 crores which includes foreign assistance also.

12330 number of persons are expected to be trained during the duration of the Project, year-wise break-up of which is given below :—

1977 — 1470
1978 — 2280
1979 — 3560
1980 — 5020

डाक लेखन सामग्री पर विज्ञापन की योजना

*789. **श्री वसंत साठे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक लेखन सामग्री पर विज्ञापन की योजना का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस योजना को लागू करने के फलस्वरूप कितना राजस्व अर्जित किया गया है और चालू वर्ष में इस स्रोत से कितनी आय होने की संभावना है ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्र कार्डों, एरोग्राम, मनीआर्डर फार्मों, रेडियो/टेलीविजन लाइसेंसों की किताबों और डाकघर बचत बैंक की पास बुकों पर विज्ञापन की अनुमति दी जा रही है। इस समय इस सारी डाक लेखन सामग्री का केवल एक अंश ही विज्ञापन के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्य को बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि और अधिक राजस्व अर्जित किया जा सके।

(ग) जून, 1975 में चालू की गई इस योजना द्वारा अर्जित राजस्व इस प्रकार है —

वर्ष	अर्जित राजस्व
1975-76 (10 महीने) . . .	8.01 लाख रुपए
1976-77	26.78 लाख रुपए
1977-78 (जुलाई 1977 तक) . .	10.50 लाख रुपए

चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान लगभग 31 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

डाक तथा तार विभाग की सेवाओं के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लिया जाना

*790. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की सेवाओं के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रस्ताव दिनांक 4-1-1977 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है जिसमें कर्मचारियों के प्रबंध में भाग लेने की योजना की रूप रेखा दी गई है। इस योजना में यह व्यवस्था है कि जिन यूनिटों में 100 या इससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन यूनिटों में यूनिट परिषदें गठित की जाय और संगठन के ऊंचे स्तरों पर संयुक्त परिषदों का गठन किया जाय। इन परिषदों में कर्मचारियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि होंगे। यूनिट परिषदों के दायरे में सेवा की शर्तें, अनुशासन, अनुपस्थिति और सेवाओं में सुधार लाने के तरीकों से संबंधित मदें आती हैं। संयुक्त परिषदें यूनिट परिषदों द्वारा न निपटाई गई मदों, मजदूरों के सुझावों, प्रशिक्षण की सुविधाओं और कार्यकुशलता में विकास लाने के बारे में विचार कर सकती हैं। इन परिषदों में फैसले सर्वसम्मति से किए जाएंगे न कि मतदान के जरिए। इनका ढांचा लचीला होगा ताकि वह प्रत्येक संगठन के अनुकूल हो सके।

डाक-तार विभाग में इस योजना को लागू करने के बारे में सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

दुर्गापुर का स्टेनलैस स्टील

*791. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **ईस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में उत्पादित स्टेनलैस स्टील की उत्पादन लागत अन्य देशों में बने ऐसे इस्पात की लागत से बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या तथ्य और कारण हैं और इस संबंध में आने वाली उत्पादन लागत में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) उत्पादन लागत अलग-अलग देशों तथा अलग-अलग उपक्रमों में अलग -अलग होती है लेकिन खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बेदाग इस्पात की चादरों के आयात के लिए प्राप्त आयात निवेदित मूल्यों को देखते हुए दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की चादरों/प्लेटों की उत्पादन लागत अधिक है।

(ख) मिश्र इस्पात कारखाने में उत्पादन लागत अधिक होने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) चादरों/प्लेटों के बारे में प्रौद्योगिकी पुरानी होना

(2) बिजली की लागत अधिक होना

(3) आयातित कच्चे माल (लौह-मिश्र धातु, निकल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आदि) की लागत अधिक होना

(4) 'स्केल इकानामी' के लाभ उपलब्ध न होना।

निर्माता उत्पादन लागत को कम करने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर बेदाग इस्पात की चादरों के लिए और उत्पादन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। आशा है नई सुविधाओं से उत्पादन आरम्भ होने लगने से उत्पादन लागत कम हो जायेगी।

इस्पात संयंत्र उपकरण का डिजाइन तैयार करना

*792. **श्री के० प्रधानी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र को इस्पात संयंत्र उपकरण का डिजाइन तैयार करने या उसे बनाने में अपना योग देने दिया जायेगा, और ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण के इस क्षेत्र में तकनीकी सहायोग की अनुमति दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) नीजी क्षेत्र पहिले से ही इस्पात कारखानों के लिए उपस्करों के रूपांकन, विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यही मंशा है कि निजी क्षेत्र यह भूमिका निभाता रहे ।

(ख) तकनीकी सहयोग के प्रस्तावों की स्वीकृति गुणावगुण के आधार पर दी जाती रहेगी ।

Reduction in Rates of Telephone Calls

*793. **Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government of India propose to reduce the existing rate of Telephone Calls from P.C.Os. by way of a liberalised policy in this regard to enable common man to take the benefit of this telephone facility; and

(b) if so, the extent thereof?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) There is no proposal to reduce the existing 50 paise call charge from a P.C.O.

(b) Does not arise.

Work of Structural Fabrication Awarded by H.S.C.L.

6090. **Shri Mohan Jain :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that those officers of Hindustan Construction Company who awarded work of structural fabrication to parties on increased rates before Lok Sabha elections or before that and thereby caused loss of lakhs of rupees to the Company, have been promoted; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) No, Sir. No work of structural fabrication on increased rates was awarded to any party by the Hindustan Steel works Construction Ltd., during the period mentioned, and no loss was caused to the Company on this account.

(b) Does not arise.

यूथ कांग्रेस के गौहाटी अधिवेशन में भाग लेने आये विदेशी शिष्टमंडलों पर किया गया खर्च

6091. **डा० भगवान दास राठौर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूथ कांग्रेस के गौहाटी अधिवेशन में भाग लेने आये बहुत से विदेशी शिष्टमंडलों का भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा अतिथ्य किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शिष्टमंडल पर कितना व्यय किया गया ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) गौहाटी अधिवेशन में प्रेक्षक की हैसियत से कुछ विदेशी प्रतिनिधि आये थे जो अपने देशों के जाने-माने युवा नेता थे; भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने दिल्ली और आगरा में इन लोगों के आतिथ्य की व्यवस्था की थी ।

(ख) इन 47 विदेशी प्रतिनिधियों पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कुल मिलाकर रुपए 81,775.56 खर्च हुए यानी औसतन रुपए 1,740 प्रति प्रतिनिधि ।

कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र

6092. **श्री बापू साहिब पारुलेकर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र घाटे में अथवा लाभ में चल रहा है और उसे कितना घाटा अथवा लाभ हो रहा है ;

(ख) क्या रत्नागिरी परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में एल्यूमीना तथा/अथवा एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए टाउनशिप के बिना लाभप्रदता प्राप्त होने की आशा है और कितनी लाभप्रदता की आशा है ;

(ग) क्या 'बाल्को' के लिए वर्ष 1977-78 के लिए बजट में रखे गये 49 करोड़ रुपए की राशि में से रत्नागिरी परियोजना पर केवल 10 लाख रुपए ही खर्च किये जाने है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बैलगांव की इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी को कोल्हापुर में ढंगावाडी तथा उदगीर से प्राप्त बोक्साइट का उपयोग करने की अनुमति देने का है जो कि रत्नागिरी परियोजना के उपयोग के लिए है तथा उसके लिए आरक्षित है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) कोरबा एल्यूमिनियम सयंत्र को 1976–77 में अनुमानत: 3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह घाटा 100,000 टन वार्षिक की निर्धारित प्रद्रावण क्षमता के इस समय केवल 25 प्रतिशत उपयोग होने के कारण है ।

(ख) रत्नागिरी परियोजना के नवीनतम लागत अनुमानों की जांच की जा रही है ।

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण रत्नागिरि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका तथा 1977–78 में इस परियोजना के लिए केवल 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(घ) जी नहीं ।

Direct Dialling Services With Foreign Countries

6093. **Shri Meetha Lal Patel**: Will the Minister of **Communications** be pleased to State :

(a) whether negotiations are being made by Government with foreign countries for introducing direct dialling foreign services; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) & (b) Direct dialling telephone services are introduced by India with foreign countries from time to time on the availability of necessary technical equipment/facilities at both the ends. Being a purely technical and commercial subject, this is done by exchange of correspondence between the Overseas Communications Service, a subordinate office of the Ministry of Communications, Government of India, and its counterparts in foreign countries concerned.

2. Subscriber direct dialling telephone service, which is presently available from Bombay to London between 0000/1200 IST and New Delhi to London between 0100/1200 IST, is proposed to be extended to the whole of UK on a 24-hour basis by the end of September, 1977.

3. Plans are also under consideration for extending direct dialling telephone service to the USA. The cities of New York and Washington are likely to be covered in the first phase.

Indian Red Cross Building

6094. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Indian Red Cross building was constructed with the help of liberal donation of Sir Mahabat Khan, the Nawab of Junagarh;

(b) whether this building was gifted for the purpose of improvement in health and cure of sufferings and disease among Indian people; and

(c) whether this Indian Red Cross building is being used for any other aims besides the above ones and if so, whether it tantamounts to an insult to his feelings of charitableness?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Sir. The old building of the Indian Red Cross which was constructed in 1930/31 and demolished in 1975 was constructed with the help of a donation received from Sir Mahabat Khan, the Nawab of Junagadh.

(b) The help received from the Nawab of Junagadh was for construction of the old building since demolished; no specific purpose for which the building could be utilised was assigned. It was a decision of the Indian Red Cross Society itself to dedicate it "to all those working in India for the improvement of health, the prevention of diseases and the mitigation of suffering."

(c) The Indian Red Cross Society has stated that the old building until its demolition was used for the purpose for which it was built and that the new building constructed with help of grants from Government of India and advances against licence fees from Industrial Development Bank of India and Industrial Finance Corporation is being used for purposes for which the grant/advances where received.

विदेशो द्वारा भारतीय चिकित्सा डिग्रियों की मान्यता समाप्त किया जाना

6095. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने भारतीय चिकित्सा डिग्रियों की मान्यता समाप्त कर दी है ; और

(ख) चिकित्सा, शिक्षा तथा अनुसंधान के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) भारत और ब्रिटेन द्वारा दी गई चिकित्सा अर्हताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता देने के बारे में ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउन्सिल के साथ हमारा जो समझौता हुआ था, उसे उन्होंने अपने एक. पक्षीय फैसले द्वारा समाप्त कर दिया और यह फैसला किया कि केवल वही डाक्टर अस्थायी पंजीकरण के पात्र होंगे जिन्होंने 22 मई, 1975 के बाद भारत से चिकित्सा अर्हता प्राप्त की हो, बशर्ते कि वे अस्थायी पंजीकरण मूल्यांकन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सफल हो जाए ।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् जो एक सांविधिक निकाय है तथा संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई है, देश में चिकित्सा के स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रयोजन के लिए "स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए कम से कम क्या स्तर/अपेक्षा होनी चाहिएं"? "चिकित्सा कालेजों में 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए मानक क्या हों," तथा "चिकित्सा कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता क्या हों" इनके बारे में इस परिषद् ने विनियम निर्धारित किये है। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक चिकित्सा शिक्षा का मानक स्तर बनाए रखने की बात को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण करते है। इन निरीक्षकों द्वारा पाई गई/बतलाई गई कमियों को निर्धारित अवधि के भीतर दूर करने के लिए संबंधित संस्थानों के ध्यान में लाया जाता हैं । जिस संस्थान में ये कमियां बराबर बनी रहती है भारतीय चिकित्सा परिषद् उस संस्थान को दी गई मान्यता वापस ले लने की सिफारिश कर सकती है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में नैप्थेलीन और फीनोल का उत्पादन

6096. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में वर्ष 1976 में नैप्थेलीन और फीनोल का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) ये उत्पाद किन-किन पार्टियों को कितनी मात्रा में वितरित किये जाते है; और

(ग) क्या सरकार का इन उत्पादों के आबंटन के मामले में लघु उद्योग एककों को वरीयता देने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वर्ष 1976 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में नैप्थेलीन का कुल उत्पादन 7,366 टन हुआ था। फीनोल का उत्पादन केवल राउरकेला इस्पात कारखाने में होता है और वर्ष 1976 में फीनोल का उत्पादन 107 टन हुआ था।

(ख) मुख्य उपभोक्ता पार्टियों के नाम तथा उनको की गई इन उत्पादों की आपूर्ति की मात्रा नीचे दी गई है :—

पार्टी का नाम	आपूर्ति की मात्रा
नैप्थेलीन	(टन)
1. दुर्गापुर केमिकल्स लि०, दुर्गापुर	2380
2. अमर डाई-केम लि०, बम्बई	1595
3. अतुल प्राडक्टस् लिमिटेड' बम्बई	1100
4. बी० ए० एस० एफ० लिमिटेड, बम्बई	405
5. डाइस एण्ड डिस्पर्सिंग एजेन्ट (प्रा०) लिमिटड, बम्बई	367
6. डायमन्ड शामरोक लिमिटेड, बम्बई	219
7. सुदर्शन केमिकल्स लिमिटेड, पूना	81
8. इंडियन डाइस्टफ लिमिटेड, बम्बई	176
9. ए० टी० आई० सी० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बलसर	120
10. खण्डारी केमिकल, बम्बई	80
11. अरलेबस लिमिटेड, बम्बई	99
12. प्रकाश केमिकल्स, कलकत्ता	81
13. रेसीनेट केमिकल्स, भिलाई	177
14. अन्य पार्टियां	396
	7276
2. फीनोल	
1. कुड पोलिमर्स लिमिटेड, बम्बई	58
2. राउरकेला केमिकल्स, राउरकेला	224
3. पोलिसिन्थ केमिकल्स, भुवनेश्वर	15
4. शालीमार टार प्राडक्ट्स, लोडना	6
5. रेसकेमोल (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता	6
6. अन्य पार्टियां	6
	115

(ग) ये रसायनिक उपोत्पाद उन सभी उद्योगों को (लघु उद्योग इकाइयां भी शामिल है) सप्लाई किए जाते है जिन्होंने अपने कारखाने स्थापित कर लिए है और जो इन रसायनों को उपयोग कच्च माल के रुप में करत है।

मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों में टेलीफोन सुविधाएं

6097. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों के किन किन गावों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) जिन स्थानों पर टेलिफोन सुविधा उपलब्ध है वहां टेलीफोन के कनेक्शनों के लिय कितन आवेदन-पत्र विचाराधीन है; और

(ग) गुना और शिवंपुरी जिलों के किन किन स्थानों पर चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन अथवा फोनोग्राम सेवा उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों में जिन जगहों पर टेलीफोन सुविधाएं विद्यमान है उनकी एक सूची अनुबंध–I में दी गई है इस सूची में प्रत्येक स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये अनिर्णीत पड़ी अर्जियों की संख्या भी दे दी गई है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिन जगहों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर और तार घर खोलने की योजना है उनके नाम अनुबंध –II में दिये गये है।

विवरण 1

मध्यप्रदेश के गुना और शिवपुरी जिलों में जिन जगहों पर टेलिफोन सुविधा उपलब्ध है उनके नाम और 30-6-77 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़ी अर्जियो की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण

एक्सचेंज		टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत पड़ी अर्जियों की संख्या
गुना जिला	1. अरोनी	कुछ नहीं
	2. अशोक नगर	1
	3. चांचोडा	4
	4. चन्देरी	4
	5. गूना	7
	6. मुगांवली	कुछ नहीं
	7. राधोगढ़	1

विवरण (जारी)

एक्सचेंज	टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णित पढो अर्जियों की सख्या
गुना जिला—जारी	
सार्वजनिक टेलीफोन घर	
1. वजरंगगढ	
2. बणोरी	
3. बीनागंज	
4. जागोर-राओसन	
5. कुम्मराज	
6. मयाना	
7. पिपरिया	
8. स्थायी	
9. शहादरा	
शिवपुरी जिला—	
एक्सचेंज	
1. बदरवास	2
2. करेरा	1
3. कोलारस	1
4. नरवार	कोई नहीं
5. कोहारी	1
6. शिवपुरी	11
सार्वजनिक टेलीफोन घर	
1. भाटानवर	
2. चोरपोरा	
3. धौलागढ	
4. कन्या धाना	
5. लुकवासा	
6. मिचोरे	
7. सताईमारा	

विवरण–2

जिन जगहों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन घर और तारघर खोलने की योजना है, उनके नाम प्रदर्शित करने वाला विवरण

गुना जिला :

1.	ईशागढ .	. सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त तारघर
2.	मसूदानगढ	. संयुक्त तारघर

शिवपुरी जिला :

1.	मगरौनी	. सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त तारघर

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र में विशेष इस्पात का उत्पादन

6098. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्र इस्पात लिमिटेड में घटिया किस्म की ऊष्मसह सामग्री और आर्क फरनेस इलेक्ट्रोडों के कारण विशेष इस्पात के उत्पादन की किस्म और मात्रा में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों में ठेकेदारों को काम दिया जाना

6099. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस्पात संयंत्रों में ठेकेदारों को काम देने के मामले में निहित स्वार्थ पैदा हो गये है ;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक संयंत्र द्वारा दिये गये प्रत्येक ठेके के बारे में जांच कराने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार संयंत्रों में दिये गये माल लादने और उतारने आदि के ठेकों के बारे में यह पता लगाने के लिये पूर्ण जांच कराने का है कि क्या वहां एक ही काम दो बार होता है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

डाक्टरों को अस्पतालों में काम (हाउस जॉब) दिया जाना

6100. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि ऐसे अनेक दिल्ली के छात्रों, जिन्होंने 1976 मे एल० एल० आर० एम० कालेज, मेरठ से एम० बी० बी० एस० की परीक्षा पास की थी और जिन्होंने दिल्ली में अपने खर्च पर एक वर्ष की 'रोटेशनल इन्टर्नशिप' पूरी कर ली है, को दिल्ली के किसी भी अस्पताल में 'हाउस जाब' नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) क्या एल० एल० आर० एम० कालेज मेरट के इन छात्रों के लिए सरकार ने उन्हें 6 महीने या एक वर्ष के लिए अस्थायी आधार पर 'हाउस जाब' देने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये और यदि हां, तो क्या हैं तथा यदि नहीं, तो क्यों नहीं बनाये ; और

(ग) सरकार का इन युवा डाक्टरों को दिल्ली में 'हाउस जाब' दिलाकर उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) एल० एल० आर० एम० कालेज, मेरट से जिन छात्रों ने एम० बी० बी० एस० परीक्षा पास की थी, उन्हें दिल्ली के अस्पतालों में हाउस जाब की सुविधाएं देने के संबंध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) और (ग)–जहां तक केन्द्रीय संस्थाओं/अस्पतालों का संबंध है वहां पर हाऊस सर्जनों की नियुक्ति (प्रथम वर्ष जूनियर रेजिडेन्ट) सबधित संस्थान/अस्पताल द्वारा गठित चयन समितियों की सिफारिश पर की जाती है। ऐसी नियुक्ति में बाहरी उम्मीदवारों के ऊपर उसी संस्था के स्नातकों को प्राथमिकता दी जाती है । एल० एल० आर० एम० कालज, मेरट के छात्रों को दिल्ली के अस्पतालों में दाखिला न देने के बारे में सरकार ने कोई दिशा-निदेश निर्धारित नहीं किये हैं ।

तुरा, मेघालय में टेलीफोन एक्सचेंज और सूक्ष्म तरंग केन्द्र

6101. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेघालय में तुरा स्थित टेलीफोन एक्सचेंज प्रबन्ध और न्यूनतम आधुनिक उपकरणों की कमी-दोनों दृष्टि से खराब हालत में है और इससे प्रयोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है और यदि हां, तो त्रुटियों में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव क्या है ;

(ख) क्या हाल में ही राज्य के एक उत्तरदायी अधिकारी द्वारा उक्त एक्सचेंज के एक कर्मचारी पर हमला करने की घटना हुई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या सरकार तुरा-शिलांग और तुरा-गोहाटी के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की प्रणाली को शीघ्र ही लागू करेगी; और

(घ) क्या तुरा में सूक्ष्म-तरंग केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) तुरा का टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। इस समय वहां 250 लाइनों की क्षमता वाला एक सी० बी० नान-मल्टीपुल एक्सचेंज काम कर रहा है । ऐसा प्रस्ताव है कि वहां 300 लाइनों का एक एम० ए० एक्स०–II लगा कर उसे आटोमेटिक एक्सचेंज दिया जाय ।

(ख) जी हां । सिमसागिरि के एक जिला कृषि अधिकारी ने, जो तुरा-134 टेलीफोन का उपयोक्ता है, एक जूनियर इंजीनियर पर हमला किया था। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वह उपभोक्ता इसलिए खीझ उठता था कि वह टेलीफोन नं० 247 से बात नहीं कर सकता था क्योंकि तूफान के कारण वह टेलीफोन खराब हो गया था ।

(ग) तुरा-शिलांग और तुरा-गोहाटी के बीच सीधे डायल घुमाकर काले करने की प्रणाली तुरंत चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) तुरा में माइक्रोवेव उपस्कर लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नजरबन्द व्यक्तियों के बच्चों को कालेजों तथा स्कूलों में प्रवेश की सुविधा

6102. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1977 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है, दिल्ली प्रशासन उन व्यक्तियों के विद्यार्थियों तथा बच्चों को कालेजों तथा स्कूलों आदि में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत अनुग्रहांक देगी जो आपात स्थिति के दौरान जेलों में बंद थे अथवा भूमिगत थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा पालिटेकनिक तथा भारतीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में दी जाती है; और

(ग) क्या यह सुविधा विस्तार छात्रवृत्ति तथा रोजगार देने के मामले में भी दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत पालीटेक्नीकों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस वर्ष प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुविधा दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

स्वतंत्र जांच आयोग द्वारा आपातकालीन मामलों पर पुनर्विचार

6103. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों ने मांग की है कि आपात स्थिति के दौरान प्रशासन द्वारा शुरू किये गये मामलों और उस समय दिये गए दंड पर सरकार को एक स्वतंत्र जांच समिति द्वारा पुनः जांच करानी चाहिए ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बूजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संचार मंत्रालय के सचिव की पदोन्नति

6104. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय के सचिव ने, लोक सभा के लिए चुनावों की घोषणा कर दिये जाने के बाद विपक्ष के संसद् सदस्यों के टेलीफोनों की टेपिंग की व्यवस्था की थी ;

(ख) क्या आपात स्थिति की घोषणा के तत्काल बाद जुलाई, 1975 में पिछले सचिव को सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया था, जिससे उनका उत्तराधिकारी कार्य भार सम्भाल सके; और

(ग) क्या अतिरिक्त सचिव बनने के कुछ महीने के भीतर ही वर्तमान सचिव की पदोन्नति सचिवों के उपलब्ध पैनल के आधार पर गई थी अथवा किसी विशिष्ट व्यवस्था द्वारा ?

संचार मंत्री (श्री बूजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) वर्तमान सचिव की पदोन्नति द्वारा संचार सचिव के पद पर नियुक्ति निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार की गई थी जो कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनाई जाती रही है।

कन्नानूर में आयुर्वेदिक औषधियों का अनुसंधान संस्थान

6105. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानोर जिले में आयुर्वेदिक औषधियों का अनुसंधान संस्थान प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कहां काफी तादाद में मिलती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग होने वाल औषधीय पादप देश के कई भागों में उपलब्ध है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के औषधीय पादप सर्वेक्षण यूनिट पहले से ही देश के विभिन्न भागों में औषधीय पादपों का सर्वेक्षण कर रहे है।

कम्पनियों की आय की अधिकतम सीमा

6106. **श्री बी० के० नायर :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रस्ताव राष्ट्रीय मजूरी आय मूल्य नीति के पहले उपाय के रूप में कम्पनी निदेशकों जैसे व्यक्तियों की आय का अधिकतम सीमा निर्धारित करने की योजना लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : सीमित लोक कम्पनियों और उन की सहायक कम्पनियों के प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशकों को प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की अदायगी के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान प्रशासनिक मार्गदर्शी रूप रेखा में अन्य बातों के साथ साथ उन को दिए जाने वाले वेतनों, कमीशन और अनुलाभों के संबंध में कुछ सीमा निर्धारित की गई है । मार्गदर्शी रूप रेख. में संशोधन का प्रश्न इस समय विचाराधीन है और संशोधित मार्गदर्शी रूपरेशा के यथा शीघ्र जारी होने की आशा है ।

धनबाद के कोयला क्षेत्रों में दामोदर तथा नयाडांगा कोयला खानों में दुर्घटनाएं

6107. **श्री ए० के० राय :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के कोयला क्षेत्र में दो प्रमुख दुर्घटनायें हुई, इनमें से एक दुर्घटना दामोदर कोयला खान (बी० सी० सी० एल०) में 9 जुलाई, 1977 को हुई जिसमें खानें डूब गई और दूसरी दुर्घटना 15 जुलाई, 1977 को ई० सी० आई० एल० की श्यामपुर के नयाडांगा सेक्शन कोयला खान, संख्या 4 में हुई जिसमें एक खान मजदूर की मत्यु हो गई;

(ख) क्या इन दोनों दुर्घटनाओं में प्रबन्धकों की गलती है क्योंकि उन्होंने विनियमनों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) दोनों दुर्घटनाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना कोलियरी अनुसार नीचे दी गई है :--

दामोदा कोयला खान

भारी वर्षा और खान प्रक्रिया तथा नदी के बीच तरबंध में दरार पड़ जाने के कारण 9-7-1977 को दामोदा कोयला खान के पांच सेक्शनों में से एक में जामुना नदी की बाढ का पानी आ गया था । इस दुर्घटना में कोई व्यक्ति ग्रस्त नहीं था और इस के लिए किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया ।

श्यामपुर कोयला खान

15 जुलाई, 1977 को श्यामपुर ए कोयला खान के नयाडांगा सेक्शन में दुर्घटना में ओपन कास्ट वर्किंग के साइड के गिर जाने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना के लिए प्रबंध और अधिनस्थ पर्यवेक्षी स्टाफ को जिम्मेवार ठहराया गया। इस दुर्घटना के संबंध में जांच की रिपोर्ट पर यह निर्णय करने के दृष्टिकोण से कार्यवाही की जा रही है कि इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए ।

निकल का उत्पादन

6108. **श्री समरेन्द्र कुन्डु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकल के उत्पादन के लिए भारत में उपलब्ध जानकारी तकनीकी दृष्टि से पेश के बाहर उपलब्ध जानकारी के समान है;

(ख) क्या निकल का उत्पादन करने के प्रयोजनार्थ मार्गदर्शी परियोजना संयंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार को विश्वास है कि इस संयंत्र का सुधार सितंबर, 1977 तक हो जायेगा;

(घ) क्या इस संयंत्र के निर्माण-कार्य में काफी विलंब हुआ है, यदि हां, तो कितने वर्षों का और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) गत तीन वर्षों में कितने मीट्रिक टन निकल का आयात किया गया है और यह किस मूल्य पर किया गया है; और

(च) क्या इस बात के बावजूद कि इस संयंत्र का सुधार निर्धारित तिथि तक परीक्षण में सफल होता है या नहीं होता है, इस बारे में संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ करना और उस पर ठोस निर्णय लेना संभव है, यदि हां, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मैसर्स केमीकल मेट्रालर्जिकल डिजाइन कम्पनी लि० (सी० ए० डी० सी०) द्वारा जमशेटपुर में स्थापित प्रायोगिक संयंत्र की सरकार ने इसलिए मजूरी दी थी ताकि निकिल भंडारों के वाणिज्यिक दोहन हेतु संरचना और तकनीकी ज्ञान का विकास किया जा सके। मैसर्स केमीकल मेटलर्जिकल डिजाइन कंपनी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया सिद्धांत रूप में सामान्यत: लाइमोनिटिक किस्म की लाल मिट्टी अयस्को हेतु यत्रतत्र प्रयुक्त प्रक्रिया के समान है ।

(ख) प्रायोगिक संयंत्र के प्रचालन के दौरान आई यांत्रिक एवम् प्रक्रियागत कठिनाईयां के आधार पर सलाहकारों ने प्रायोगिक संयंत्र में सधार के प्रस्ताव रखे ताकि कठिनाइयों से निपटा जा सके ।

(ग) इन सुधारों को करने के बाद भी संयंत्र के संचालन में कठिनाइयों बनी हुई हैं । और हाल ही में ऐसे संकेत मिले है कि फर्म निर्धारित समय अर्थात सितंबर, 1977 तक परीक्षण पूरे नहीं कर पाएगी ।

(घ) प्रायोगिक संयंत्र कार्य के संस्थापन और समापन में पर्याप्त देरी हो चुकी है । मूल अनुमानों के अनुसार प्रायोगिक संयंत्र 1973 के अन्त तक बन कर तैयार हो जाना चाहिए था ।

प्रायोगिक संयंत्र मई, 1975 में बन कर तैयार हुआ और आवश्यक सुधारों हेतु और अधिक धन राशि की मंजूरी के बाद मैसर्स केमीकल मैअलर्जिकल डिजाइन कंपनी द्वारा सितंबर, 1977 के अंत तक काम पूरा करके अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्यक्रम है ।

प्रायोगिक संयंत्र परीक्षणों पर 30-6-77 तक कुल 34.17 लाख रुपए खर्च हुए है ।

(ङ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(च) सुकिन्दा निकल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार प्रमाणित विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है ।

विवरण

वर्ष/1974-75 से/1976-77 (दिसंबर, 76 तक) के वर्षों के लिए निकल (संशोधित भारतीय ट्रेड वर्गीकरण को नम्बर 683) के आयात आंकड़े

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य लाख रुपयों में
1974-75 . . .	3,998	1396.36
1975-76 . . .	4,316	1596.85
1976-77 . . (दिसंबर '76 तक)	3,887	1648.95

प्रति : भारतीय विदेश न्यापार के मासिक आंकडे खंड-2- आयात ; वाणिज्यिक, आसूचना तथा सांख्यकी महा निदेशक कलकत्ता द्वारा प्रकाशित ।

प्राइवेट स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों का बनाया जाना

6109. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एस० डी० मनी की अध्यक्षता में लघु निर्माता "इण्ट्रानिक्स" को प्राइवेट स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के बनाये जाने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या यह सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित नहीं है; और

(ग) क्या इससे भारत सरकार की औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का किसी प्रकार उल्लंघन होता है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : लघु निर्माता, इण्ट्रानिक्स को अंकीय अन्तरसम्पर्क उपस्कर (डिजिटल इण्टर-कनेक्ट इक्विपमेंट) के निर्माण की अनुमति दी गई है, जो अलग अलग तरह की प्रक्रिया और नियंत्रण सिगनलों के लिए प्रक्रमन अन्त:पृष्ठ (प्रोग्राम्ड इन्टरफेस) है। "इण्ट्रानिक्स" को निजी स्वचल एक्सचेंज बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। दूरसंचार उपस्कर का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात की ट्यूबों का निर्माण

6110. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार की इस्पात ट्यूबों का निर्माण कर रही सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ये कम्पनियां इस्पात की ट्यूबों का निर्यात भी कर रही हैं; यदि हां, तो किन-किन देशों को ;

(ग) क्या सरकार का स्टील अथारिटी आफ इंडिया और अन्य सरकारी कम्पनियों के जरिए ही बड़े आकार की इस्पात ट्यूबों की कुछ किस्मों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाना ही सरकारी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है जहाँ इस समय ट्यूबों का निर्माण किया जाता है। निजी क्षेत्र के बहुत से कारखानों में विभिन्न प्रकार की ट्यूबों का निर्माण किया जाता है। इनके विवरण अनुबन्ध में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 937/77**]

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाना तथा निजी क्षेत्र की बहुत सी कम्पनियां भी इस्पात की ट्यूबों का निर्यात कर रही हैं। इनका निर्यात 55 भिन्न-भिन्न देशों को किया जा रहा है जिनमें आबूधाबी, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बर्मा, श्री लंका, साइप्रस, डेन्मार्क, दुबई, इथियोपिया, जर्मनी संघीय गणराज्य, हांग-कांग, इंडोनेशिया, ईरान, ईराक, आयरलैंड, जोर्डन, कीनिया, कुवैत, मलायी, मलयेशिया, मारिशस, ओमान, नेपाल, नाइजीरिया, बंगला-देश, साउदी अरब, सिंगापुर, सोमालिया, स्वीडन, तंजानिया गणराज्य, मिश्र, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, यूगोस्लाविया, जाम्बिया, फिलीपीन आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) : सरकारी क्षेत्र में राउरकेला इस्पात कारखाने ने तेल उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 18" से लेकर 55" तक के बड़े व्यास के पाइप तैयार करने के लिए जून, 1976 में एक स्पाइरली वेल्डिड पाइप प्लांट चालू किया था। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 55,000 टन है।

ड्रिलिंग/केसिंग पाइपों और बायलरों में काम आने वाले पाइपों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में बिना जोड़ की बड़े व्यास की ट्यूबों तैयार करने के लिए एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव भी विचारधीन है। इस कारखाने में 165 मि० मी० से लेकर 375 मि० मी० तक व्यास की ट्यूबों का उत्पादन किया जायेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० भी 14 मि० मी० से लेकर 159 मि० मी० तक के व्यास की बिना जोड़ की ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना लगाने पर विचार कर रही है।

'दयाराम कवि' के सम्मान में डाक टिकट निकाला जाना

6111. **श्री अनन्त दवे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात के एक महान एवं प्रतिभाशाली कवि "दयाराम" के सम्मान में उसकी दूसरी जन्म शताब्दी पर कोई विशेष डाक टिकट निकालने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। इनकी दूसरी जन्म शताब्दी पर, जो 1977 में पड़ रही है, डाक टिकट निकालने का प्रस्ताव 27-6-75 और दुबारा 16-12-75 को फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया था किन्तु इस समिति ने इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की।

यू० एस० मेडिकल कालेज, पटना, बिहार के विद्यार्थियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

6112. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** :
श्री मी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य होमियोपैथी बोर्ड और उत्तर प्रदेश राज्य होमियोपैथी बोर्ड द्वारा कि जाने वाले होमियोपैथी मेडिकल डिप्लोमा बराबर है जैसा केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है;

(ख) यदि हां, तो यू० एच० मेडिकल कालेज, पटना, बिहार के विद्यार्थियों की उत्तर प्रदेश राज्य होमियोपैथी आयुर्विज्ञान बोर्ड द्वारा लिए जाने वाली परीक्षाओं में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में यू० एच० कालेज, पटना के विद्यार्थियों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या मांग की गई है तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां, दोन बोर्डों द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन मान्यता प्राप्त हैं।

(ख) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि यू० एच० मेडिकल कालेज सहित बिहार के सभी होम्योपैथिक कालेज, बिहार विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में लाये जा चुके हैं। तदनुसार, उक्त कालेज के छात्रों को बिहार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा में बैठना चाहिए। उनको उत्तर प्रदेश होमियोपथिक आयुर्विज्ञान बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : जी हां। चूंकि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है इसलिए इस ज्ञापन की एक प्रति यथोचित कार्यवाही के लिए उन्हें भेज दी गई है।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड में भारतीय पूंजी

6113. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भी एक ब्रिटिश फर्म सेन्ट्रल प्रामिस मगनीज ओर लिमिटेड के मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटड में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं;

(ख) यदि हां, तो मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड में भारतीय शेयर पूंजी बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या इस फर्म को आपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि मैंगनीज अयस्क निर्यात का सबसे बड़ा स्रोत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मैंगनीज ओर इंडिया लि० में ब्रिटिश फर्म नामतः सेन्ट्रल प्रोविन्सिज मैंगनीज ओर कंपनी के सन् 1962 से लेकर अब तक 49% शेयर चले आ रहे हैं।

(ख) से (घ)—सेन्ट्रल प्रोविन्सिज मैंगनीज ओर कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ, मैंगनीज ओर इंडिया लि० में उनके शेयर तथा महाराष्ट्र के बालापुर—हमेशा (डोंगरी-बुजुर्ग), (मैंगनीज की एक मात्र खान जिसका संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है) में उनकी संपत्ति खरीदने के बारे में उनसे बातचीत की गई है। आशा है शीघ्र ही इस बारे में अन्तिम रूप से फैसला हो जायेगा।

भारत में बहुराष्ट्रीय औषध निर्मात्री कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

6114. **श्री मुरली मनोहर जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री एन्ट्रो-बायो-फोर्म और मैक्सोफोर्म के प्रयोग पर प्रतिबन्ध के बारे में 30 जून, 1977 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन औषधियों के नाम क्या है जो भारत में बहुराष्ट्रीय औषध निर्मात्री कम्पनियों की सहायक कम्पनियों द्वारा बनाई जाती हैं और जो अब बाजार से हटा ली गई हैं या जिनकी बिक्री विदेशों में इसलिए निषिद्ध कर ी गई है कि उनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : भारत में औषधियां तैयार करने-वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सहायक कम्पनियों द्वारा तैयार की जा रही जिन औषधियों को बाजार से हटा लिया गया है अथवा जिनकी बिक्री विदेशों में इसलिए निषिद्ध कर दी गई है कि उनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उनके नाम इस प्रकार हैं:—

1. प्रेक्टोलोल (PRACTOLOL)
2. क्लियोक्विनोल (CLIOQUINOL)
3. फेनफार्मिन (PHENFORMIN)

प्रेक्टोलोल :—भारत में अगस्त, 1975 से इस औषधि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

क्लियोक्विनोल :—चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय को ध्यान में रखते हुए इस समय इस औषधि पर प्रतिबंध लगाने का विचार नहीं है। वैसे, इस औषधि से तैयार की गयी दवाइयां अब रजिस्टर्ड चिकित्सकों की नुस्खों पर ही सप्लाई की जाती हैं।

फेनफार्मिन—दो देशों अर्थात् अमरीका और नार्वे में इस औषधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस औषधि के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी प्रश्न पर इस क्षेत्र के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के अंशधारी

6115. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के उन अंशधारियों को प्रतिपूर्ति मिलेगी, जिन्होंने कंपनी के राष्ट्रीयकरण से पूर्व उसे समुचित रूप से निष्पादित अंश अन्तरण विलेख प्रस्तुत किये थे परन्तु उन्हें पंजीकृत नहीं कराया था;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)–चूंकि इन मामलों में शेयरों के अन्तरण के लिए संबंधित दस्तावेज नियत दिन अर्थात् 17 जुलाई, 1976 से पूर्व कंपनी को प्रस्तुत कर दिये गये थे इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को अंशधारी मान लिया जाये यद्यपि वे अंशधारी के रूप में पंजीकृत नहीं थे। संदाय आयुक्त को प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से क्षति-पूरण-बन्ध लेकर भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

Reinstatement in Hindustan Steel Works Construction Ltd.

6116. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of persons reinstated in contravention of the rules by Hindustan Steel Works Construction Limited Company, Shakespeare Lane, Calcutta prior to last Lok Sabha elections indicating the posts on which they were reinstated; and

(b) under whose orders reinstatement was made and Government's reaction thereto?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) No employee was re-instated by the Hindustan Steel Works Construction Limited in contravention of rules prior to the last Lok Sabha elections.

(b) Does not arise.

क्रोम के मामले में 200 करोड़ रुपये का घोटाला

6117. **श्री शंकुल सिंह जी बघेला**
श्री अनन्त दवे
श्री किशोर लाल

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 जून 1977 के "ब्लिट्ज" साप्ताहिक में क्रोम के मामले में 200 करोड़ रुपये का घोटाला (रूपीज 200 करोड़ राकेट इन क्रोम) शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हा।

(ख) और (ग) : वर्तमान नीति के अनुसार उच्च ग्रेड के ढेलेदार क्रोमाइट के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और दूसरे ग्रेडों के क्रोमाइट का निर्यात ग्रेडवार लगाई गई कुछ सीमाओं के अनुसार विनियमित किया जाता है । इसके संरक्षण के हितों को देखते हुए ऐसा किया गया है । क्रोमाइट के निर्यात पर निर्यात शुल्क भी लगाया गया है। ओ० एम० सी० द्वारा क्रोमाइट की बिक्री काफी प्रचार करके विश्व निविदाओं के आधार पर और इसके लिए मिलने वाले सबसे अधिक मूल्य पर की गई थी।

भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीयों को पुरस्कार दिया जाना

6118. **श्री समर गुह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे दूतावासों के नाम क्या हैं जो भारतीय नागरिकों को पुरस्कार तथा इनाम देते है ;

(ख) विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रतिवर्ष ऐसे पुरस्कार तथा इनाम देने के उद्देश्य के क्या तथ्य हैं;

(ग) सोवियत दूतावास प्रतिवर्ष भारतीयों को क्या पुरस्कार तथा इनाम देता है; और ऐसे पुरस्कार तथा इनाम कितने वर्षों से दिए जा रहे हैं ;

(घ) ऐसे सोवियत पुरस्कार तथा इनाम पाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा इसके अतिरिक्त उन्हें और क्या सुविधाएं मिल रही हैं; और

(ङ) क्या पश्चिमी देशों तथा साम्यवादी देशों और विशेषकर सोवियत रूस में भारतीय दूतावास महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा भारत के महान धार्मिक नेताओं के नाम पर इसी प्रकार के पुरस्कार तथा इनाम दे रहे हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) केवल सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राजदूतावास ने ही भारतीय नागरिकों के लिए पुरस्कार शुरू किए हैं ।

(ख) और (ग) : श्री जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में सोवियत संघ ने 1965 में "महान सोवियत-भारत मैत्री निधि" के नाम से एक निधि की स्थापना की थी। भारत स्थित सोवियत राजदूतावास द्वारा प्रकाशित "सोवियत भूमि" पत्रिका ने यह निश्चय किया कि वह इस निधि से पुरस्कार देना शुरू करेगा जिन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार की संज्ञा दी गई और जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक एवं पत्रकारिता की रचनाओं के लिये, रूसी भाषा के गौरव ग्रंथों और सोवियत पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद के लिये तथा विश्व शांति एवं भारत तथा सोवियत संघ की मैत्री को संवर्धित करने के लिए रचनात्मक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में किये गये सराहनीय कार्य के लिये दिये जाते हैं। इस योजना में 10 से 13 आयु वर्ष के बच्चों को पांच इनाम देने की भी व्यवस्था है, ये इनाम उन बच्चों को दिये जाएंगे जो चित्रकारी, लेख या इसी तरह की किसी प्रतियोगिता में सफल होंगे ।

ये पुरस्कार 1965 से दिये जाते हैं। 1965 से जो पुरस्कार दिये गए हैं उनका संकेत नीचे (घ) में दिया गया है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 938/77]

(ङ) मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास ने वार्षिक "नेहरू" पुरस्कार शुरू किया है जो सोवियत लेखकों, कवियों और पत्रकारों को भारत-सोवियत मैत्री को आगे बढ़ाने में दिए गए योगदान के लिये दिया जाता है। यह पुरस्कार अप्रल, 1967 में शुरू किया गया था। नवम्बर, 1967 में दिये गए पहले "नेहरू" पुरस्कार के इनाम विजेता निम्नलिखित थे :—

(1) एन० एस० तिखोनोव—भारत के बारे में अनेक पद्यों के लेखक।

(2) मिर्जा तुरसेन जादे—"इंडियन बैलाड्स" काव्य के लेखक।

(3) जुलफिया—"मुशायरा" में अनेक कविताओं की लेखिका ।

(4) एस० ए० चुकोव—भारत के बारे में "ओनथ्द वे", "हिमालयाज", "इंडियन ब्राइड" तथा अनेक अन्य चित्रों की सीरीज के चित्रकार।

(5) इ० पी० चेलोशेव—"मोडर्न हिन्दी पोइट्री", 'हिन्दी लिटरेचर" तथा अन्य प्रबंध ग्रंथों के लेखक, भारत विद्याविद ।

(6) एस० आइ० स्युल्याव—भारत संबंधी कृतियों की शृंखला के कला समीक्षक ।

(7) ओ० पी० बेन्युस—पत्रकार, रिपोनीज "ब्रेकर आफ हार्टस"

(8) एल० वी० शेपस्निकोवा—पत्रकार, निबन्ध संग्रह "साउथ इंडिया" "जंगल रोड्स," "फ्लाइंग फिश परावा" के लिए ।

Use of Pump Designed by Dr. Saluja for Draining Out Water

6119. **Shri Harikesh Bahadur:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the reasons for which the pump designed by Dr. S. S. Saluja, Director of Institute of Technology, B.H.U. for draining out water was not used for draining out water from Chasnalla mine though Dr. Saluja was told that the pump designed by him would be used vide the news item published in the 'Times of India' dated the 17th May, 1977;

(b) whether listening to an appeal broadcast by A.I.R. on 29-12-75, Dr. Saluja visited Chasnalla and with the help of the Director-General of Mines' Safety he designed a pump on 30-12-1975 and also demonstrated the performance of the pump which could have drained out the first layer of the water within 3-4 days; and

(c) whether Government have ascertained the Capacity of the pump designed by Dr. Saluja so that they could be used in future?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a), (b) and (c): Dr. S. S. Saluja, Director, Institute of Technology, Banaras Hindu University had met Shri S. S. Prasad, the then Dy. D. G. M. S. in his office on 30th December, 1975 and suggested use of airlift pumps for the dewatering operations. Since the airlift pumps were not readily available, Dr. Saluja got two such pumps fabricated at the

workshop of IISCO limited at its Jitpur Colliery by the night of 30th December, 1975. Dr. Saluja left for Varanasi the same night and efforts were made to install these pumps. In the meanwhile, eight submersible pumps (CALMA Pump) of 800 GPM capacity and 75 metres head were received at the Chasnala mine and it was decided to install these pumps instead of the locally fabricated airlift pumps.

The efficiency of airlift pumps is low, rarely exceeding 45%, and these are normally used to supplement the main pumping effort when high pressure compressor is available and are deployed only where other pumps of better quality are not readily available. As there was no shortage of electrically operated submercible pumps of adequate capacity, the use of low-efficiency Airlift pumps using compressed air was not considered necessary. However the pumps designed by Prof. Saluja are undergoing various field trials and subject to the results of these trials and the needs of each individual case, necessary decision will be taken regarding its use at the relevant time.

सुदामडीह खानों में दुर्घटना

6120. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि सुदामडीह खानों में दुर्घटना से पूर्व तीन दिन की निरन्तर छुट्टियों के दौरान निरीक्षण कार्य में शिथिलता बरती गई थी;

(ख) क्या खानों के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने इन छुट्टियों में किसी भी दिन भूमिगत क्षेत्र का दौरा नहीं किया था तथा यहां तक कि रोस्टर ड्यूटी आदि अधिकारी ने भी खानों का निरीक्षण नहीं किया था;

(ग) क्या खानों के प्रभारी खान सुरक्षा निदेशक ने भी लगभग दो वर्षों से खानों का निरीक्षण नहीं किया था; और

(घ) सरकार का ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध क्या कायवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री(श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क)और (ख) : सुदामडीह कोयलाखान में 4 अक्तूबर, 1976 को हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए गठित जांच न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 4-10-1976 को हुई दुर्घटना से पहले की चार छुट्टियों के दौरान पर्यवेक्षण सन्तोषजनक नहीं था और 3-10-76 की तृतीय शिफ्ट में रोस्टर ड्यूटी अधिकारी और सरदार नहीं आये थे, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यवेक्षण में पूर्णतया कमी हुई । यह भी देखा गया श्री एस० के० सिन्हा को छोड़कर खान के किसी भी अधिकारी ने, चार छुट्टियों के दौरान 400 एम० एच० के कार्यस्थल क्षेत्रों का दौरा नहीं किया श्री एस० के० सिन्हा अंडर मैनेजर, जो 1-10-1976 को द्वितीय पारी में रोस्टर ड्यूटी पर थे, कार्यवाहक होरिजन प्रबन्धक के आदेशों के अनुसार निरीक्षण के लिए भूमि के नीचे चले गए, क्योंकि पारी का रोस्टर ड्यूटी सरदार अनुपस्थित था ।

(ग) क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत यह खान आती है, के इंचार्ज खान सुरक्षा निदेशक ने 4-10-1976 को हुई दुर्घटना से पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान इस खान का बार बार निरीक्षण किया ।

(घ) लापरवाह पाये गए खान अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

6121. **श्री राम दोस सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघ के नेताओं को अन्य देशों के सहयोगी श्रमिक संघ संगठनों द्वारा सेवाओं, सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रित व्यक्तियों को बहुत कम समय पर इसकी सूचना दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि श्रमिक संघ के नेता उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि पारपत्रों को समय पर जारी नहीं किया जाता है जबकि मेजबान संगठनों ने गृह मंत्री तथा विदेश-मंत्री को पूर्व सूचना देकर पहले से खरीदे गए टिक्टों सहित सभी इन्तजाम कर लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे श्रमिक संघों को पारपत्र सुविधा के जारी करने के बारे में क्या निर्णय लिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) : इस प्रकार के आमंत्रणों की सूचना या तो श्रम मंत्रालय से प्राप्त होती है या फिर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों से। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि किसी भी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के प्रयोजन से जिसके लिये इस मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो अगर उन्हें कोई पासपोर्ट-आवेदन प्राप्त हो तो उसे वे तत्काल इस मंत्रालय को भेज दें। सरकार के सम्बद्ध विभागों से परामर्श के बाद पासपोर्ट सुविधाएं प्रदान करने की इजाजत दे दी जाती है। इस प्रकार के आवेदन-पत्रों को शीघ्रातीशीघ्र निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पासपोर्ट जारी करने में होने वाले किसी भी प्रकार के विलम्ब को रोकने की दृष्टि से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

"इंडियन एक्सप्रेस" को टेलीप्रिन्टर की सुविधायें

6122. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टेट न्यूजपेपर एम्प्लाइज फेडरेशन ने एक पत्र में मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि "इंडियन एक्सप्रैस" के कार्यालय से सीधे टेलीप्रिंटर लाइन, को दी गई यह सुविधा समाप्त की जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या समाचार पत्रों के सभी मालिकों को यह सुविधा दी गई है: और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें यह विशेष सुविधा क्यों दी गई है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) 1 जुलाई, 1977 को समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि दिल्ली राज्य समाचार पत्र कर्मचारी महासंघ ने संचार मंत्री के नाम एक पत्र लिखा है कि आई०ई०एन०एस० बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रैस के कार्यालय से अहमदाबाद और अन्य केन्द्रों को एक सीधी टेलीप्रिंटर लाइन लगाने के लिये दी गई अनुमति वापस ले ली जाय।

(ख) कुछ सुविधायें देने के बारे में इंडियन एक्सप्रैस के प्रार्थना पर विचार किया गया था और केवल वहीं सुविधाएं दी गई थीं, जो पट्टे पर सर्किटें देने के नियमों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत स्वीकार्य थीं। नियमों का कोई उल्लंघन या उनमें कोई ढील नहीं बरती गई है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टोकियो स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय को भारत का योगदान

6123. **श्री विजय सिंह नाहर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोकियो स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय को भारत का क्या योगदान रहा;

(ख) उक्त विश्वविद्यालय से कितने भारतीय 'स्कालर' और वैधानिक लाभ उठा रहे हैं; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय के लिये भारत से भेजे जाने वाले 'स्कालरों' के चयन की पद्धति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत ने वर्ष 1977 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय को 75,000 अमरीकी डालर (5,45,925 रुपए) का अंशदान दिया ।

(ख) और (ग) : संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कोई अहाताबद्ध अथवा डिग्री देने वाली संस्था नहीं है और न इसके प्रशासनिक मुख्यालय में कोई छात्र आदि हैं। विभिन्न देशों की विद्यमान संस्थाओं के साथ कार्य-कलाप के कुछ चुने हुए प्राथमिकता क्षेत्रों में, जैसे विश्व में व्याप्त भूख, मानवीय एवं सामाजिक विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और विकास, संपर्क स्थापित करके इस विश्व-विद्यालय ने कार्य प्रारम्भ किया है। मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान अपनी किस्म की ऐसी पहली संस्था है जो फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस विश्व-विद्यालय के साथ संबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के लिये वर्ष 1977 के लिए 1,8 4,000 अमरीकी डालर की धनराशि आबंटित की जो विकासशील देशों के संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के शिक्षावृत्ति-भोगियों के प्रशिक्षण और इस कार्य के लिए इस संस्थान के लिए उपयुक्त साज सामान खरीदने पर खर्च की जा रही है ।

बिना लाइसेंस के रेडियो सेट

6124. **श्री रशीद मसूद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सरकार द्वारा दी गई छूट के परिणामस्वरूप फरवरी-मार्च और अप्रैल, 1977 में लोगों ने अपने बिना लाइसेंस के रेडियो सेटों के लिये कितने रेडियो लाइसेंस लिये ;

(ख) इन बिना लाइसेंस के रेडियो में से कितने रेडियो विदेशी पाये गये ; और

(ग) बिना लाइसेंस के रेडियो सेटो में वृद्धि रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) फरवरी से अप्रैल 1977 की अवधि में 14,87,617 रेडियो/टेलिविजन लाइसेंस जारी किये गये थे। इनमें वे लाइसेंस भी शामिल हैं जो सामान्य रूप से खरीदे गये रेडियो सेटों के लिये जारी किये गये थे।

(ख) डाक-तार विभाग विदेशी रेडियों सेटों के संबंध में कोई अलग आंकड़े नहीं रखता है, इसलिये यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) रेडियो/टेलीविजन लाइसेंसों का लाइसेंस शुल्क अदा करने में लोग टाल मटोल न करें, इसके लिये विभाग नियमित रूप से आवधिक अभियान चलाता है।

Building for P. & T. and Telephone Department in Junagarh, Rajkot and Jamnagar Districts, Gujarat

*6125. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of cities and villages in Junagarh, Rajkot and Jamnagar districts of Gujarat State, where buildings are being constructed for the Posts and Telegraphs and Telephone Departments and when they are likely to be completed;

(b) the names of places in the above three districts where demands for construction of new buildings have been made; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government thereon ?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) A list of places where the buildings of the Posts and Telegraphs department are under construction in the districts of Junagarh, Rajkot and Jamnagar along with their likely date of completion is given at annexure 'A'.

(b) & (c) : The buildings in the Posts and Telegraphs Department are being planned taking into consideration the needs of a particular place and the availability funds. A list of buildings which are in various stages of planning in these three districts is given at annexure 'B'.

STATEMENT

ANNEXURE 'A'

(Buildings under construction)

Name of District	Name of place	Type of building	Target date of completion
Junagarh	Talala	Post Office	31-3-78
	Rananvav	Do.	Do.
	Kutiyana	Do.	Do.
	Maliya Hatina	Do.	Do.
	Sarsai	Do.	Do.
	Shil	Do.	Do.
Rajkot	Virpur	Post Office	31-3-78
	Bhayavadar	Do.	Do.
Jamnagar	Kalavad	Post Office	31-3-78
	Raval	Do.	Do.

ANNEXURE 'B'

(Buildings under Planning)

Name of District	Name of place	Type of Building
Junagarh	Junagarh	Post Office
	Veraval	Do.
	Junagarh	Telephone Exchange.
	Porbander	Do.
	Veraval	Do.
Rajkot	Bhayavadar	Telephone Exchange
	Morvi	Do.
	Rajkot	Do.
	Rajkot	Ninety staff quarters.
Jamnagar	Jamnagar	Post Office.
	Khambhalia	Telephone Exchange.

Supply of Metals to Manufacturers of Locks Etc.

6126. **Shri Ram Prasad Deshmukh :**

Shri Sukhendra Singh :

Shri Meetha Lal Patel :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the facilities provided by Government to the manufacturers of locks, electric goods and building articles in Aligarh in procurement of brass, iron, steel, nickel plates, tin, zinc slabs and aluminium used in the manufacture of these goods;

(b) whether Government are aware that these metals are supplied from Agra which causes difficulties and higher expenditure for the manufacturers; and

(c) the action proposed to be taken by Government ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) and (b) : There is enough capacity and availability of brass, iron, steel, zinc and aluminium in the country. They are available through usual channels. In case of shortage, their import is permitted. So far as nickel and tin are concerned, as per Import policy, their import is allowed to actual users.

(c) Does not arise.

डाक और तार विभाग में जूनियर इंजीनियर से टी० ई० एस० ग्रुप-बी पद पर पदोन्नति और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये कोटा

6127. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद से टी० ई० एस०. ग्रुप-बी पद पर पदोन्नतियों के लिये कोई सूची तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया है ;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने जूनियर इंजीनियर पदोन्नत किये गए ; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटा भर लिया गया है, और यदि नहीं, तो उसे न भरने के लिए कौन उत्तरदायी है और दोषी अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) 898 उम्मीदवारों की चयन सूची में से प्रथम 500 उम्मीदवार की पदोन्नति तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप-बी में कर दी गई है ।

(ग) पदोन्नति किये गए प्रथम 500 उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं और उनमें से कोई भी उम्मीदवार अनुसूचित जन-जाति का नहीं है ।

(घ) इस संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों के अनुसार 898 उम्मीदवारों की कुल चयन सूची में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का कोटा 135 और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का कोटा 68 निकलता है। अनुसूचित जाति के केवल 23 उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध थे, इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार उनके कोटे के शेष 45 स्थान अनुसूचित जाति के 135 स्थानों के साथ जोड़ दिए गए थे। इस प्रकार उनके कोटे में 180 स्थान हो गए थे। अतः अनुमोदित सूची में चुने गए उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है :—

अन्य समुदाय	695
अनुसूचित जाति	180
अनसूचित जनजाति	23

अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची लगभग 12 महीने तक वैध रहती है। 500 उम्मीदवारों के पहले गुट को तरक्की दे दी गई है। आशा है वर्ष के दौरान जब कभी जगहें खाली होंगी, तब चयन सूची में उम्मीदवारों की श्रेणीक्रम के अनुसार शेष उम्मीदवारों को भी तरक्की मिल जाएगी।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

6128. **श्री के० मालन्ना :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में विभिन्न किस्म के इस्पात के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972–73 में विद्यमान मूल्यों की तुलना में वर्ष 1973–74 से 1976–77 तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक किस्म के इस्पात के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ग) : समय-समय पर उत्पादन शुल्क तथा रेल भाड़े और कोयले के मूल्यों में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए की गई वृद्धि को छोड़कर अक्टूबर, 1973 में लागू की गई इस्पात उद्योग के लिए दोहरी मूल्य-नीति के पश्चात् संयुक्त संयंत्र समिति के इस्पात मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 939/77]**

Invitations from African Countries

*6129. **Shri Ram Prakash Tripathi:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether he has been invited by certain African countries if so, the names thereof;

(b) whether any programme for his likely visit to those countries has been chalked out; and

(c) if so, the names of countries included in the programme?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) Yes, Sir. It is not possible to list the countries because several of the invitations have been of an informal nature.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ड्रा से बचत बैंक खातों का छूट जाना

6130. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों के किन्हीं ऐसे बचत बैंक खातों को पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ड्रा से छोड़ दिए गए जो ड्रा के पात्र थे ;

(ख) क्या संबंधित विभाग को इस प्रकार से बचत खातों को ड्रा से निकाले जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी के माध्यम से विभागीय प्रचार की घोषणाओं से पात्र जमाकर्ताओं को डाकघरों में हर छठे महिने अपने 'कोड नम्बर' देखने की पर्याप्त रूप से सलाह दी गयी थी;

(घ) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर "हां" में है तो योजनाएं विश्वास रखने हेतु जमाकर्त्ताओं को प्रेरित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जनता को हर छठे महिने 'कोड नम्बर' देखने की असुविधा से बचाने के लिए स्थायी "कोड नम्बर" देने का है?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

31-5-75 और 31-1-77 के बीच निकाले गए चार छमाही ड्रा में आठ ऐसे बचत बैंक खाते छूट गए थे जो ड्रा भाग में लेने के पात्र थे । इन चारों ड्रा में बचत बैंक खातों की कुल संख्या 166.93 लाख थी ।

(ख) ये शिकायतें ड्रा निकल जाने के बाद ही प्राप्त हुई थीं ।

(ग) ऐसे विभागीय प्रचार की घोषणाएं समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए की गई थी ।

(घ) संबंधित कर्मचारियों को ताकीद कर दी गई है कि वे भविष्य में बहुत सावधानी-पूर्वक कार्य करें ।

(ङ) जनवरी 1978 में होने वाले 8 वें ड्रा के लिए स्थायी कोड नम्बर अलाट करने का फैसला किया गया है ।

दैनिक मजूरी करने वाले मजदूरों के काम के घंटों में समानता

6131. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में सभी सरकारी विभागों में दैनिक मजूरी करने वाले और स्थाई तौर पर काम करने वाले मजदूरों के काम के घंटे समान हैं ;

(ख) यदि हां, तो काम के घंटे समान होने पर कितने हैं, और यदि उनमें अन्तर है तो काम के घंटे कितने हैं; और

(ग) सरकार ने कम से कम कितने घंटे की ड्यूटी निर्धारित की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी नैमित्तिक श्रमिकों (उन श्रमिकों सहित जिन पर न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं होता) को साप्ताहिक छुट्टी, कार्य-घंटों, रात्रि पारी और समयोपरि भत्ते के भुगतान के संबंध में न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली 1950 के नियम 23-25 में व्यवस्थित लाभ तथा सुरक्षण प्राप्त होने चाहिए। उपर्युक्त सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई और इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1961 में सभी संबंधित पत्रों को निर्देश जारी किए गए। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के काम के घंटों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्तान लीवर्स यूनियन से बातचीत

6132. **डा० बापू कालदाते :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर्स यूनियन के प्रतिनिधि 7 जुलाई, 1977 को मंत्री महोदय से मिले थे;

(ख) क्या मंत्री महोदय के सामने कुछ शिकायतें रखी गई थी;

(ग) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी समस्याओं पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) सभाव्यतः उल्लेख 7 जुलाई 1977 के अभ्यावेदन का है, जो हिन्दुस्तान लीवर मजदूर सभा द्वारा केन्द्रीय श्रम मंत्री को प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नलिखित निर्दिष्ट (I) हिन्दुस्तान लीवर की गाजियाबाद यूनिट के सर्वश्री जवाहर सिंह तथा राजवीर सिंह और दिल्ली शाखा के सर्वश्री आर० एल० गुप्ता और ए० के० सरकार, की सेवाओं की कथित अवैध समाप्ति और II ट्रेड युनियन कार्यकलाप में भाग लेने वाले अनेक पदाधिकारियों को सताया जाना। इस मामले पर हाल ही में 19 जुलाई 1977 को श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित अनौपचारिक बैठक में विचार विमर्श किया गया था। उक्त बैठक में दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार सर्वश्री आर० एल० गुप्ता और ए० के० सरकार की सेवाओं की समाप्ति संबंधी विवाद दिल्ली प्रशासन द्वारा 16 जुलाई, 1977 को श्रम न्यायालय, दिल्ली को न्याय निर्णय के लिए भेजा गया है। सर्वश्री जवाहर सिंह और राजवीर सिंह की सेवाओं की समाप्ति संबंधी विवाद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि इस मामले में समुचित सरकार है, न्याय निर्णय के लिये भेजा गया है।

टेलीफोन सलाहकार समितियों में कमी

6183. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन सलाहकार समितियों की संख्या और उनकी सदस्य संख्या में भारी कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1975-76 में इन समितियों (प्रत्येक के सदस्यों के नाम सहित) की संख्या का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां विद्यमान थी ?

संचार मंत्री (श्री बंसीलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) डाक-तार विभाग ने टेलीफोन सलाहकार समितियों के गठन और उनके कार्यकरण के समूचे प्रश्न का पुनरीक्षण किया है। यह फैसला किया गया है कि टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाए।

(ग) 1975 में 70 और 1976 में 41 टेलीफोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही थी। ये टेलीफोन सलाहकार समितियां जिन स्थानों पर काम कर रही थी, उनके नाम और प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या का उल्लेख अनुबंध में कर दिया गया है।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां वर्ष 1975 और/या 1976 के दौरान टेलीफोन समाहकार समितियां विद्यमान थी

क्रम संख्या	स्थान का नाम	सदस्यों की संख्या
1	अगरतला	10
2	आगरा	12
3	अहमदाबाद	9
4	अजमेर	9
5	अकोला	7
6	इलाहाबाद	19
7	अलेप्पी	7
8	अम्बाला	9
9	अमृतसर	8
10	आसनसोल	7
11	बंगलूर	14
12	बरेली	12
13	बड़ौदा	9
14	बेलगाम	7
15	भावनगर	7
16	भोपाल	20
17	बम्बई	26
18	चंडीगढ़	11
19	कटक	7
20	दिल्ली	28
21	डिब्रूगढ़	7
22	दुर्गापुर	8

विवरण—जारी

क्रम संख्या	स्थान का नाम	सदस्यों की संख्या
23	इरोडे	7
24	एर्नाकुलम	9
25	गोहाटी	8
26	गोवा	7
27	गोरखपुर	7
28	गुंटूर	7
29	ग्वालियर	9
30	हुबली	7
31	हैदराबाद	14
32	इंदौर	8
33	जबलपुर	7
34	जयपुर	22
35	जामनगर	8
36	जमशेदपुर	9
37	झरिया	8
38	जोधपुर	13
39	जालंधर	7
40	कानपूर	22
41	कोझीकोड	9
42	कोटा	7
43	कोट्टायम	6
44	लखनऊ	23
45	लुधियाना	16
46	मद्रास	12
47	मंगलोर	7
48	मेरठ	13
49	मुरादाबाद	10

विवरण—जारी

क्रम संख्या	स्थान का नाम	सदस्यों की संख्या
50	मुजफ्फरनगर	9
51	मुज़फ्फरपुर	11
52	मैसूर	8
53	नडियाड	7
54	नागपुर	9
55	नासिक	7
56	पटना	11
57	पांडिचेरी	6
58	क्वीलोन	8
59	रायपुर	6
60	राजकोट	7
61	रांची	6
62	राउरकेला	7
63	सलेम	7
64	शिलांग	11
65	शोलापुर	7
66	शिमला	11
67	श्रीनगर	9
68	सूरत	9
69	त्रिरूनेलवेल्ली	7
70	त्रिचुर	7
71	त्रिवेन्द्रम	11
72	उदयपुर	10
73	वाराणसी	13
74	विजयवाड़ा	7
75	विशाखापत्तनम्	7

पोलियो वैक्सीन की कमी

6134. **श्री के० राममूर्ति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक अस्पतालों में पोलियो वेक्सीन की कमी है;

(ख) सभी अस्पतालों में पोलियों के टीके सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार पोलियो के टीकों का आयात करने का है, यदि हां, तो इन्हें किन देशों से आयात किया जायेगा;

(घ) 1976-77 के दौरान देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पोलियो के कितने मामलों का पता चला है तथा कितने मामलों में रोगियों का इलाज किया गया है; और

(ङ) इसके रोगियों की प्रतिशतता क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं। वैसे, कुछ अस्पताल इस वैक्सीन का स्टाक नहीं रख रहे होंगे ।

(ख) देश में खायी जाने वाली पोलियो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यह वैक्सीन हैफ्किन बायो फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा देश का कोई भी अस्पताल इसे खरीद सकता है।

(ग) इस समय हैफ्किन बायो-फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई इस वैक्सीन को रूस से आयात करता है।

(घ) 1976 के दौरान 9206 रोगियों का इलाज किया गया।

(ङ) देश भर में इस बीमारी से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए इसके बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

दस या इससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का लागू किया जाना

6135. **श्री मनोहर लाल :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस या इससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और योजना 1952 लागू करने सम्बन्धी एक विधेयक श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समकक्ष है, पहले किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसे संसद में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया और वह संसद के अनुमोदन के लिए कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव उक्त अधिनियम को दस या उस से अधिक व्यक्तीयों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने के बारे में है।

इस्पात उत्पादों के लघु निर्माता

6136. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**

श्री मीठालाल पटेल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों से सीधे इस्पात की अपनी मांग की पूर्ति करने के लिए इस्पात उत्पादों के छोटे निर्माताओं को अनुमति देना सरकार के लिए वांछनीय होगा;

(ख) क्या इस्पात के कारखाने पर मूल्य और बाजार मुल्य में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) परिवहन सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से सामान्य निति यह है कि जहां तक संभव हो इस्पात के प्रेषण पूरी गाड़ी में किये जाये। लेकिन लघु इस्पात इकाइयों को मदद करने के लिए राज्य लघु उद्योग निगमों को वैगन भार में प्रेषण किए जाते है। हाल ही में सरकार ऐसी इकाइयों को जिनकी अपनी साइडिंग है, प्लेटें, संरचनात्मक, गर्म बेलित क्वायल चादरें, ठंडी बेलित क्वायल चादरें वैगन भार में सप्लाई करने का भी फैसला किया गया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) आपूर्ति, मांग तथा बाजार की अन्य परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर इनमें घट-बढ़ होती रहती है। कभी यह कम हो जाता है कभी यह बढ़ जाता है।

पंजाब नेशनल बैंक तथा इसके कर्मचारियों के बीच विवाद

6137. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब-नेशनल बैंक के प्रबन्धकों तथा उक्त बैंक के कर्मचारियों के बीच लिपिकों तथा विशेष सहायकों की पदोन्नति के बारे में पदोन्नति नीति सम्बन्धी समझौतों को गैर-कानूनी रुप से समाप्त करने के बारे में एक औद्योगिक विवाद प्रादेशिक श्रम आयुक्त, (केन्द्रीय), कानपुर के समक्ष लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के पूरे तथ्य क्या हैं और श्रम आयुक्त ने क्या निर्णय किया;

(ग) क्या इस मामले को न्याय निर्णय के लिये नहीं निर्देशित किया जा सका और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार अपने पहले निर्णय पर, जो कुछ राजनैतिक दबाव में आकर किया गया था, फिर से विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धकों तथा अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी फैडरेशन के बीच क्लर्कों और विशेष सहायकों की अधिकारियों के रूप में पदोन्नति, अधिकारियों की सीधी भर्ती तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में नीति और कार्य विधि के सम्बन्ध में 16-6-73 को 5 वर्षों के लिए समझौता किया गया।

2. पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धकों ने फेडरेशन को 10-1-76 को एक नोटिस दिया कि 16-6-73 का समझौता 31-3-76 से समाप्त हो जायगा। उन्होंने क्लर्कों और विशेष सहायकों को अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिए नई नीति और कार्य विधि निर्धारित करने वाला एक परिपत्र 21-4-76 को जारी किया जो कि समझौते में इस बारे में निर्धारित नीति और कार्य विधि से भिन्न है। उन्होंने अपने परिपत्र तारीख 21-4-1976 में प्रबन्धकों द्वारा अपनाई गई नई नीति और कार्य विधि के अनुसरण में अधिकारियों के रूप में चयन हेतु एक परीक्षा/साक्षात्कार के लिए क्लर्कों और विशेष सहायकों से आवेदन पत्र देने हेतु 1-5-1976 को एक और परिपत्र जारी किया।

3. सेक्रेटरी, अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी फेडरेशन ने 23-4-76 को एक औद्योगिक विवाद उठाया। जिसमें उन्होंने प्रबन्धकों की कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि 10-1-76 को प्रबन्धकों द्वारा जारी किया गया पदच्युति का नोटिस अवैध था, क्योंकि यह समझौते की अवधि के दौरान जारी किया गया था और प्रबन्धकों द्वारा समझौते की शर्तों का अतिक्रमण करते हुए नई पदोन्नति नीति को एक पक्षीय रूप से बनाना तथा लागू करना अवैध तथा अनुचित था।

4. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर द्वारा 19-6-76 को यह विवाद में समझौता कार्यवाही के लिए ले लिया गया, किन्तु कोई समझौता न कर सकने के कारण उन्होंने केन्द्रीय सरकार को समझौते की विफलता रिपोर्ट भेज दी, जो सरकार को 26-6-76 को प्राप्त हुई।

5. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर से समझौते की विफलता रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से यह मामला सरकार के विचाराधीन है। अब प्रबन्धकों ने इस विवाद में सौहार्दपूर्ण समझौते करने के लिए और प्रबन्धकों द्वारा अपनाई गई नई पदोन्नति नीति तथा कार्यविधि की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है, जिसमें प्रबन्धकों के तीन प्रतिनिधि और फेडरेशन के तीन प्रतिनिधि हैं। समिति की 23-5-77, 11-6-77 और 16-7-77 को तीन बठकें हो चुकी हैं तथा वह मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है।

मैडीकल कालेजों में सीटों की संख्या में वृद्धि

6138. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सब सरकारी मैडीकल कालेजों को निदेश दिये हैं कि वे अपने कालेजों में सब योग्य विद्यार्थियों को मडिकल ग्रुप में प्रवेश दें;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे यह भी कहा गया है कि यदि सभी को प्रवेश देने के लिए स्थानों में वृद्धि की आवश्यकता हो, तो स्थानों की संख्या भी बढ़ाई जाए;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के कितने कालेजों ने केन्द्रीय सरकार के अनुदेश स्वीकार किये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार उन विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए नये मैडिकल कालेज खोलने पर विचार कर रही है जिन्हें उक्त कालेजों में प्रवेश नहीं मिल सका; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का मूल्य

6139. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात का वर्तमान मूल्य क्या है और 31 मार्च, 1975 और 31 मार्च, 1976 को क्या था;

(ख) क्या इस्पात पर उत्पादन शुल्क कम किये जाने के बाद, देश में गत 3 महीनों के दौरान मूल्यों में भारी कमी हुई है;

(ग) क्या दुकानदार स्टेनलैस स्टील के बर्तन बड़े ऊंचे भाव पर अर्थात 80/- से 100/- रुपये प्रति किलों की दर से बेच रहे हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) प्रश्न के भाग (ग) को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल बेदाग इस्पात की मदों के बारे में ही जानकारी मांगी गई है। दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के बेदाग इस्पात की मदों के निर्धारित मूल्य नीचे दिए गए हैं इनमें बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं :—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

मद	31-3-75 को	31-3-76 को	31-3-77 को
गर्म बेलित चादरें 1.25 मि० मी० .	44	44	44
प्लेटें 8 मि० मी० . . .	27	32	32
गोल छड़ 22 मि० मी०/80 मि० मी० .	18	21	24
गोल छड़ 80 मि० मी०/100 मि० मी० .	19		

जहां तक आयातित बेदाग इस्पात की चादरों का सम्बन्ध है, बर्तन बनाने के लिए इन्हें केवल फरवरी, 1976 से दिया गया है। बर्तन निर्माताओं को दी गई आयातित बेदाग इस्पात की चादरों के वास्तविक उपयोक्ता (गोदाम का मूल्य) विक्रय मूल्य निम्न-लिखित थे :—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

बेदाग इस्पात की चादरें	31-3-76 को	31-3-77 को
26 जी० . . .	72.00	72.00
24 बी० जी० . .	66.10	66.10
22 जी०	65.00	65.00

(ख) बेदाग इस्पात की चादरों और प्लेटों आदि पर आयात शुल्क 320% से घटाकर 220% करने के फलस्वरुप दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादित बेदाग इस्पात की मदों के संशोधित मूल्यों के बारे में हिसाब लगाया जा रहा है और इन मूल्यों के बारे में घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी । फिर भी, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 22 जुलाई, 1977 से आयातित बेदाग इस्पात की चादरों के मूल्य कम कर दिए हैं जो इस प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

26 जी	57.00
24 बी० जी०	56.00
22 जी०	55.00

(ग) और (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Employees Dismissed in Ministry of Health and Family Welfare under Family Planning Programme

6140. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of those officers and employees under the control of his Ministry whose services were terminated for their failure in covering the entire country by the family planning programme;

(b) the number of those among such officers and employees who have so far been taken back in service; and

(c) whether his Ministry would pay to the officers and employees, dismissed from service during the emergency, the salary for the period for which they remained out of service ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The services of none of the officers and employees under the control of Ministry of Health and Family Welfare were terminated for their failure in covering the entire country by the Family Welfare Programme. The Staff working under the State Governments/Union Territories administrations is not included among those under the control of union Ministry of Health and Family Welfare.

(b) & (c) : Does not arise.

Demands of Uttar Pradesh Malaria Karamchari Sangh

6141. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh Malaria Karamchari Sangh presented to him a charter of demands on the 17th April, 1977;

(b) if so, the main demands contained therein;

(c) whether these demands were examined by Government; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes.

(b) A Statement containing the main demands of the Uttar Pradesh Malaria Karamchari Sangh is enclosed.

(c) & (d) As the workers are employees of the State Government, a copy of the letter of the Karamchari Sangh has been sent to the State Government for taking necessary action.

STATEMENT

The following are the demands presented by the U.P. Malaria Workers' Association :—

(1) That the Assistant Malaria Maintenance Officers (AMMOs) are 87 in U.P. and are serving the department from last 24 years and have gained a vast experience of *Malaria work* and other field work and are technically trained Science Graduates having passed a special malaria training course from Delhi and Lucknow Malariology Training Centres.

(2) That the above 87 Posts of Assistant Malaria Maintenance Officers were made "Permanent" by the G.Os. issued by U.P. Government during the year 1972 to 1974.

(3) That great disappointment is prevailing among Malaria Workers as the above posts which were made permanent by the State Government are now being abolished under the modified Plan of Central Government prepared by outgoing Congress Ministry and is going to be enforced shortly by *State Government in U.P.*

(4) That out of twelve thousands Malaria Workers, who are serving the department from last 20 to 24 years the services of only 8 persons are confirmed and doors of Promotion to the District level posts are entirely blocked, while in other States like Mysore, Madras and M.P. etc. persons from lower cadres are promoted to the district level officers. In the light of the above facts it is requested that the newly created 56 posts of District Malaria Officers (D.M.Os) may kindly be filled by giving promotions to the existing Assistant Malaria Officers (AMMOs) and in this way all the senior persons will be absorbed in the new Pattern and the doors of Promotions will be opened which will give a new impetus for work to the frustrated Workers.

(5) That to appoint a new M.B.B.S. doctor on the above posts of D.M.Os. is in no way beneficial for the malaria scheme as he has no practical knowledge or training of Malaria field work, Spraying technique and supervision-cum-checking of Surveillance staff etc. etc.

(6) That a new M.B.B.S. doctor can better serve in villages Mobile dispensaries by writing Prescriptions and giving medicines to the poor sufferers instead of being absorbed in Malaria Scheme as D.M.O. where he has no medicall work to perform.

(7) As regards the medical guidance and supervision the post of C.M.O. is entirely sufficient to guide the above Malaria Officers who will be directly placed under him.

(8) At present from PHC level to the distt. level M.B.B.S. doctors have occupied all the important posts and are always available for guidance on malaria also. Now to appoint new hands as D.M.Os. and to discard the old experienced and technically *trained persons in Malariology with extraordinary field experience of* 20 *to* 24 *years* of service is to deny justice to the above workers.

(9) That in calculating the financial aspects a great saving will also be made by Govt. by giving promotions to the above Asstt. Malaria Officers because their selection grade is Rs. 400 to Rs. 700/- instead of M.B.B.S. doctors scale of Rs. 500 to Rs. 1200/-.

(10) That if doors of promotion to D.M.Os posts are opened for these unfortunate, long neglected and disappointed Malaria Workers then all the present workers i.e. 87 posts of A.M.M.Os. plus 22 posts of A.U.O.S. plus some senior cadres of SMI, and SLTs will be absorbed in this modified plan and thus there will be no retrenchments or danger to the services of the present workers by the abolition of certain categories of posts which has been made in the modified plan.

(11) That the posts of senior Malaria Inspector and Senior Lab Technician are the important link of Malaria Organisation and by abolition of these posts (as envisaged in Plan) the working Pattern at district level will entirely be dislocated and will prove suicidal for the whole scheme.

(12) That right from the start of Malaria Programmes (NMCP) in 1952 till this date i.e. 1977 all the officers from Centre Malaria Institute Delhi or from Lucknow, who paid frequent inspection visits to the Distt. Headquarters always promised a bright future for the above workers and never allowed them to join other services.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

6142. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कर्मचारी संघ, बम्बई से ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या ज्ञापन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्य में कुप्रबन्ध की अनेक शिकायतें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी है, इसलिये ज्ञापन की एक प्रति परिषद के अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी गई है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० के इंजीनियरों की 13 सूत्री मांगें

6143. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री निर्मल चन्द्र जैन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के लगभग 1500 इंजीनियर अपनी 13 सूत्री मांगों पर जोर देने के लिए 18 जून से "नियमानुसार कार्य" करने का आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है और उनकी मांगों का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के बोकारो तथा भिलाई में नियुक्त लगभग 900 इंजीनियरों ने 18 जून, 1977 से 29 जून, 1977 तक "नियमानुसार कार्य" किया था। एसोसिएशन की मांगों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के प्रबन्ध निदेशक को इंजीनिअर्स ऐसोसिएशन के साथ 29-6-1977 को बातचीत होने के पश्चात् 5 जुलाई, 1977 को ऐसोसिएशन ने आन्दोलन वापिस ले लिया था। की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा अब उन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार थीं :—

(1) तकनीकी सहायक के पद का नाम बदल कर सहायक इंजीनियर किया जाए तथा सभी तकनीकी सहायकों/सहायक इंजीनियरों की एक वर्ष की सेवा के पश्चात् सहायक प्रभागीय इंजीनियर के पद पर पदोन्नति की जाए।

(2) हाल में दो महीनों के अन्दर पहिले स्वीकृत किए गए महाप्रबन्धकों, मुख्य अभियंता और उप-मुख्य अभियन्ताओं के पदों में वृद्धि की गई है। अपनी कंपनी का विस्तार होने से हमारा साहस बढ़ा है और हम आशा करते हैं कि अन्य काडरों के पदों में भी उसी अनुपात में वृद्धि की जायेगी। सभी काडरों में पात्र उम्मीद्वारों की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल पदोन्नति की जाए।

(3) विशेषज्ञता के नाम पर बाहर से भर्ती बन्द की जाए और चल रहे साक्षात्कार/की जा रही नियुक्तियां रद्द की जाएं।

(4) आपातकाल की अवधि में पक्षपात द्वारा सलेक्शन ग्रेड के पदों पर की गई पदोन्नतियां रद्द की जानी चाहिए।

(5) आपात काल की अवधि में सेवा मुक्त किए गए इंजिनियरों को पुनः सेवा में लिया जाना चाहिए।

(6) प्रत्येक पद के उत्तरदायित्वों तथा कर्त्तव्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इन पदों में परस्पर हस्तक्षेप न हो सके।

(7) उच्चतर शिक्षा के लिए अवकाश सुविधाएं प्रदान की जाय तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उम्मीद्वार नामित करने की योजना को तत्काल आरंभ किया जाय।

(8) जिन व्यक्तियों ने ठेके की एक अवधि को पूरा कर लिया है उन्हें सेवा निवृत्ति पर तत्काल स्थायी किया जाए।

(9) सभी परियोजनाओं के सभी इंजीनियरों को आवास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(10) केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सीटें रक्षित की जानी चाहिए।

(11) सेल की अन्य सहायक कंपनियों की भांति सभी परियोजनाओं में वाहन भत्ता देने की व्यवस्था की जाए।

(12) इकाइयों तथा मुख्यालय के स्तर के प्रबन्धकों द्वारा नीति विषयक निर्णय लेते समय ऐसोसिएशन को भी सहयोजित किया जाना चाहिए।

(13) बाहर रोजगार प्राप्त करने के बारे में दिये गये आवेदनों को बिना प्रतिबन्ध लगाये भेज देना चाहिए।

पेट के रोग

6144. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में पेट के रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या नगर में जल-दूषण उक्त रोगों की अचानक वृद्धि का कारण है; और

(ग) इस प्रकार के रोगों की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां, पेट के रोगों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) जल-दूषण को ही पेट के अधिकांश संक्रामक रोगों का कारण समझा जाता है।

(ग) नगर पालिका स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा साफ जल तथा खाद्य आपूर्ति, बेहतर सफाई, मल का उपयुक्त ढंग से निकास जैसे उपाय किए जा रहे हैं। "जल (दूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम" नामक एक कानून भी 1974 में बना दिया गया है।

दिल्ली के जूनियर डाक्टरों से अभ्यावेदन

6145. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के भूतपूर्व उप-राज्यपाल श्री किसन चन्द ने उन 13 जूनियर डाक्टरों के विरुद्ध सेवा-समाप्ति और कानूनी कार्यवाही को वापस लेने के बारे में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्ण सिंह के आदेशों की अवहेलना की थी, जिन्होंने 1974 की हड़ताल में भाग लिया था;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में डाक्टरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा हुआ है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) श्री किशन चन्द के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) डा० कर्ण सिंह ने भूतपूर्व उप-राज्यपाल को कानूनी कार्यवाही वापिस ले लेने पर विचार करने की सलाह दी थी।

(ख) और (ग) कानूनी कार्यवाही हाल ही में वापिस ले ली गई है।

(घ) चूंकि उप-राज्यपाल के लिए डा० कर्ण सिंह की सलाह मानना अनिवार्य नहीं था, इसलिए इस पर कोई भी कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है।

Setting up of Mini Exchanges/Special Circuits

6146. **Shri Ravindra Pratap Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether some mini exchanges/special circuits were set up in various parts of the country during March-April, 1977;

(b) if so, the places where these circuits were set up and the criteria for selection of places therefor;

(c) whether senior officers of P&T Department had visited these places; and

(d) if so, their names and purpose of their visit to these places?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) to (d) : The information is being collected and will be placed on the table of the House subsequently.

सी० आई० टी० अध्यापक प्रशिक्षण

6147. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्जन रोड, नई दिल्ली स्थित आई० टी० आई० से जिन प्रशिक्षणार्थियों ने कटाई सिलाई का पाठ्यक्रम पास किया था उन्हें अगले वर्ष के अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की अनुमति नहीं है वरन् उन्हें एक वर्ष बीतने पर उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की अनुमति है;

(ख) क्या उससे शिक्षा का एक मूल्यवान वर्ष बेकार जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें सी० आई० टी० अध्यापक प्रशिक्षण अगले पाठ्यक्रम में तुरन्त प्रवेश की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) उन प्रशिणार्थियों को, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्जन रोड, नई दिल्ली से कटाई और सिलाई का पाठ्यक्रम पास करते हैं, महिला अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य होने से पहले, कुछ समय के लिए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है ।

(ख) अतः व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में व्यतीत समय को बेकार नहीं समझना चाहिए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1977-78 में दूर संचार सुविधाओं की व्यवस्था

6148. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे नगरों की संख्या कितनी है जहां संचार मंत्रालय का विचार दूर संचार सुविधायें की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) क्या वर्ष 1977-78 में क्रियान्वित की जाने वाली योजना में महाराष्ट्र के अहमदनगर और शिरजमपुर भी सम्मिलित हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : वर्ष 1977-78 के दौरान देश में 2000 जगहों पर लंबी दूरी के नये सार्वजनिक टेलीफोन घर और 2300 जगहों पर नये तारघर खोलने का प्रस्ताव है । महाराष्ट्र में अहमदनगर और श्रीरामपुर (शिजपपुर नहीं) में दूर संचार सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं ।

'इन्सटान्ट रजिस्ट्रेशन बुकिंग' पद्धति

6149. **श्री प्रजापति मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इन्सटान्ट रजिस्ट्रेशन बुकिंग' की अनुठी पद्धति अहमदाबाद में लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो लागू की गई इस अनूठी पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यह पद्धति अन्य राज्यों में भी लागू की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अहमदाबाद के बड़े डाकघर में एक विशेष लेटरबक्स लगाया गया है । जो लोग रजिस्ट्री पत्र भेजना चाहते हैं, वे अपने रजिस्ट्री पत्र काउन्टर पर देने के बजाय इस विशेष लेटर बक्स में डाल सकते हैं । इस लेटरबक्स से सुविधाजनक अन्तराल पर डाक की निकासी की जाती है और रजिस्ट्री डाक वस्तुओं की विधिवत् बुकिंग की जाती है। रजिस्ट्री को रसीद डाकघर में रख ली जाती है। इस व्यवस्था से रजिस्ट्री पत्रों के उन प्रेषकों को, जो रसीद नहीं लेना चाहते, काउन्टर पर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती ।

(ग) शुरू में सात डाक सर्किलों में यथा आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रयोग के तौर पर तत्काल रजिस्ट्री बुकिंग की प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है।

विशाखापत्तनम में एल्यूमीनियम परियोजना

6150. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम जिले में एल्यूमीनियम परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-तालिका तैयार की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस जिले में एक प्रद्रावक परियोजना (स्मैल्टर प्रोजेक्ट) स्थापित करने के बारे में कोई दृढ निश्चय भी किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजु पटनायक) : (क) और (ख) : इस समय पूर्वी तट के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है, जो इस उत्पादन के निर्यात के लिए होगा। परियोजना का वास्तविक विस्तार उत्पाद की मांग और साध्यता अध्ययन, जो अभी शुरू किया जाना है, निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

दिल्ली और बम्बई में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात

6151. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और बम्बई में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन परियोजनाओं के लिए इस सीमा तक क्षोभ तथा परेशानी का कारण बन गयी है कि उनको ठीक ही आड़ (क्रास) और रुकावट (बार) कहा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली और बम्बई में इन एक्सचेंजों के असंतोषजनक कार्यकरण के बावजूद क्रासबार एक्सचेंजों के उपकरणों का बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) पेंटाकोंटा टाइप के क्रासबार एक्सचेंज सबसे पहले वर्ष 1967 में मद्रास, बम्बई और दिल्ली में स्थापित किए गए थे। उनमें कुछ तकनीकी समस्याएं खड़ी हो गई थीं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को असुविधा और परेशानी हुई। इन समस्याओं का पता लगाने, उनमें सुधार लाने और इन एक्सचेंजों के कार्यकरण को उन्नतिशील बनाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के दायरे में उपर्युक्त प्रकार के वे एक्सचेंज भी शामिल हैं जिनका उत्पादन भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा किया जा रहा है और जो प्रतिवर्ष करीब 60,000 लाइनों की दर से इस समय स्थापित किये जा रहे हैं। क्रासबार एक्सचेंजों में आवश्यक संशोधन कर देने के बाद समूचे देश में उनके कार्यकरण में निरन्तर सुधार आया है।

(ख) और (ग) : भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा अपने देश में 150,000 लाइनों के स्ट्राउजर और 60,000 लाइनों के क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन किया जा रहा है। तथापि, टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में योजनाबद्ध विस्तार करने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक हो गया है कि समुचित आयात कर के भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा की जाने वाली सप्लाई की कमी की पूर्ति की जाए पटाकोंटा के अलावा अन्य प्रकार के क्रासबार उपस्कर, जिनका कार्यकरण बेहतर समझा जाता है, इस उद्देश्य के लिए आयात किए गए हैं। विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत विश्वभर से मंगाए गए टेंडरों के आधार पर 1974 में एक 10,000 लाइनों का एक स्वीडिश क्रासबार उपस्कर आयात किया गया था जो दिल्ली में ईदगाह में बहुत संतोषजनक रूप से काम कर रहा है। अहमदाबाद, बम्बई, कलकता और दिल्ली के लिए दूसरे विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत विश्वभर से मंगाए गए टेंडरों के आधार पर 1975–76 में 80,000 लाइनों के जापान के क्रासबार एक्सचेंजों का आर्डर दिया गया है।

येन ऋण के अन्तर्गत जापान के क्रासबार एक्सचेंजों का और आयात करने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन एक्सचेंजों से विश्व के अन्य देशों में संतोषजनक सेवा प्राप्त हुई है।

Posting of Doctors Selected by U.P.S.C.

6152. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the places where doctors selected by the U.P.S.C. for Union Territories are posted;

(b) the period after which transfers are made from one place to another;

(c) whether efforts are made to retain Hindi speaking doctors in Delhi and the Tamil, Telugu and Konkani speaking doctors are posted in Pondicherry and Goa; and

(d) the number of Hindi speaking doctors working in the Pondicherry at present and the time by which their transfer to Hindi speaking area is done?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The information is given in the attached statement.

(b) The stations in which the CHS posts are situated have been categorised as Category 'A', Category 'B', Category 'C' and Category 'D'. To make the transfer pattern workable, transfers are done from one group of stations to the other and *vice-versa* by combining stations in Categories 'A' & 'B' and in Categories 'C' & 'D'. Normally, the period of posting at a station in a Category is given below:—

For Category A ..... 5 years

For Category B ..... 4 years

For Category C ..... 3 years

For Category D ..... 2 years

The pattern was formulated in 1971 but it has not been possible to follow it strictly in many cases due to administrative constraints.

(c) The Officers recommended by the U.P.S.C. for the categories of Specialist Gr./GDOI (senior-scale) are posted to the Institution/Organisation for which they are specifically selected by the Commission. However, in the case of GDO (Junior class I scale) Officers, efforts are made to post them to the station/areas to which they originally belong subject to availability of posts and administrative convenience.

(d) At present there are about 37 Hindi speaking doctors of the Central Health Service who are working in Pondicherry. The transfers are effected in accordance with the 'Transfer Pattern' as detailed in part (b) above but this cannot always be observed strictly due to administrative difficulties. As and when any Officers represents or requests for his transfer, the matter is given due consideration.

STATEMENT

Name of the Union Territory	Places of posting of CHS Officers selected by the U.P.S.C.
1. Dadra & Nagar Haveli	(i) Maroli (ii) Silvasa (iii) Dudni (iv) Khanwal (v) Kilvani.
2. Delhi	(i) Delhi (ii) New Delhi (iii) Najafgarh (iv) Ujhava (v) Village Chawla.
3. Andaman & Nicobar Islands	(i) Port Blair (ii) Car Nicobar.
4. Goa, Daman & Diu	(i) Goa Medical College, Panaji (ii) Pilliem Darbandra, Goa.
5. Lakshadweep	(i) Agatti Islands (ii) Amini Islands (iii) Androth Islands (iv) Chetlat Islands (v) Kadmat Islands.
6. Pondicherry	(i) Pondicherry. (ii) Ramanathapuram.

Budget Allocation for N.L.I.

6153. **Shri Ramji Lal Yadav:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the names of the four wings of the National Labour Institute;

(b) the names of the Director/Chairman/Incharge and other officers of each wing alongwith the qualifications, experience and the dates of appointment of each of these persons; and

(c) the allocations made in the budget for 1977-78 for the Institute and full details of the work done in the Institute up till now?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a)

(i) Education, Training & Orientation;

(ii) Research including Action Research;

(iii) Consultancy; and

(iv) Publication as per the Memorandum of Association.

(b) Dean is the principal Executive Officer of the Institute. The Institute functions as one unit. There are no Directors/Chairman for any of these Wings. However, there are Senior Fellows, Fellows, Associate Fellows etc. in the Institute.

A statement containing the names, education, qualifications, past experience and date of appointment of the faculty Members of the Institute is appended (Statement I).

(c) The Budget Allocation for the year 1977-78 is Rs. 20.31 lakhs.

A statement showing the full details of work done is attached. [*Placed in Library. See No. L. T.* 940/77]

Scheme to educate Labourers

6154. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether keeping in view the useful methods adopted by the educated labourers of Japan to meet their demands such as increase in production, enhancement in working hours etc., Government propose to formulate any scheme to educate the labourers during their spare time and to entrust them the responsibility of looking after the interest of the country, industry and themselves; and

(b) if so, the outlines thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) & (b) : A workers' education scheme introduced in 1958, and which is evaluated and modified from time to time, seeks to equip the organised labour to take its place and play its part in a democratic society and to fulfil effectively its social and economic functions and responsibilities. The Scheme is administered through the Central Board for Workers' Education whose report is presented annually before Parliament. The Workers' Education programme is also dealt with in the Annual Report of the Ministry of Labour which is placed before Parliament.

तमिलनाडू में चिकित्सा शिक्षा

6155. **श्री बी० एम० एलनचेजियन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तमिलनाडु में तथा विशेष कर त्रिची जिले में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिची में वहां आसपास के क्षेत्रों के छात्रों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए एक चिकित्सा कालेज खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) तमिलनाडु राज्य में 9 मेडिकल कालेज हैं और, इसलिए, उस राज्य में चिकित्सा शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं । त्रिची जिले के बारे में राज्य सरकार से कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कोई नया मेडिकल कालेज खोलने का विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शिलांग में जी० पी० ओ०

6156. **श्री होपिंग स्टोन लिंगडोह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग जी० पी० ओ० श्रेणी–1 को अवनत कर के केवल साधारण ए० ए स० जी० पी० ओ० में बदल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Number of Registered Practitioners and Registration Agencies

6157. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of registered Allopathic, Ayurvedic, Homoeopathic, Unani, Misrani (Egyptian and Arabic) and Naturopathic doctors in the country as on 20th July, 1977; and

(b) the number of registration agencies recognised by Government of India for various systems of medicines in the country and the locations thereof?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ईचलकरंजी, महाराष्ट्र में प्रधान डाकघर की इमारत

6158. **श्री आर० एस० माने** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ईचलकरंजी में प्रधान डाकघर की इमारत का निर्माण करने के लिये भारत सरकार ने खुली जगह अर्जित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि की खरीद पर कितनी राशि खर्च की गई है और यह राशि किस वर्ष खर्च की गई है;

(ग) क्या इस इमारत का निर्माण करने के लिये इस वर्ष के दौरान कोई व्यवस्था की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या स्थानीय नगर परिषद अपने संसाधनों में इस शर्त पर धन-राशि खर्च करने को तैयार है कि उसे वह राशि 20 वर्ष के बाद लौटा दी जाये ; और यदि हां, तो क्या भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और क्या सरकार वहां पर कार्य को शुरू कराने के लिये महाराष्ट्र सरकार तथा स्थानीय नगर के प्राधिकारियों से बातचीत कर रही है; और

(ङ) सरकार यह कार्य कब तक कार्यान्वित करेगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस भूमि का अधिग्रहण 6-1-73 को किया गया था और इस पर 17467.25 रुपये लागत आई थी।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रस्ताव स्थानीय नगरपालिका की ओर से आया था, परन्तु महाराष्ट्र सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई।

(ङ) डाक-तार विभाग इस इमारत के निर्माण के संबंध में छठी पंच वर्षीय योजना की अवधि में विचार करेगा।

Protest by Pakistan Government about Indian Prime Minister's Talks with French Leaders on Atomic Race

6159. **Shri Sharad Yadav** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Pakistan Government have strongly protested against the 'Samachar' report that the Indian Prime Minister has apprised the French leaders about the need to end the danger of the atomic race in the sub-continent, as reported in the 3rd July, 1977 issue of the Pakistani Weekly "Dawn Overseas";

(b) whether the Prime Minister of India has contradicted this report; and

(c) whether any protest note has been received from Pakistan Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) On June 25, 1977, a spokesman of the Ministry of Foreign Affairs of the then Government of Pakistan strongly deplored a Samachar report alleging that during the Prime Minister's recent visit to Paris, he raised the question of the sale to Pakistan of a French nuclear reprocessing plant and a number of related issues with the French President and Prime Minister.

(b) The Prime Minister denied the report at a press conference in Srinagar on June 27, 1977.

(c) No, Sir.

Opening of Post Office at Himayunpur

6160. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is no post office in Partapnagar, Himayunpur, Akbarpur-Garhi etc. villages situated about 8 miles away from Mawana under the Gangakhadar scheme (Mawana Mureet) as a result even important letters are delivered to the inhabitants there in two weeks;

(b) whether a post office was opened last year at Meenva village situated at 3 miles away from Mawana but no postman was appointed there for mail delivery in the villages; and

(c) if so, whether Government propose to open a new post office at Himayunpur or Garhi for the benefit of about 20 thousand people rehabilitated there?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) There is no post office in these villages, but mails are delivered daily there through Extra-Departmental Delivery agent attached with Meenva post office.

(b) Post Office at Meenva was opened last year with an Extra-Departmental Delivery agent for delivery of mails to these villages.

(c) Opening of a new post office at these villages is not justified according to departmental norms.

उत्तर प्रदेश में बंगला देश के शरणार्थी

6161. **श्री जुल्फीकारुल्ला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रह रहे बंगला देश के कुछ शरणार्थीयों द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए किये गये अनुरोध को मंजूर नहीं किया गया है और इन शरणार्थियों को तुरंत ही भारत छोड़ने को कहा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह निर्देश देने का है कि वे बंगालादेश के इन शरणार्थियों को भारत छोड़ने के लिए न कहें ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) बंगलादेश के उन सभी राष्ट्रिकों को जो 25 मार्च, 1971 के बाद चोरी-छिपे भारत में घुस आए थे और भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, भारत में चाहे कहीं भी हों अवैध प्रवेशक माना जाता है, शरणार्थी नहीं। भारत सरकार की नीति के अनुसार बंगला देश का ऐसा कोई भी राष्ट्रिक भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता और उसे बंगला देश लौटना पड़ेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of Indigenous System of Medicines

6162. **Shri Narsingh Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number and locations of Allopathic, Ayurvedic and Unani colleges in India directly run by the Union and the State Governments; and

(b) whether with a view to promote the indigenous system of medicines, Government propose to take over some of the Ayurvedic and Unani colleges?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) A list of the colleges in Modern System of Medicines of Ayurved and Unani is enclosed. The list *inter alia* indicates the Colleges run by the Central Government. The position in respect of the Colleges run by the State Government is being ascertained and shall be communicated to the Sabha in due course. [*Placed in Library. See No. L. T.* 941/77].

(b) The Central Government does not propose to take over any of the Ayurvedic and Unani Colleges at present.

आसाम में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र

6163. **श्री पूर्ण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम के लखीमपुर जिले में मघनोवा नामक स्थान पर लगभग 12 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र अब आवास और उपकरणों के अभाव में कठिनाई का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए भवन और आवश्यक उपकरणों की मंजूरी के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में शाहदरा में एक अस्पताल और एक मैडीकल कालेज खोलना

6164. **श्री किशोर लाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा (यमुना पार) दिल्ली में 500 बैड़ों वाला एक अस्पताल और एक मैडीकल कालेज खोलने का प्रस्ताव था ;

(ख) इसके वित्त पोषण का स्वरूप क्या था ; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शाहदरा में 50 एकड़ का एक प्लाट अभिगृहित किया जा चका है। वित्तीय सहायता का पैटर्न तथा विस्तृत प्लान एवं अनुमान दिल्ली प्रशासन के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में कदाचार

6165. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में धीरे ढोये जाने वाले सामान के मुआवजे के तौर पर एक चुनींदा खरीददार को 1845 टन जी० सी० चादरें दी गई हैं, जिससे उसे लगभग 15 लाख रुपये का लाभ होने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि स्टाक यार्ड प्राधिकारी एक ऐसी विशेष पार्टी के साथ खुले आम पक्षपात कर रहे हैं जो अपनी संबद्ध फर्मों के साथ इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के और उसके अनुमोदित विक्रेताओं के खर्च पर खूब रुपया बना रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा काम रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि स्टाकयार्ड के प्राधिकारियों न तथाकथित ढंग से किसी पार्टी को लाभ पहुंचाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार पत्रों को अन्तरिम राहत का भुगतान

6166. **श्री चित्त बसु :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी समाचारपत्र कम्पनियों ने अन्तरिम राहत के भुगतान के बारे में सरकार की अधिसूचना को अब तक क्रियान्वित किया है;

(ख) दोषी कम्पनियों के क्या नाम हैं; और

(ग) अन्तरिम राहत की भुगतान सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 942/77]**

(ग) सरकार राज्य सरकारों से, जो कार्यान्वयन कराने के लिये संगत प्राधिकरण है, सम्पर्क बनाए हुए हैं। कार्यान्वयन के बारे में नियोजकों और कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श करने की भी व्यवस्था की गई है।

"रिफ्रैक्टरी" उद्योग के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति

6167. **श्री रोबिन सेन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में "रिफ्रैक्टरी" उद्योग के कर्मचारियों के लिए कोई समान वेतन ढांचा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस उद्योग के कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचा निर्धारित करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या न्यूनतम वेतन तथा वेतन ढांचा निश्चित करने के लिए सरकार का विचार तत्काल कोई वेतन समिति नियुक्त करने का है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकारों को मई, 1975 में सलाह दी गई कि वे राज्य स्तर पर रीफ़ैक्टरी उद्योग में मजदूरी में संशोधन के प्रश्न पर या इस प्रयोजन के लिए मजदूरी बोर्ड का गठन करके या द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय स्वरूप के किसी अन्य तंत्र की स्थापना करके, जैसा भी उचित समझा जाए, किया जाए।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी संगठन द्वारा पौष्टिक आहार का उपलब्ध किया जाना

6168. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामों में गैर-सरकारी संगठन द्वारा स्वैच्छिक रूप से पौष्टिक आहार उपलब्ध किये जाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में ऐसी किसी संगठन से कोई ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना उस की शर्तों पर निर्भर करता है। यदि ऐसा प्रस्ताव किसी अन्तराष्ट्रीय एजेन्सी अथवा अखिल भारतीय संस्था से नहीं आया हुआ हो तो, सामान्यतः उस की जाँच करना संबंधित राज्य सरकार का काम होता है।

(ख) और (ग) केअर (CARE) जो पहले ही पूरक आहार का वितरण कर रही है, और रेड क्रास, जो प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता करती है, को छोड़कर किसी अन्य संगठन से इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अस्पतालों का खोला जाना

6169. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अस्पतालों के खोले जाने संबधी प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनो से ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के सचिव के निवास स्थान का रख-रखाव

6170. **डा० बी० डी० राठोर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सचिव के निवास स्थान का रुख-रखाव सरकारी खर्च पर होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग, नवीकरण साजसज्जा, मरम्मत तथा रंगरोगन पर कितना व्यय किया गया ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के अहाते में उसके सचिव के लिए दो शयन-कक्षों वाला एक फ्लैट है जिसके रुख-रखाव का खर्च परिषद् की निधि के किया जाता है । सम्पदा निदेशालय द्वारा निर्धारित 164.96 रुपये का मानक मासिक किराया इसमें रहने वाले से वसूल किया जाता है

(ख) इस इमारत के पास ही एक बिजलीघर है जिसके धुएं से इस इमारत का खुला हिस्सा खराब हो जाता है, इसी हिस्से के रंग-रोगन और मरम्मत पर अप्रैल, 1974 से लगभग 2,100 रुपये खर्च हुए हैं; इसके अतिरिक्त खिड़की, दरवाजो की मामूली मरम्मत और बिजली की फिटिंग आदि पर भी 400/– रुपये खर्च हुए हैं।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के ग्रामों में टेलीग्राफ और सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधायें

6171. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कितने ग्रामों में तारघरों और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है और कितने ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का रत्नागिरी जिले के उन ग्रामों में इन सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है, जहां इन ग्रामों के 5 वर्गमील क्षेत्र में चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सुविधा का विस्तार कब तक करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में तार सुविधायें 1430 गांवों में और टेलीफोन सुविधायें 1453 गांवों में उपलब्ध नहीं है । इस जिले के जिन गांवों में तार सुविधा उपलब्ध है, उनकी संख्या 90 है और जिन गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है, उनकी संख्या 67 है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रत्नागिरी एल्यूमीनियम परियोजना

6172. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में रत्नागिरी एल्यूमिनियम परियोजना के लिये 50 करोड़ रूपयों की राशि निर्धारित की गई थी जिसमें से उक्त परियोजना पर अब तक केवल 1.50 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का विचार पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में रत्नागिरी एल्यूमिनियम परियोजना पर बाकी 48.50 करोड रुपए खर्च करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो पांचवीं योजना में निर्धारित करने पर भी परियोजना पर यह राशि खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में किए गए 50 करोड़ रुपए के प्रावधान को योजना के अंतिम रूप से तैयार दस्तावेज़ में संशोधित करके 15 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस परियोजना पर अब तक 1.75 करोड़ रुपए खच हुए हैं।

(ख) और (ग) जो धन निर्माण कार्य शुरू होने से निर्माण की अवधि (5/6 साल) में लगातार मिलना चाहिए था, वह वित्तीय कठिनाइयों के कारण उपलब्ध नहीं हो सका। अत: अनुमोदन के तत्काल बाद परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के ग्रामों में तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

6173. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में महाद और पोलादपुर के उन ग्रामों में तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का है, जहां उन ग्रामों के लगभग 5 से 10 वर्ग मील के क्षेत्र में चिकित्सा सहायता की सुविधा उपलब्ध नहीं है और जहां पहुंचना सुगम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का वहां इन सुविधाओं का कब तक विस्तार करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) कोलाबा जिले के महाद और पोलादपुर ताल्लुका के गांवों में टेलीफोन और तार सुविधाएं देने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड का निदेशक बोर्ड

6174. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि को किसी समय भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के निदेशक-बोर्ड में शामिल किया गया था;

(ख) क्या यह प्रतिनिधि अभीतक उपरोक्त कंपनी 'बालको' के निदेशक बोर्ड में हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिनिधि कब से बोर्ड में नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) फरवरी, 1976 से कम्पनी अन्तर्नियमावली के अनुसार कम्पनी के बोर्ड की सदस्य संख्या 12 तक सीमित है तथा कम्पनी की परिवर्तनशील जरूरतों, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और बोर्ड स्तर पर अपेक्षित निवेश साधनों के संदर्भ में इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। संबद्ध राज्य सरकारों को बारी बारी से प्रतिनिधित्व देने के लिये भी कोशिश की जाती है। इन अपेक्षाओं को देखते हुए वर्ष 1976-77 के लिए कम्पनी के बोर्ड में राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व देना जरूरी नहीं समझा गया।

औद्योगिक मजदूरों पर बहु-राष्ट्रिक निगमों का प्रभाव

6175. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक मजदूरों और श्रमिक गतिविधियों तथा मजदूरों की स्थितियों के बारे में बहु-राष्ट्रिक निगमों के प्रभाव का अध्ययन करने के बारे में सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है और तत्संबंधी निष्कर्षों और जांच परिणामों का अगर कोई ब्यौरा हो तो, क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के लिये भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मंडल

6176. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का एक पृथक मंडल बनाया गया है जिसका कार्यालय चंडीगढ़ में है;

(ख) क्या इस कार्यालय को हिमाचल प्रदेश के किसी उपयुक्त स्थान में ले जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस कार्यालय को वहां कब ले जाया जायगा; और

(ग) इस कार्यालय को हिमाचल प्रदेश में न ले जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

उड़ीसा स्थित एल्यूमीनियम संयंत्र

6177. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में एल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना करने के लिये प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के लिये स्थल और अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) क्या इस जिले में इस प्रयोजनार्थ एक कार्यालय पहले ही कार्य कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि० ने उड़ीसा में कोरापुट जिला के सुनाबेडा में उस इलाके में कार्यरत अन्वेषण एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल हेतु एक छोटा कार्यालय खोला है ।

उड़ीसा में दूरसंचार कार्यक्रम

6178. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उड़ीसा सर्किल के दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम वर्ष 1975 से, विशेष रूप से कोरापुट जिले में अभी तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस वित्तीय वर्ष 1977-78 में प्राथमिकता के आधार पर पिछले कार्यक्रमों के साथ साथ नये कार्यक्रम भी कार्यान्वित करने के लिए शुरू किये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा में 1975-76 और 1976-77 खोले गये नये टेलीफोन एक्सचेंजों, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों और तारघरों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1975-76	1976-77
नये टेलीफोन एक्सचेंज . . .	8	5
लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर . .	40	25
तारघर	14	28

25 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का कार्य जिनमें 5 कोरापुट जिले में है, और 5 तारघर खोलने का कार्य जिनमें 3 कोरापुट जिले में है, वर्ष 1975 से रुका पड़ा है ।

उपयुक्त सभी कार्यों को इस वर्ष के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है, सिवाय कोरापुट के कार्यों के जो फिलहाल इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि दूरसंचार लाइनों के सन्निकट बिजली की लाइनें होने के कारण संकट पैदा हो गया है । कोरापुट जिले में संचार के वैकल्पिक माध्यम के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है । जिससे कोरापुट जिले को मुख्य स्थानों के साथ जोड़ा जा सके ।

(ग) और (घ) उड़ीसा सर्किल में इस वर्ष दूरसंचार विकास के नए कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. नए टेलीफोन एक्सचेंज	4
2. टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार	5
3. लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर . . .	70
4. तारघर	70

कोरापुट जिले के प्रस्तावों को छोड़ कर, जिसके कारणों का उपर उल्लेख कर दिया गया है, उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी अनिर्णित प्रस्ताव आ जाएंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य योजना

6179. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीति अपनाई थी;

(ख) क्या राज्यों ने योजनायें मंत्रालय के विचारार्थ भेजी थी;

(ग) क्या उक्त योजनाओं में सामान्य ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अलावा राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनायें भी शामिल होंगी; और

(घ) इस योजना के लिये मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि नियत की गई है और राज्य योजना परिव्ययों में इस के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना, कार्यक्रम के पहले चरण में चलाई जाएगी, उनका चयन करते समय आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

(घ) राज्य-वार आबंटन अभी तक तय नहीं किया गया है ।

आयातित स्टेनलेस स्टील का सरकारी माध्यम से मंगाया जाना

6180. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय ने दुर्गापुर मिश्र इस्पात लिमिटेड को बनाने के लिए आयातित स्टेनलेस स्टील चादरें तथा प्लेटें, कोल्ड रोल्ड अथवा हाट रोल्ड को डी० एम० आई० एल० के माध्यम से मंगाने का निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): इस प्रकार के एक प्रस्ताव पर वाणिज्य मंत्रालय से विचार-विमर्श किया जा रहा है परन्तु अभी तक अन्तिम रुप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

दुर्गापुर अलाय लिमिटेड को स्टेनलेस स्टील के लिए कया देश

6181. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये बजट के पेश किये जाने के बाद और आयात शुल्क में कमी कर देने के परिणामस्वरूप दुर्गापुर मिश्र इस्पात लि० से स्टेनलेस स्टील शीटों और प्लेटों के लिए सभी क्रयादेशों का अमल में आना रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अपने स्टेनलेस स्टील उत्पादों की बिक्री के लिए मंत्रालय क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) जब बेदाग इस्पात की चादरों तथा प्लेटों पर आयात-कर 320% से घटाकर 120% कर दिया गया उस समय दुर्गापुर मिश्र इस्पात लि० से अपत्रय बन्द हो गया। आयात कर 120% से 220% कर देने से तथा मिनरल एण्ड मेटल ट्रेड कारपोरेशन द्वारा बेदाग इस्पात की चादरों के मूल्य में संशोधन करने से दुर्गापुर मिश्र इस्पात लि० अपने मूल्यों में परिवर्तन कर रहा है। आशा है कि कीमतों में परिवर्तन हो जाने के पश्चात् सामान्य रूप से कारोबार होना शुरू हो जाएगा।

दुर्गापुर स्टील टाउनशिप में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

6182. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शिक्षा की 10+2 पद्धति में दो वर्षीय कक्षाओं के न होने के कारण तथा दुर्गापुर स्टील टाउनशीप में कालेजों के न होने के कारण यहां के कर्मचारियों के बच्चे उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) यह सही नहीं है। नवम्बर, 1976 से दुर्गापुर स्टील टाउनशीप में एक निजी शिक्षा संस्था द्वारा, जिसे इस्पात कारखाने से काफी वित्तीय सहायता दी जाती है, 10+2 पद्धति के अधीन 11वीं और 12वीं कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने स्टील टाउनशिप के पास एक महाविद्यालय भी खोला है। उच्च शिक्षा के लिए अधिक शैक्षिक संस्थान खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों की बहाली

6183. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर मिश्र इस्पात लिमिटेड में 1972 के बाद बिना मुकदमा चलाए सेवा मुक्त किये गये सभी कर्मचारियों को अब तक बहाल नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब बहाल किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) दुर्गापुर मिश्र इस्पात लिमिटेड में वर्ष 1972 के बाद बिना मुकदमा चलाए सेवा मुक्त किये गए सभी कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है। वर्तमान नीति के अनुसार केवल उन्हीं कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा जिन्हें आपात कालीन स्थिति के दौरान बिना मुकदमा चलाए कुछ विशेष कारणों से सेवा-मुक्त किया गया था और इस नीति विषयक निर्णय के अन्तर्गत आने वाले 7 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है लेकिन एक यूनियन ने 1972 के बाद सेवा मुक्त किये गये सभी कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है और इस विषय पर प्रबन्धक यूनियन के साथ बात-चीत कर रहे हैं।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र में बिजली की कमी

6184. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्र इस्पात लिमिटेड में निरन्तर बिजली की कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र और विशिष्ट इस्पात संयंत्र के लिए रक्षित बिजलीघर बनाने का है ; और

(ग) श्रमिकों को क्या राहत देने का सरकार का विचार है, जिनकी वास्तविक आय में बिजली के अभाव की वजह से कमी हो गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) चालू वित्त वर्ष में दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की आपूर्ति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण उत्पादन की कुछ हानि हुई है। फिर भी, बिजली की कुल उपलब्धि को देखते हुए इस कारखाने ने विभिन्न उत्पादन इकाइयों के परिचालन में उपयुक्त फेरबदल कर के अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लिया है।

(ख) जिन उद्योगों में बिजली का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है उनको बिजली के अपने कारखाने लगाने की स्वीकृति देने का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा है इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा। जहां तक दुर्गापुर में स्थित इस्पात कारखाने का संबन्ध है, अब तक किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लिया गया है इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी का कार्यालय खोला जाना

6185. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी का कार्यालय खोले जाने के लिये क्या आधार है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी का कार्यालय खोलने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इसके लिए किस स्थान/किन स्थानों के नामों का प्रस्ताव किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) कहीं भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कसौटी में निम्नलिखित बातें होनी चाहिएं :—

(1) उसके कार्यक्षेत्र से प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदनों की संख्या कम से कम 30,000 प्रति वर्ष होने की संभावना हो ;

(2) जिन राज्यों में कार्यालय नहीं है वहां की जनता को होने वाली असुविधा ; और

(3) सरकारी खर्च में किफायत, विशेष रूप से गैर-योजना व्यय में।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का सुझाव दिया है।

मेघालय में डाक्टरों की कमी

6186. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेघालय में डाक्टरों की भारी कमी है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ;

(ख) मेघालय में इस समय कितने डाक्टर काम कर रहे हैं ; और

(ग) मेघालय में कितने डाक्टर वाले और बिना डाक्टर वाले अस्पताल/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/औषधालय हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

भिवंडी और बम्बई के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा

6187. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भिवंडी और बम्बई के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की यह सुविधा कब तक दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) भिवंडी और बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा 15-8-76 से काम कर रही है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ मेडिकल कालेज में सीटों की कमी

6188. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ मेडिकल कालेज में प्रवेश हेतु स्थानों की संख्या में चालू वर्ष में कमी कर दी गई है और यदि हां, तो कितनी सीटें कम की गई हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन सीटों में कमी किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये गए हैं और यदि हां, तो कब; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) गोवा मेडिकल कालेज के निरीक्षण के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् ने यह सिफारिश की है कि उक्त कालेज में सीटों की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी जाए ।

(ख) और (ग) कालेज में सीटों की संख्या फिर से उतनी ही कर देने/बढ़ाने के बारे में जुलाई, 1977 में प्राप्त अभ्यावेदन पर भारतीय चिकित्सा परिषद् विचार कर रही है ।

डाक तथा तार कार्यालयों का खोला जाना

6189. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग वर्ष 1977 और 1978 में गोवा में क्या सुविधाएं उपलब्ध करेगा ;

(ख) गोवा में कितने नए डाक तथा तार कार्यालय खोले जाएंगे तथा वे कहां कहां खोले जाएंगे ; और

(ग) क्या उस संघ राज्य क्षेत्र में नए डाक तार तथा कार्यालयों को खोले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव गोवा सरकार से प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या ह तथा व कब प्राप्त हुए ?

संचार मंत्री (बृजलाल) वर्मा : (क) गोवा राज्य में वर्ष 1977–78 के दौरान 4 डाकघर; 3 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और 2 तारघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) 1977–78 के दौरान गोवा में जिन नए डाकघर और तारघर खोलने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा इस प्रकार है : —

डाकघर —

1. अरपोरा
2. तिस्का
3. अबेडम
4. विरनोरा

तारघर—

1. मार्शल
2. चिकोलिम

(ग) जी हां, सेलवावली में डाकघर खोलने का एक प्रस्ताव अभी हाल ही में गोवा सरकार की ओर से गोवा डिवीजन के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर को प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। गोवा सरकार की ओर से तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

विदेशी राजदूतावासों द्वारा नियुक्त किये गये भारतीयों की सेवा की शर्तें

6190. **श्री आर० के० महालगी :** क्या विदेश मंत्री विदेशी राजदूतावासों द्वारा नियुक्त किये गये भारतीयों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियमों के बारे में 18 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 852 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा विदेशी राजदूतों और प्रतिष्ठानों को जारी किये गये उस परिपत्र के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में कम से कम कुछ शर्तों का अवश्य पालन करें ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अनेक विदेशी राजदूतावासों, प्रतिष्ठानों ने अपने भारतीय कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें अभी तक नहीं बनाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) नवम्बर, 1975 में इस मंत्रालय द्वारा विदेशी मिशनों को जारी किए गए एक परिपत्र के विषय-वस्तु में स्थानीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम नियम शर्तें निर्धारित करने वाला एक आदर्श संविदा प्रपत्र था, जिसे अनेक विदेशी मिशनों ने नोट किया था। कुछ विदेशी मिशनों ने सूचना दी थी कि स्थानीय कर्मचारियों के लिए वे अपने ही नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। इनमें से कुछ मिशनों ने यह भी कहा कि स्थानीय कर्मचारियों के लिए उनकी अपनी शर्तें आदर्श संविदा प्रपत्र में सुझाई गई शर्तों से कम अनुकूल नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार को किसी ऐसे मामले की जानकारी नहीं है जिसमें किसी विदेशी मिशन ने अपने स्थानीय कर्मचारियों की सेवा के लिए अभी तक नियम और शर्तें नहीं बनाई हों।

Health Sub-Centres

6191. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether health sub-centres have been set up in various States in the country and if so the locations and number thereof;

(b) whether some buildings of health sub-centres and the quarters of doctors and staff are lying incomplete and if so, their number, State-wise ; and

(c) the time by which these incomplete buildings and quarters will be completed and if they are not proposed to be completed the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Sir. There are in all 37,775 Sub-centres in various States in the country. There is a Sub-centre for about every 10,000 population.

(b) & (c) Yes. Their number State-wise is not available with Government of India. Funds for their construction are being provided annually to each State Govt. under the Minimum Needs Programme by the Planning Commission.

उड़ीसा में डी-ई-टी जोन

6192. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कुछ डी-ई-टी जोन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा क्या ऐसा एक जोन बालासोर में स्थापित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और नए डी-ई-टी जोन कब स्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा के बालासोर बरीपाडा-जालेश्वर जोन में टेलीफोन संचार के बार-बार भंग होने के बारे में जानकारी है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) इस समय उड़ीसा सर्किल में किसी मौजूदा इंजीनियरी डिवीजन को दो भागों में विभाजित करने या कोई नया इंजीयनिरी डिवीजन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस क्षेत्र में टेलीफोन संचार के अक्सर भंग होने के बारे में सरकार के पास कोई खास शिकायत नहीं आई है ।

राज्य बोर्डों द्वारा चलाये गये होम्योपैथिक पाठ्यक्रम

6193. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्यों में होम्योपैथिक चिकित्सा पाठ्यक्रम राज्य होम्योपैथिक बोर्डों द्वारा चलाये गए हैं जिन्हें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसे पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।

Foreign tours by Shrimati Indira Gandhi and her family members

†6194. **Shri Mritunjay Prasad Verma**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) names of countries the former Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, visited during the last five years, year-wise, days spent and amount involved in each visit, visits in which her son, daughter-in-law, grandson or grand daughter accompanied her and names of places upto which they accompanied her;

(b) names of persons or authorities which bore the expenditure fully or partially on air fare, taxi-fare, hotel bill on visits in which her son, daughter-in-law, grandson or grand daughter accompanied her;

(c) how air fare of members of her family who accompanied her on visits in which Air Force planes were used was calculated;

(d) whether some bills are still outstanding or have not been submitted by the Air Force; and

(e) whether Shrimati Indira Gandhi had used planes of Indian Airlines or Air India for her foreign tours; if so, the details thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajapayee) : (a) and (e) : Details required are, as in the statements attached. (Statements Part-I and Part-II). [*Placed in Library. See No. L. T.* 943/77].

(b) Shrimati Gandhi and those family members who accompanied her to countries to which she paid official visits were guests of the respective foreign Governments who provided accommodation and necessary transport. Government of India met expenditure on air travel.

(c) As indicated in the statements referred to in answer to (a) above, Shrimati Gandhi was not accompanied by family members in those journeys by IAF flights.

(d) Under Government rules regarding VIP flights of the Indian Air Force, the Prime Minister is entitled to the use of IAF planes without payment of charges for journey performed for official purposes. The Prime Minister has full discretion to take any other passenger. All five foreign tours undertaken by Shrimati Indira Gandhi by IAF VIP flights were sanctioned by Government as free of cost. Therefore, no bills are awaited from the Air Force.

Structure Fabrication

6195. **Shri Mohan Jain** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the job of structure fabrication was entrusted by the Hindustan Steel Works Construction Limited, Bhilai to the Bharat Engineering Works, B. K. Engineering Corporation, Simplex Industries etc., at the rate of Rs. 1400 per tonne during the Lok Sabha election period whereas the same job was entrusted to these companies at the rate of Rs. 1000/- per tonne;

(b) whether the Sharma Construction Company, Patel Engineering Company and the National Fabrications did the same job at the rate of Rs. 600/- per tonne;

(c) the loss suffered by the Hindustan Steel Works Construction Company as a result of entrusting the job at increased rates;

(d) whether Government would conduct an enquiry and punish the guilty officials in this regard; and

(e) the full details in this regard?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) No, Sir. It is not true that Bharat Engineering Works, B. K. Engineering Corporation, Simplex Industries etc. were constructed structural fabrication jobs by Hindustan Steelworks Construction Limited, Bhilai, first at the rate of Rs. 1000/- per tonne and that the rate was subsequently raised to Rs. 1400/- per tonne for the same job during the Lok Sabha election period.

(b) No, Sir.

(c), (d) and (e) Do not arise.

H.S.C.L. Management

6196. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the H.S.C.L. Management awarded contract to M/s. Shammi Construction Company, National Fabrication and Patel Engineering Company, in 1976-77 for steel structure Fabrication in Bhilai at the rate of Rs. 500/- per tonne and the same work was awarded the same year to Bharat Industrial Works, Sewerlines Udyog (industry) V. K. Structurals, Bhilai, Auxiliary Kamani Structurals at the rate of Rs. 950/- per tonne and if so, the loss suffered by the H.S.C.L. thereby and who is responsible for the same ; and

(b) whether Government will take action against the persons found responsible therefor?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) No, Sir. The type of work awarded to the three companies M/s. Sharma Construction Co. (and not M/s. Shammi Construction Company as mentioned in the question), National Fabrication and Patel Engineering Co. is not comparable with the work awarded to Bharat Industrial Works and other parties referred to. The rate of Rs. 550 per tonne given to the former group of contractors includes free use of the fabrication yard developed by H.S.C.L. and provision of free power and excludes the job of loading of the fabricated structures into trailers by crane. The average rate of Rs. 800 agreed to be paid to others includes the job of loading fabricated structures into trailers with crane without providing yard and free power facilities.

(b) Does not arise.

जूनागढ़ में डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन

6197. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के जूनागढ़ सिटी डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिए तथा इस डाकघर के लिए नई इमारत बनाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) जूनागढ़ में, जो जिले का बड़ा नगर है, समस्त डाक सुविधाओं सहित इस डाकघर के लिए नई इमारत के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी तथा इसका कब तक निर्माण होने की संभावना है तथा अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जूनागढ़ मुख्य डाकघर की किराये की इमारत के नवीकरण के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस इमारत की हाल ही में सफेदी कराई गई है और आवश्यक मरम्मत भी करा दी गई है। इमारत में संकुलन कम करने के लिये तार शाखा एक दूसरी इमारत में स्थानान्तरित कर दी गई है।

(ग) जूनागढ़ मुख्य डाकघर के लिये एक नई इमारत के निर्माण के लिये कोई उपयुक्त भूखंड उपलब्ध नहीं है। जूनागढ़ मुख्य डाकघर की मौजूदा इमारत को राज्य सरकार से खरीदने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

चासनाला खान में सुरक्षा के उपायों में शिथिलता

6198. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वश्री एच० एस० आहुजा और एस० पी० गांगुली सुरक्षा खान के दो निदेशक 1975 में चासनाला क्षेत्र की सांविधिक सुरक्षा व्यवस्था से सम्बद्ध थे, जहां 27-12-75 को दुर्घटना हुई ;

(ख) क्या इन दो अधिकारियों का कोई सम्बन्धी इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में नियुक्त है और यदि हां, तो उनसे उनका क्या सम्बन्ध है ;

(ग) क्या उन अधिकारियों ने प्रबन्धकों के किसी अनुरोध के बगैर ही कानूनी सुरक्षा उपायों में शिथिलता बरती और उनमें ढील दी थी ; और

(घ) क्या उन्हें ऐसा करने का वैध अधिकार प्राप्त था और यदि नहीं, तो सरकार कैसे इस कार्यवाही का औचित्य सिद्ध करेगी और इस चूक के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) श्री एच० एस० आहुजा के एक सम्बन्धी (ब्रादर-इन-ला), जो योग्यता प्राप्त खान प्रबन्धक है, लगभग 1971-72 से इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कर्मचारी थे। वह लगभग 1974 से 1976 तक अध्ययन छुट्टी पर थे और इस अवधि के दौरान वह कम्पनी की खान में कार्य नहीं कर रहे थे। श्री एस० पी० गांगुली के एक पुत्र ने बर्नपुर के इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कार्यालय में जनवरी, 1976 से लेखा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्य आरम्भ किया।

(ग) यह सही नहीं है कि प्रबन्धकों ने कोई छूट नहीं मांगी। प्रबन्धकों ने कोयला खान विनियम, 1957 के विनियमन 127(5) में अनुबन्धित गेलरी से बड़े साइज की गेलरी ड्राइव करने की अनुमति मांगी। यह छूट तथा अन्य छूटें सर्वश्री आहुजा तथा गांगुली सहित खान सुरक्षा महानिदेशालय के पांच अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात दी गई थी।

(घ) चासनाला कोयला खान में 27-12-75 को हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गठित जांच न्यायालय ने पाया कि इन अधिकारियों को छूट देने का कोई वैध अधिकार नहीं था। तथापि, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि यदि प्रबन्धतन्त्र प्लान से न हटते हुए इन अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति का अनुपालन करते तो यह दुर्घटना न घटती। इस पृष्ठ भूमि में यह प्रश्न विचाराधीन है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई करनी चाहिए और यदि करनी चाहिए तो वह किस प्रकार की होनी चाहिए।

Opening Post Offices In Bihar

†6199. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government had received a letter dated the 29th March, 1977, from a Member of Parliament demanding opening of sub-post offices in Amdabad, Pranpur, Azamnagar, Balrampur (Telata) Kadwa, Falka, Dodha etc. block headquarters in Bihar; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) and (b) : Yes, Sir, Extra Departmental Post Offices are existing at all these places. Cases for their upgradation into Departmental sub-post offices are under examination.

Post Offices in Katihar District

6200. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether he had received a letter from a Member of Parliament on 4th April, 1977 demanding the opening of Post Offices at Neema Santaljati Tola, Munjbar Santal Jati village, Mauhar Pichhari Jati village Mednipur Muslim-Hindu village, Raghe Maghe Santali gaon, Ghosiyaghat Muslim gaon, Paharpur Muslim-Hindu gaon in Katihar District in Bihar State; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) & (b) : Yes, Sir. Paharpur village is already having a Post Office. Post Offices at Neema and Mauhar villages will be opened shortly. Opening of Post Offices at Mednipur and Ghosiyaghat are not justified according to departmental norms. Proposals regarding opening of Post Offices at Raghe-Maghe and Munjbar are under examination.

Motivation Money

6201. **Shri Mritunjay Prasad Verma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the information given in reply to Starred Question No. 268 on 30th June, 1977 to the effect that several thousand people in Delhi were persuaded and motivated to undergo sterilisation by a few persons during emergency out of which the maximum number of people, viz. over 8400 were stated to have been motivated by Shrimati Rukhsana Sultana who was paid Rs. 84,000 as motivation amount, has raised doubts in the minds of many people that these figures may be wrong and exaggerated;

(b) whether Government propose to order an examination of the registers of sterilisation camps and verify and confirm from 5-10 people on a test check basis whose names and addresses have been entered therein, that they underwent sterilisation voluntarily on persuation and under no pressure or force and place the findings of the enquiry on the Table of the House; and

(c) whether income-tax has been paid by all those persons on the motivation money received by them?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The reply given to Starred Question No. 268 on 30th June, 1977 was based on the information received from the Delhi Administration. Delhi Administration are being requested to verify the genuinessess or otherwise of the cases motivated by the said persons on a sample check basis.

(b) Yes, Sir. A test check will be undertaken and the findings will be placed on the Table of the House.

(c) Delhi Administration have stated that they are not in possession of information regarding payment of Income-tax by persons receiving the motivation money.

Change in Arrangement of H.S.L.

6202. **Shri Mritunjay Prasad Verma :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the then Deputy Minister, Shri Subodh Hansda gave an assurance to the Member on the 25th March, 1974 about the Hindustan Steel Limited and MECON that in case of any change made in the arrangement of Hindustan Steel Limited in future, neither its employees would be removed from service nor they would be transferred from J. S. Head Office, Ranchi against their will;

(b) whether in violation of this assurance, the headqaurters of Hindustan Steel Limited and a department of MECON are being shifted to Delhi and Calcutta respectively;

(c) whether a memoranda signed by a number of persons was presented to Prime Minister during May, 1977 in this regard and he gave an assurance that such a decision would be reviewed in case there was no objection in this regard; and

(d) the number of high officers and typists, whose transfer orders have been issued so far and the names of places for which transfer orders have been issued?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) From the available records, it has not been possible to locate the assurance stated to have been given to the Member by the former Deputy Minister, Shri Subodh Hansda, on 25th March, 1974. However, it was stated by Shri Subodh Hansda in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3171 dated 14-3-1974 that in the event of restructuring of Hindustan Steel Ltd. consequent on the formation of Steel Authority of India Limited, the existing employees of the Head Office of Hindustan Steel Limited at Ranchi would not be retrenched and would not be transferred outside Ranchi against their wishes.

(b) Government have not taken any decision as such to shift the headquarters of Hindustan Steel Limited from Ranchi to Delhi. However, the previous Government had taken a decision in February, 1976, to restructure Hindustan Steel Limited which involved the conversion of three of its units into three new companies and the transfer of some other units to certain existing companies, leaving only one unit (Durgapur Steel Plant) as residual Hidustan Steel Limited with headquarters at Durgapur. In pursuance of this decision, a number of employees of the Head Office of the Company at Ranchi have been transferred to other organisations.

No department, as such, of MECON is being shifted from Ranchi to Calcutta. However, in pursuance of recent Government decision that the Cold Rolling Mill Complex of 4 MT. stage of Bokaro Steel Plant should be set up by Indian Organisations, a new engineering office of MECON is being set up at Calcutta to carry out complete design and engineering services and prepare shop drawings for the manufacture of processing lines in coordination with Engineering Project India Ltd. (which already has an office in Calcutta) and Bharat Heavy Electricals Ltd. (which would be shifting their concerned office there).

(c) Some Members of Parliament had forwarded to the Prime Minister a Memorandum signed by one Shri G. N. Sahay. In reply, the Prime Minister had informed two Members on 24th May, 1977, that he was enquiring from the Minister of Steel and Mines whether a decision regarding the shifting of the office of Hindustan Steel Ltd. had been taken and, if so, whether there was any objection to the reconsideration of the decision. On 24th June, 1977, the Prime Minister informed another Member, with reference to the Memorandum, that there was no question of the shifting of Hindustan Steel Limited from Ranchi to Delhi till a final decision on the restructuring of public sector steel industry is taken; this matter is being re-examined de-novo.

(d) Out of over 800 employees in position in March, 1974, in the Head Office of Hindustan Steel Limited at Ranchi, only 23 executives and 26 non-executives have been transferred to places outside Ranchi as indicated below:—

New Delhi	34
Calcutta	1
Bombay	1
Bhilai	1
Bokaro	2
Dhanbad	1
Ramgarh	2
Durgapur	2
Visakhapatnam	2
Allahabad	1
Hyderabad	2
Total	49

उद्योगों में स्वचालित मशीनों का लगाया जाना

6203. **श्री समरेन्द्र कुन्डु :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक उद्योगों में स्वचालित मशीनों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) क्या उक्त समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था ;

(ग) क्या समिति ने सिफारिश दी हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या समस्याएं हैं ; और

(घ) उद्योग में स्वचालित मशीनों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने और समिति की सिफारिशों को क्रियान्विति के लिए, यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) : भारत सरकार ने 1969 में स्वचालित यंत्र समिति नियुक्त की, जिसने अपनी रिपोर्ट 1972 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों पर प्रथमत: 1973 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया। यह सुझाव दिया गया कि यह विषय व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून का एक भाग बनना चाहिए, जिस पर उस समय पिछली सरकार द्वारा विचार किया जा रहा था। बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस पर अलग से विचार किया जाए और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों में कम्प्यूटर लगाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ निर्देश जारी किए जाएं। इस मामले पर अब सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

खाड़ी के देशों में भारतीय कुशल श्रमिकों और तकनीशियनों को रोजगार

6204. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में भारतीय कुशल श्रमिकों और तकनीशियनों के लिए रोजगार के भारी अवसर है ;

(ख) क्या अरबी की प्रारम्भिक जानकारी न होना खाड़ी के देशों में रोजगार के लिए जाने वाले लोगों के लिए अलाभकर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन लोगों के लिए अरबी की प्रारम्भिक शिक्षा देने की व्यवस्था का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां। इस समय खाड़ी के अनेक देशों में भारतीय कुशल श्रमिकों एवं तकनीशियनों के लिए रोजगार के अवसर हैं।

(ख) अरबी भाषा का ज्ञान हो तो अच्छा है हालांकि अगर कोई व्यक्ति अन्यथा उपयुक्त हो तो यह जरूरी नहीं है कि इसका ज्ञान न होने से उसे खाड़ी के देशों में नियोजन न मिले। हालांकि इस तरह से नियोजित बहुत से भारतीय कार्मिक स्वयं ही अरबी भाषा का कामकाजी ज्ञान अर्जित कर लेते है।

(ग) देश में कई सरकारी और निजी संस्थाओं में विभिन्न विदेशी भाषाओं को सीखने की सुविधाएं प्राप्त है जिनमें अरबी भी शामिल है। सरकार भी इस समय इस बात पर विचार कर रही है कि नियुक्ति पर विदेश जाने वाले भारतीय कार्मिक के प्रबन्ध में क्या और सुधार किये जा सकते हैं जिनमें विदेशी भाषाएं सिखने की सुविधाओं का प्रश्न भी शामिल है।

Vacation of Government accommodation by Technicians sent abroad

†6205. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of technicians sent abroad from March, 1975 to March, 1977 and the names of the countries where they have been sent; and

(b) whether Government accommodation provided to those employees, who have been sent abroad by the Ministries, has been withdrawn from them and if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) and (b): Information is not readily available, but is being collected and will be placed on the Table of the House shortly.

हिमाचल प्रदेश का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

6206. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अभ्रक, तांबा, चांदी, सोना, लोहा और कोयला अथवा राज्य में उपलब्ध अन्य खनिजों के बारे में 30 दिसम्बर, 1976 तक किए गए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) भू-वैज्ञानिक विभाग के प्रतिवेदनों को ध्यान रखते हुए खनिज सम्पदा की खोज के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण खनिज खोजे तथा पाये गए हैं उनमें चूना पत्थर (385.54 मिलि० टन) ; जिप्सम (1.322 मिलि० टन), बैराइटस (0.011 मिलि० टन) और एंटीमनी (0.033 मिलि० टन) शामिल है।

कोयले की किसी परत की सूचना नहीं मिली है और कुछ स्थानों पर अभ्रक, तांबा, चांदी, लोह अयस्क तथा सोने के नाम मात्र के भंडारों के संकेत मिले हैं।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1976–77 के क्षेत्र-सत्र के दौरान राज्य में विधिवत भू-वैज्ञानिक मानचित्रण के अतिरिक्त चूना पत्थर, क्ले तथा स्लेट हेतु अन्वेशण किया और 1977–78 के क्षेत्र-सत्र के दौरान ये अन्वेषण जारी रहा। एंटीमनी, सीसा और जस्ता खतिजी करण हेतु 1977–78 के क्षेत्र-सत्र में क्षेत्रीय अन्वेषण शुरू करने का प्रस्ताव है।

टेलीफोन द्वारा टीकमगढ़ को छत्तरपुर से जोड़ना

6207. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टीकमगढ़ को छत्तरपूर के साथ तार और टेलीफोन द्वारा सीधे ही नहीं जोड़ा गया है और क्या वहां शीघ्र ही सीधा तार और टेलीफोन सम्पर्क जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : जी हां। मौजूदा ट्रैफिक के आधार पर टीकमगढ़ और छत्तरपुर के बीच सीधे टेलीफोन और तार सर्किट देने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। इन स्थानों के बीच की ट्रंक काल झांसी के रास्ते लगाई जाती हैं। तार यातायात का निपटारा भोपाल और जबलपूर के रास्ते किया जाता है।

Publications of Articles in Annual Report of National Labour Institute

6208. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the Annual Report of the National Labour Institute for the year 1976-77 which contains a list of articles and publications of Shri Neetis De only; and

(b) the reasons for which the articles and publications brought out by other faculties have not been given a place in the said Report?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) The Annual Report of the N.L.I. for the year 1976-77 is under preparation. However, in the Activity Report for the year the work carried out by the N.L.I. through various Faculty Members has been mentioned and names of the following Faculty Members also find place in this Report besides Prof. Nitish R. De:—

1. Shri Arvind N. Das.
2. Shri S. C. Gakkhar.
3. Shri P. S. Dubey.
4. Shri S. G. Hashmi.
5. Dr. K. Gopal Iyer.
6. Shri R. N. Maharaj.
7. Shri V. Nilakant.
8. Shri Anisur Rehman.
9. Smt. V. Rukmini Rao.
10. Dr. B. K. Srivastava.

(b) Does not arise.

Reinstatement of Employees in National Labour Institute

6209. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the Dean of the National Institute of Labour had removed some employees from service without assigning any reasons during the period of emergency; and

(b) if so, whether Government propose to take any action in this regard and whether those employees will be reinstated?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) No employee of the Institute was removed from service during the period of emergency.

(b) Does not arise.

Use of Saccharin

6210. **Shri Mritunjay Prasad Varma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the names of research institutes in the country which have undertaken research in the various compounds of saccharin in order to ascertain whether its daily use in small doses as substitute for sugar and in preparation of syrups, tea, coffee etc. continuously for years is not harmful to the health of human beings;

(b) if so, its minimum dose, the daily use of which is not harmful;

(c) the diseases of which people are likely to become victim if the intake of daily dose is increased;

(d) whether Government have issued any orders regarding the maximum quantity of saccharin which can be used in syrups etc.; and

(e) if so, the details in this regard?

The Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Studies on experimental animals have been undertaken by the Cancer Institute, Bombay, Central Drug Research Institute, Lucknow and National Institute of Nutrition, Hyderabad in collaboration with international institutions.

(b) No information is available on the minimum daily dose that is not harmful.

(c) Studies in Canada indicate carcinogenic risk in rats due to saccharin. It is considered that Saccharin may cause bladder cancer in human being.

(d) & (e) : The use of sachharin in all foods has been banned except in carbonated water. However, steps are being taken to restrict its use even in carbonated water.

Number of Filaria Patients

6211. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of patients suffering from filaria in the country at present;

(b) the year in which a survey of such patients was conducted in the past;

(c) the total number of filaria patients in 1970 and 1976 respectively and whether any increase was registered in its incidence and if so, the reasons thereof; and

(d) the number of filaria patients in Gujarat State in 1970 and 1976 respectively and the measures taken so far or proposed to be taken by Government for eradication of this disease from the country?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Upto 1976 about 14.4 million persons have been found suffering from filarial disease manifestations.

(b) Sample surveys were started in 1955 and are also continuing.

(c) In 1970, the number of persons having filarial disease manifestations was about 8 million and that in 1976 about 14.4 million. Increase in number is due to the increase in population and survey of new areas during the last 6 years.

(d) In Gujarat State the number of patients, suffering from filarial disease manifestation in 1970 and 1976 was 0.09 and 0.15 million respectively.

With the knowledge and techniques and the conditions prevailing in the country it is not possible to eradicate the disease but for its control the National Filaria Control Programme was launched in 1955. Under the programme, anti-larval measures to control the breeding of mosquitoes that spread the diseases and detection and treatment of persons having filarial germs in their bodies is undertaken. The programme is also being extended on pilot basis to selected rural areas in Gujarat. Permanent measures of filaria control lies in providing adequate and effective drainage but huge outlays of resources are required therefor. It is proposed to give priority to provide drainage in endemic urban areas.

आपातस्थिति के दौरान नसबंदी

6212. **श्री ए० के० राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई और उनमें हरिजनों, आदिवासियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) जबरदस्ती नसबन्दी किए जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उनमें हरिजनों, आदिवासियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जबरदस्ती नसबन्दी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और पीडित लोगों को मुआवजा दिया गया है और उनमें हरिजनों तथा आदिवासियों की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि हरिजनों और आदिवासियों की जनसंख्या अन्य लोगों से कम बढ़ी है और इसलिए नसबन्दी का उन पर और भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो हरिजनों और आदिवासियों की नसबन्दी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जुलाई 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में, जो लगभग आपातकाल की ही अवधि है, कुल 10,568,770 नसबन्दी आपरेशन किए गए। नसबन्दी के आंकड़े जातिवार और कबीलेवार नहीं रखे जा रहे हैं। इसलिए, हरिजनों और आदिवासियों की प्रतिशतताओं की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) परिवार कल्याण विभाग में लगभग 20,000 शिकायतें मिली है और इनमें से अधिकांश में यही आरोप लगाया गया है कि नसबन्दी के बारे में जोर-जबरदस्ती या दबाव से काम लिया गया था। चूंकि सभी शिकायत करने वालों ने अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए, उनके जातिवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ग) परिवार कल्याण विभाग में मिली शिकायतों को सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन के पास जांच-पडताल कर समुचित कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। जांच-पड़तालों के निष्कर्षों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दी गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से नहीं मिली है। फिर भी, जिन व्यक्तियों ने जबरदस्ती नसबन्दी करने का आरोप लगाया है, उन्हें नकद मुआवजा देने की कोई योजना नहीं है, इन लोगों को, यदि वे अनुरोध करते हैं तो आपरेशन के पश्चात् होने वाली जटिलताओं के मुफ्त इलाज तथा नस को पुनः जोड़ने की मुफ्त सुविधाएं देने की पेशकश की जाती है। समुदाय-वार ब्यौरे का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(घ) 1961–71 की अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्याओं में क्रमशः 24.0 प्रतिशत तथा 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि हिन्दुओं की आबादि में सामान्य रूप से 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई इसलिए, शेष कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जीव विज्ञान तथा जीव-विष सम्बन्धी हथियारों के विकास, निर्माण तथा जमा करने पर रोक लगाना

6213. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीव विज्ञान तथा जीव-वीष सम्बन्धी हथियारों के विकास, निर्माण तथा जमा करने पर रोक लगाने के लिए कोई सम्मेलन हुआ है जिसमें भारत ने भाग लिया था और हस्ताक्षर किये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और हस्ताक्षर करने वाले अन्य ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है जो इस बारे में निक्षेपागार शक्तियां है और उन नये देशों के नाम क्या है जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) "जीवाण्विक एवं आविष हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भंडारन पर रोक लगाने से और उनके विनाश से सम्बद्ध अभिसमय" (बी डब्ल्यू अभिसमय) पर 10 अप्रैल 1972 को वाशिंगटन, लन्दन और मास्को में हस्ताक्षर किए गए। इस अभिसमय का पूरा पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है। बी डब्ल्यू अभिसमय 26 मार्च 1975 को लागु हुआ। संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ एस बी डब्ल्यू अभिसमय की न्यासी सरकारें हैं। हमें प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार इस अभिसमय पर 133 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और 67 ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। 15 जनवरी 1973 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करके और तीनों न्यासी देशों की राजधानियों में अर्थात् वाशिंगटन, लन्दन और मास्को में 15 जुलाई, 1974 को इसका अनुसमर्थन कर के भारत भी इस अभिसमय का पक्षकार बन गया है। इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाले नये देशों में केनिया और स्वीडन भी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 944/77]**

औद्योगिक श्रमिकों को रोग होना

6214. **श्री श्याम सुन्दर साममानी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है कि औद्योगिक श्रमिक किन-किन रोगों से पीड़ित है ;

(ख) क्या देश में औद्योगिक श्रमिक एक या दूसरी आंख की बीमारी से पीड़ित है ;

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) औद्योगिक श्रमिकों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों ने विभिन्न उद्योगों, जैसे स्टोरेज बैटरी, ड्राइक्रोमेट, विस्कोसरेयन उद्योग, फेरों मैंगनीज, इनसेक्टिसाइड विनिर्माण तथा फौर्मुलेशन, ढलाईघरों तथा कौस्टिक सोडा संयत्रों, जिनमें कि श्रमिक विभिन्न विषाक्त पदार्थों के सम्पर्क में आते हैं, में अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों ने इस प्रकार के उद्योगों में औद्योगिक बीमारियो से प्रभावित होने का रुख दिखाया है। उदाहरण के लिए, स्टोरेज बैटरी श्रमिक सीसे के धुवे से विगोपित थे--10.6 प्रतिशत, डाइक्रोमेट श्रमिक क्रोमियम यौगिकों से विगोपित थे--20.9 प्रतिशत, रेफेक्ट्री श्रमिक सिलिका धूल से विगोपित थे--21 प्रतिशत, फेरों मैंगनीज संयंत्र श्रमिक मैंगनोज से विगोपित थे--35 प्रतिशत, पेस्टिसाइट फार्मुलेशन--40 प्रतिशत ।

(ख) और (ग) : अन्धता निवारण सम्बन्धी राष्ट्रीय एसोसिएशन, जो अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अन्तर्गत कार्य कर रहा है, ने आंख के रोगों तथा विकारों का पता लगाने के लिए 10,165 औद्योगिक श्रमिकों तथा 6,551 गैर-औद्योगिक जन-संख्या का अध्ययन किया। उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उनसे यह पता चला कि नजर सम्बन्धी कई खराबियां जैसे परावर्तित भ्रांति, चक्षु धुन्धलापन, मांसल असन्तुलन, मोतियाबिन्दु, कुकरे, आदि औद्योगिक श्रमिकों में उसी सीमा में विद्यमान थी जिस सीमा में कि वे गैर-औद्योगिक समाज, जैसे ग्रामीण समाज, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और शहरी गैर-औद्योगिक समाज जैसे बस ड्राइवरों में व्याप्त थी। इससे यह इंगित होता है कि ये बीमारियां शायद औद्योगिक व्यवसायों में ही नहीं पाई जाती बल्कि समस्त आम जनता में भी कुछ पोषाहार तथा अन्य कारणों से व्याप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त, राजेन्द्र प्रसाद नैत्रिक अध्ययन केन्द्र ने एक रिपोर्ट "औद्योगिक श्रमिकों में दृष्टि जांच" शीर्षक से जारी की। उनके अध्ययन ने भी यह प्रकट किया कि लिपिकीय कर्मचारियों तथा अन्य सत्रिय औद्योगिक श्रमिकों में आंख की शिकायतों की घटनाओं के सम्बन्ध में कोई भिन्नता नहीं है। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि औद्योगिक श्रमिकों की आंखों में 'फोरीन बोडीज' पाई गई।

कारखाना सलाह सेवा तथा श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय, बम्बई ने आंख की खराबियों तथा मोतियाबिन्दु की घटनाओं के अध्ययन उन 520 वेल्डरों के नमूने में किया जो अल्ट्रा वायलेट विकिरण से विगोपित थे। वहां खराबियों की घटनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार था :—

नेत्रश्लेष्मलारोथ . . .	44.8 प्रतिशत
केरंटो नेत्रश्लेष्मलाशोथ	11.0 प्रतिशत
आरम्भिक मोतियाबिन्दु	06.7 प्रतिशत
फोरेन बोडी	21.1 प्रतिशत
आर्क आई	10.0 प्रतिशत

(घ) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों का विचार चुने हुए उद्योगों में विस्तृत बहु-अनुशासनीय औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच करने व जहां कहीं आवश्यक हो उपयुक्त तकनीकी नियंत्रण उपाय करने का है।

सूखे से प्रभावित राज्यों को इस्पात आदि की सप्लाई

6215. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त राज्यों की सरकारों ने कमी की विकट स्थिति का मुकाबला करने के लिए 'लिफ्ट' सिंचाई तथा अन्य योजनाओं के लिए इस्पात, सीमेंट और आर०सी०सी० पाइप प्राप्त करने में सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की मांग क्या थी और अब तक प्रत्येक राज्य के लिये कितनी मात्रा नियत की गई है और कितनी सप्लाई की गई है ; और

(ग) नियतन और सहायता के लिए मापदण्ड क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) और (ग) । पिछले कुछ वर्षों में इस्पात की उपलब्धी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इस समय इसके वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए कोई आबंटन करने का प्रश्न नहीं उठता।

2. जहां तक आर० सी० सी० के पाइपों का भी संबंध है, उनके वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार के पाइप छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के क्षेत्रों के कारखानों द्वारा बनाये जाते हैं।

3. जहां तक सीमेन्ट का प्रश्न है, किसी राज्य से उद्वहन–भूसंचन योजना और अन्य योजनाओं के प्रयोजन के लिए आबंटन के बारे में हाल में कोई विशेष आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उड़ीसा राज्य ने आंबटन में की गई 18% की कटौती, जो सभी राज्यों के लिए समान रूप से की गई थी, की बहाली के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। यह आवेदन इस आधार पर किया गया था कि उड़ीसा के अधिकांश भागों में भीषण सूखा पड़ा हुआ है और सूखे से प्रभावित हुए लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सी विकास परियोजनाएं शूरू की गई हैं। फिर भी, देश में बिजली की उपलब्धि की असन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए, इस राज्य को इस कटौती से छूट देना सम्भव नहीं हो सका है।

National Malaria Eradication Programme in Bihar

6216. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) Whether certain cities in Bihar have been covered under the National Malaria Eradication Programme;

(b) if so, when Kanhar city of Katihar district, Purnea city of Purnea district and Kishanganj will be covered under this programme; and

(c) if they are not being covered; the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) (a) Yes.

(b) & (c) : Only such cities as have high incidence of Malaria are covered under the National Malaria Eradication Programme (Urban). Katihar and Purnea are aleady having Filaria control units for the control of mosquito. Kishanganj does not have high incidence of Malaria.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

6217. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हुए बैटरी का निर्माण करने के बारे में मई, 1973 में हिन्दुस्तान स्टील और मेटैलरजीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंटस इंडिया लिमिटेड (एम ई सी ओ एल) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ई० पी० आई०) के बीच एक करार हुआ था;

(ख) क्या एम० ई० सी० ओ० एन० परामर्शदाता और ई० पी० आई० ठेकेदार था;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने रुपये का ठेका हुआ तथा ई० पी० आई० को कितनी राशि दी जा चूकी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या परामर्शदाता और ठेकेदार बटरी का निर्माण पूरा किये बिना और उसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दिए बिना छोड़ गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : जी, हां। 29 दिसम्बर, 1972 को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड, दुर्गापुर मैटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस् (इंडिया) लिमिटेड और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के बीच एक करार हुआ था जिसके अधीन कोक ओवन बैटरी नं० 5 ए की स्थापना के लिए मेकन को रुपांकनकार और सलाहकार तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड को उसी कार्य के लिए मूख्य ठेकेदार नियुक्त किया गया था।

(ग) कुल 487.50 लाख रुपये का ठेका था। ई० पी० आई० को अब तक 424.91 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और इसके अलावा तदर्थ आधार पर 15·50 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

(घ) जी, नहीं। दोनों संगठनों के कर्मचारी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं। यह बैटरी 6 जुलाई 1977 को चालू की गई थी। मेकन और ई० पी० आई० अब इस बैटरी के परिचालन में स्थिरता लाने के लिए काम कर रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot

6218. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the main reasons for fall in the production of aluminium in the Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot during 1974 ;

(b) whether the main reasons for this decline in production were the prevailing dissatisfaction among the workers and declaration of lock-out ; and

(c) if so, who has been found responsible for this state of affairs and the action being taken to increase production in future?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) & (b) : The main reason for fall in production in the Renukoot Smelter of Hindustan Aluminium Corporation in 1974 was severe power cut imposed by the U.P. State Electricity Board on the smelter during almost the entire year. The range of power cut varied from 40%—100% during 1974. Besides, production was also affected due to a lock-out from 12th April 1974 to 8th May, 1974.

(c) With improved power supply, aluminium production in this factory increased from 44,000 tonnes in 1974 to 62,505 tonnes in 1975 and 82,894 tonnes in 1976. Production from January to July in 1977 was about 48,000 tonnes compared to 45,555 tonnes in these months last year.

A substantial cut in the power supply imposed by the State Electricity Board is now affecting production. The question of ensuring adequate power supply to the factory has been taken up with the State Government. Furthermore, the company has also been allowed to expand their captive power plant to meet their full requirements of power.

Non-Functioning of P.C.Os. in Delhi.

†6219. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether telephones installed at various public call offices in Delhi are generally out of order;

(b) whether the Department concerned is not paying any attention towards their maintenance as a result of which the people are facing inconvenience; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) No Sir.

(b) The P.C.Os. are being regularly checked.

(c) Question does not arise.

शिमला में डाक तथा तार सर्किल खोला जाना

6220. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शिमला में डाक तथा तार सर्किल खोलने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब खोला जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

आयुर्वेद में अनुसंधान

6221. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेद में अनुसंधान कार्य के बारे में क्या कार्यवाही की गई है और अब तक उस अनुसंधान की क्या उपलब्धियां है ; और

(ख) कितने और किन स्थानों पर अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं और उनकी पृथक-पृथक उपलब्धियां क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) : आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक विभिन्न पहलूओं में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने, उसमें मार्ग प्रदर्शन करने, उसका विकास तथा समन्वय करने के लिए 1969 में भारत सरकार ने एक स्वशासी निकाय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की स्थापना की थी ।

भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के अधीन कितने अनुसंधान केन्द्र है और वे कहां कहां है तथा उसकी क्या उपलब्धियां है, इन सब बातों का एक नोट संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 945/77]

आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण

6222. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मानकीकरण की गई औषधियों की संख्या तथा नाम क्या है ;

(ग) क्या उक्त औषधियों के निर्माण की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 946/77]

(ग) और (घ) : जी हां, शुरुआत के तौर पर दवाइयां राज्यों एवं कुछ सुप्रतिष्ठित प्राइवेट आयुर्वेदिक फार्मसियों से प्राप्त की जाएगी। बाद में, रानीखेत में स्थापीत की जा रही भारतीय दवाइयों की केन्द्रीय फार्मसी भी अपेक्षित दवाइयां सप्लाई करेगी।

Building for Telephone Exchange in Nalanda, Bihar

†6223. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Telephone Exchange in Nalanda district in Bihar has its own building ;

(b) whether in the absence of its own building, the Department is not in a position to equip this exchange with modern and latest communication equipments and because of this common man has to face great difficulties; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : A 25-line Small Automatic Exchange with 8 telephone connections is working at Nalanda in a rented building. Generally, it is not economically feasible to construct departmental buildings for such small exchanges.

खाद्य अपमिश्रण के परीक्षण के लिए मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालय की उपयोग करने संबंधी योजना

6224. **श्री डी० डी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य अपमिश्रण का पता लगाने और परीक्षण करने के लिए मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं का उपयोग करने सम्बन्धी एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर के साथ सीधी टेलीफोन लाइन (एस० टी० डी०) से जुड़े हुये स्थान

6225. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन स्थानों को अब तक बंगलोर के साथ सीधी टेलीफोन लाईन (एस०टी०डी० सिस्टम) से जोड़ दिया गया है ; और

(ख) वर्ष 1977–78 के दौरान किन किन स्थानों को बंगलोर के साथ सीधी टेलीफोन लाइन (एस०टी०डी०) द्वारा जोड़ने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) निम्नलिखित स्थानों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा के जरिए बंगलूर से जोड़ा गया है :

(1) कोइम्बतूर
(2) हुबली/धारवाड़
(3) मद्रास
(4) मदुर
(5) नई दिल्ली
(6) शिमोगा
(7) ट्रिची
(8) तुम्कुर

(ख) आशा है कि वर्ष 1977–78 के दौरान निम्नलिखित स्थानों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के जरिये बंगलूर के साथ जोड़ दिया जाएगा :—

(1) मंगलूर
(2) मैसूर

Invitation to Workers' Representatives in India by Trade Union Congress of Malaysia

†6226. **Shri Ram Dass Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Trade Union Congress of Malaysia invited workers representatives from India along with those from other countries to participate in a seminar to be held from 6th July, 1977 but they could not participate in it because they were not issued passaports in time; and

(b) whether the Government made any arrangements for their visit?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) & (b) : Two applications for passports for attending the said seminar were received in this Ministry on 29th June, 1977. On receipt of clearances from the concerned departments of the Government, the Regional Passport Officer, Calcutta, was instructed telegraphically on 6-7-1977 to grant passport facilities to them. The passports were immediately perpared and both the persons were informed to collect their passports.

बम्बई स्थित सिन्धिया प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों का सेवा में बहाल किया जाना

6227. **डा० बापू कालदाते :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिन्धिया कर्मचारी संघ, बम्बई से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान संघ के जनरल सेक्रेटरी को परेशान किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो जनरल सेक्रेटरी को सेवा में बहाल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) (ख), और (ग) : सिन्धिया कर्मचारी संघ, बम्बई के भूतपूर्व जनरल सेक्रटरी, श्री एन० लक्ष्मी नारायण के प्रति किये गये अभिकथित अत्याचार बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्री को अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। वस्तूत: यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार इस मामले की पहले ही जांच कर रही है। यह भी सूचना मिली है कि इस मामले को निपटाने के प्रयास स्वरूप द्विपक्षीय बातचीत भी जारी है।

लंदन स्थित कॉमनवैल्थ सचिवालय को भारत द्वारा दिया जाने वाला अंशदान

6228. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिवर्ष लंदन स्थित कामनवेल्थ सचिवालय को अंशदान के रूप में कोई राशि देता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऐसे अंशदान का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त वार्षिक अंशदान हाल ही में बढ़ाया गया था और यदि हां, तो कितना ; और

(घ) क्या लंदन स्थित कामनवेल्थ सचिवालय में कोई भारतीय कार्य कर रहा है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में भारत का अंशदान नीचे लिखे अनुसार था।

1.	1974-75 .	99,352 पौंड (18,84,478 रु०)
2.	1975-76 . .	1,25,360 पौंड (23,77,800 रु०)
3.	1976-77 .	1,31,906 पौंड (22,98,132 रु०)

(ख) जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 1977-78 से राष्ट्रमण्डल सचिवालय के बजट में भारत का प्रतिशत अंशदान 7.29% से घटकर 4.74% रह गया है। बजट अनुमानों के अनुसार राष्ट्रमंडल सचिवालय के 1977-78 के बजट में भारत का अंशदान 1,01,895 पौंड होगा।

(ग) लन्दन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय में विभिन्न स्तरों पर कई भारतीय कार्य कर रहे हैं। जो राजनयिक पदों पर कार्य कर रहे हैं उनके नाम और ब्यौरे इस प्रकार है :—

राजनयिक अमला

श्री एम० ए० हुसैन	.	उप महासचिव
श्री एम० मलहोत्रा	.	सहायक निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कार्य)
श्री बी० डी० जयाल	.	निदेशक, राष्ट्रमंडल कोष, तकनीकी सहयोग
श्री डी० के० श्रीनिवासचार	.	निदेशक, राष्ट्रमंडल कोष, तकनीकी सहयोग

इसके अतिरिक्त कुछ और भी भारतीय व्यावसायिक, प्रबन्धकीय और लिपिक संवर्ग के पदों पर कार्य कर रहे हैं।

प्रयोक्ताओं को सीधे टेलीफोन लाइन (एस० टी० डी०) के कनेक्शन

6229. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तथा इच्छुक टेलीफोन प्रयोक्ताओं को उनके टेलिफोनों पर सीधी टेलीफोन लाइन (एस०टी० डी०) की सुविधा रखने के लिये बाध्य किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई प्रयोक्ता सीधी टेलीफोन लाइन की सुविधा समाप्त करने की मांग करते हैं और क्या उनका अनुरोध तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है; और

(ग) अहमदाबाद में कितने टेलीफोन प्रयोक्ता हैं जिन्होंने ऐसी मांग की है और जिनकी सीधी टेलीफोन लाइन (एस०टी०डी०) सुविधा समाप्त कर दी गई है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) : जी नहीं।

किसी उपभोक्ता से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा काटने की प्रार्थना प्राप्त होने के तुरन्त बाद यह सेवा काट दी जाती है। तथापी; कुछ एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा हटाने के लिये अपेक्षित उपस्कर अभी लगाया जाना बाकी है और कुछ एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा हटाने की क्षमता समाप्त हो चूकी है। ऐसे मामलों में इस तरह की मांग के ऐसे मामले तबतक प्रतीक्षा सूची में दर्ज किये जाते हैं जब तक आवश्यक उपस्कर न लगा दिया जाय या जोड़ न दिया जाय।

(ग) अहमदाबाद में तारीख 1-4-1976 से 4,721 टेलीफोन उपभोक्ताओं ने उप ोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा काटने के लिये कहा है और 26 जूलाई, 1977 तक 3,721 उपभोक्ताओं को यह सुविधा दे दी गई है।

Graduate Engineer, Apprentices in Bokaro

6230. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether 46 engineers were appointed in the Bokaro Steel Limited in 1976 as Graduate Apprentices;

(b) whether they have completed their 10 months training, but they are not being given appointment despite availability of posts;

(c) whether this plant needs the services of engineers; and

(d) if so, the reasons why they are not being given the appointment ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (a) Yes, Sir

(b) Only 30 Graduate Apprentices are about to complete their training at the Bokaro Steel Ltd. The remaining 16 dropped out during the training. It is not true that the Graduate apprentices are not being given appointment despite availability of posts, although, under the Apprentices Act, the management of Bokaro Steel Ltd. is not obliged to offer employment to such trainees.

(c) and (d) : Bokaro Steel Limited can at present absorb only a few engineers in metallurgical and Chemical engineering discipline; but not in the Mechanical and Electrical engineering departments as a number of their own mechanical and electrical engineers employed in the Construction Department will be rendered surplus as the construction jobs get completed progressively and will have to be found alternative jobs. The Management have already interviewed 8 Metallurgical and 6 Chemical Engineering Graduate Apprentices on the 23rd July, 1977 and they will be offered employment in the Company. As a special case, efforts are also being made to absorb the remaining sixteen mechanical and electrical graduate apprentices in the Hindustan Steel works Construction Ltd. to the extent possible.

Appointment of Telephone Operators in Delhi

†6231. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether some operators were appointed in Delhi Telephones in October, 1976 on the basis of a general test;

(b) if so, the number of persons appointed and the number of persons, out of them appointed on regular and on daily wages, separately;

(c) the reasons for not regularising so far those persons who were appointed on daily wages; and

(d) whether the persons appointed on daily wages are also not getting general facilities of leave, etc. due to their appointment on daily wages ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma): (a) No operator was appointed in Delhi Telephones in October, 1976 on the basis of a general test. However, there was a selection of Telephone Operators in Delhi Telephones in August, 1976 against the vacancies of first half of 1976.

(b) Information in respect of August 1976 selection is as follows :—

(i) Number of persons selected as regular TOs.	251
(ii) Number of persons appointed as regular TOs.	243
(iii) Number of persons yet to be appointed as regular TOs. (They are awaiting training) . . .	8
(iv) Number of persons appointed on daily wages (short duty Telephone Operators — female only)	38

(c) Short duty Telephone Operators indicated above are to be considered for regularisation against 20% of the vacancies for 1977 when declared.

(d) **Yes.** Staff on daily wages are not entitled to general facilities of leave etc.

Telephone Exchanges and P.C.O. in Ujjain Division, M.P.

†6232. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is a demand for telephone exchanges and public call offices at different places in Ujjain division of Madhya Pradesh and a demand has also been made for increasing the capacity of exchanges because the subscribers are not getting connections even after a long time after depositing the prescribed amount therefore and if so, the names of such places;

(b) since when such demands are being made;

(c) whether it has led to a widespread discontentment; and.

(d) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) to (d) :

(i) **Setting up of new and expansion of existing telephone exchanges.**

The setting up of new and expansion of existing telephone exchanges is taken up on the basis of registered and anticipated telephone demands. Wherever sufficient number of applications with the necessary advance deposits are received, techno-economic studies are undertaken and if opening of an exchange becomes feasible, the samc is taken up. Similarly, in the case of expansion of the existing exchanges if the registered or anticipated demands indicate the need for increase in the exchange capacity, action is taken to plan for the same.

In this connection, 11 telephone demands have been registered for opening of a telephone exchange at Tal in Ratlam District of Ujjan Division. Techno-economic feasibility study is in progress. If the opening of the exchange is found feasible, it is hoped to open the exchange by the first half of 1978.

There is also justification for expansion of the automatic exchange at Jaora in Ratlam District. Plans are in hand for expansion of this exchange by 100 lines. This expansion is also expected to be commissioned by first half of 1978.

(ii) **Long Distance Public Call Offices**

Long distance public call office facility is normally provided at a place if the scheme works out to be remunerative. However, in respect of comparatively undeveloped areas, the Department is following a liberal policy and Public Call Office are opened at certain categories of stations based on their administrative importance, population, remoteness from the existing tele-communication networks, importance as pilgrim and tourist centres, agriculture, irrigation/power project sites/townships etc. even on a less basis. If a place does not fall under any of the above categories and the proposal involves a loss, Public Call Office facility can be provided on 'rent and guarantee' basis if some interested party is willing to indemnify the loss to the Department. Based on this policy, the individual proposals for public call offices in Ujjain Division have been examined. The position is indicated at Annexure.

STATEMENT

DEMAND FOR PUBLIC CALL OFFICES

Name of the place	Date of the demand	Remarks
(A) *Ratlam District*		
1. Ringnod	24-12-75	Approved
2. Deamnar	6-8-76	Do.
3. Kalalia	29-4-76	Could not be approved within the present policy.
4. Sarwan	19-8-76	Do.
5. Kharva	Apr. 76	Do.
6. Uplai	8-4-76	Do.
7. Shivpur	17-8-76	Do.
8. Shivgarh	23-8-76	Do.
(B) *Mandsaur District*		
1. Singoli	8-8-76	Approved
2. Nahargarh	10-1-68	Do.
3. Kachnora	27-3-76	Could not be approved within the present policy.
4. Babulda	28-10-75	Do.
5. Jawad Road	2-7-76	Do.
6. Kadwas	1-6-76	Do.
(C) *Ujjain District*		
1. Makron	2-11-74	Could not be approved within the present policy
2. Jagoti	14-5-75	Do.
(D) *Jhabua District*		
1. Ankut	23-8 74	Approved
2. Bori	21-2-76	Do.
3. Kashiwara	12-7-74	Do.
4. Para	11-2-76	Could not be approved within the present policy.
(E) *Shajapur District*		
1. Soyat Kalan	25-5-76	Approved

एक या दो बच्चों वाले माता-पिताओं को प्रोत्साहन

6233. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक या दो बच्चों वाले और स्वेच्छा से परिवार नियोजन करने वाले माता-पिताओं को कोई प्रोत्साहन देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) : भारत सरकार परिवार कल्याण नीति को और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के तरीकों पर जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है तथा उसके पश्चात् इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में बचत बोजना और अन्य सुविधायें वाले डाक घर

6234. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे गांवों की, विशेषकर मध्य प्रदेश के गांवों की संख्या कितनी है जिनमें बिक्री काउण्टर, डिलिवरी प्रणाली और बचत बोजना की सुविधाओं वाले डाकघर हैं ; और

(ख) गांवों में तार की सुविधा वाले कितने डाकघर हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) देश के गांवो में 103525 डाकघरों में काउंटर और डाक के वितरण की सुविधायें उपलब्ध हैं। इनमें से 101911 डाकघरों में बचत बैंक की सुविधायें हैं । मध्य प्रदेश में ये सुविधायें 6243 डाकघरों में उपलब्ध हैं ।

(ख) गांवों मे 12,181 डाकघरो में तार सुविधायें है और मध्य प्रदेश में 669 डाकघरों में तार सुविधायें उपलब्ध है ।

स्थायी श्रम समिति की बैठकें

6235. **श्री वसन्त साठे :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान श्रम कानूनों में हुए परिवर्तनों का निर्धारण करने और औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में नई दिशा देने के लिए गठित स्थायी श्रम समिति की कितनी बैठकें हुईं,

(ख) क्या स्थायी श्रम समिति का पुनर्गठन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्रम कानूनों में हुए परिवर्तनों का निर्धारण करने और औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में नई दिशा देने के लिए कोई स्थायी श्रम समिति गठित नहीं की गई है । तथापि, त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन (6-7 मई, 1977) में लिए गए निर्णय के अनुसरण में व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन सम्बन्धी एक समिती 18 जुलाई 1977 को स्थापित की गई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात एककों की प्रयोग में न लाई गई क्षमता

6236. **श्री वसन्त साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात एककों की पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस्पात के उत्पादन में किस्म संबंधी परिवर्तन आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : वर्ष 1976-77 में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तथा "टिस्को" और 'इस्को' के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लिये समस्त स्थापित क्षमता का 91.9% इस्तेमाल हुआ है, टिस्को, भिलाई और राउरकेला में क्षमता का उपयोग क्रमश: 103.3%, 102.7% तथा 95.8% हुआ है । चालू वित्तीय वर्ष में क्षमता का उपयोग 94.0% तक होने की संभावना है ।

वर्ष 1973-74 इन कारखानों में समस्त क्षमता का उपयोग केवल 64.7% हो रहा था, जब से इसमें क्रमश: सुधार हुआ है । मालिक-मजदूर संबंधों में विशिष्ट सुधार तथा श्रमिकों तथा प्रबन्धकों में निकट सहयोग होने के अलावा आवश्यक आदानों को अच्छे ढंग से जुटाने और उनकी बेहतर उपलब्धि, संयंत्र और मशीनरी के रख-रखाव में सुधार, अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था, प्रौद्योगिक सुधारों मरम्मत तथा प्रतिस्थापन संबंधी बड़े-बड़े पूंजीगत कार्यक्रमों के फल-स्वरूप यह संभव हो सका है ।

बोकारो इस्पात कारखाने में भी उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है परन्तु अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग के बारे में तभी बताया जा सकता है जबकि बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख टन पिण्ड के प्रथम चरण की सभी बड़ी इकाइयां उत्पादन करना आरंभ कर देंगी । अंतिम बड़ी इकाई अर्थात धमन भट्टी संख्या 3 को इस वर्ष के अन्त तक चालू करने का कार्यक्रम है ।

(ग) और (घ) : परीक्षित क्वालिटी के माल के उत्पादन में वृद्धि करके माल की क्वालिटी में सुधार लाने पर अधिक बल दिया गया है । वर्ष 1976-77 में ऐसे माल का उत्पादन 55.43 लाख टन हुआ था जबकि वर्ष 1975-76 में इसका उत्पादन 45.91 लाख टन हुआ था ।

'ओकुपंचर' उपचार प्रणाली का अध्ययन

6237. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन प्राइवेट डाक्टरों को कोई सहायता दे रही है जो 'ओकुपंचर' पद्धति अपना रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त पद्धति के उपचार, उसके प्रभाव, उस पर आने वाली लागत आदि का अध्ययन करने का कोई प्रयास किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, किन्तु देश में ओकुपंचर की विधि में प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है जो इससे चिकित्सा कर रहे हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का उत्पादन

6238. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलों में कितना उत्पादन हुआ और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन गैर-सरकारी मिलों को सरकारने वित्तीय संस्थाओं एवं राष्ट्रीय-कृत बैंकों के माध्यम से कितना ऋण दिया ;

(ग) सरकरी क्षेत्र इस्पात मिलों में कुल कितनी पूंजी लगी है; और

(घ) वर्ष 1975 से अब तक भारत से कितने इस्पात का निर्यात किया गया है और कितने इस्पात का भारत में आयात किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने का विक्रय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

कारखाना	1974-75	1975-76	1976-77
सरकारी क्षेत्र :	विक्रेय इस्पात का उत्पादन		
भिलाई इस्पात कारखाना . .	1693	1850	2019
दुर्गापुर इस्पात कारखाना . .	520	751	901
राउरकेला इस्पात कारखाना .	812	1041	1174
बोकारो इस्पात कारखाना . .	1	150	736
इस्को*	414	500	542
गैर सरकारी क्षेत्र :			
टिस्को	1461	1486	1550

*सरकार ने कम्पनी के इस उपक्रम का प्रबन्ध 14 जुलाई, 1972 से अपने हाथ में ले लिया था। सरकार ने 17 जुलाई, 1976 से (जिस तारीख से यह कम्पनी सरकारी कम्पनी बनी है) राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को छोड़कर अन्य पार्टियों के पास इस कम्पनी के शेयर प्राप्त कर लिये हैं।

(ख) (1) टिस्को :

वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों की बकाया राशि इस प्रकार थी :—

(करोड़ रुपये)

को समाप्त वर्ष		
31-3-1975	31-3-1976	31-3-1977
5.00	5.00	5.00

इनके अलावा कम्पनी ने 15 करोड रुपये के 8% बंधक ऋण-पत्र जारी किये थे जिनके खरीद ने की जिम्मेदारी वित्तीय संस्थानों ने ली थी ।

कम्पनी ने समय-समय पर निम्नलिखित ऋण भी लिये हैं जिनकी बकाया राशिप्रत्यक के नाम के सामने दिखाई गई है :—

(करोड़ रुपये)

	को समाप्त वर्ष		
	31-3-1975	31-3-1976	31-31-1977
भारतीय औद्योगिक शाखा तथा निवेश निगम से विदेशी मुद्रा के रुप में ऋण	5.40	5.37	5.54
कार्यकारी पूंजी के लिए भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया ऋण	22.24	44.58	49.48
आवास तथा कल्याण योजनाओं के लिए लिया गया ऋण—			
बिहार सरकार से . . .	0.30	0.29	0.27
भारत सरकार से . . .	0.03	0.03	0.03

(2) इस्को :

इस्को द्वारा लिये गये ऋण नीचे दिखाए गये हैं :—

(करोड़ रुपये)

	1974-75	1975-76	1976-77
वित्तीय संस्थान . . .	7.50	10.06	0.27
बैंक	0.20	1.00	7.20
सरकार	..	2.00	33.24
कुल . .	7.70	13.06	40.61

(ग) 31-3-77 को 'ग्रोस ब्लाक' के रुप में सार्वजनिक इस्पात कारखानों में जिसमें कुल पूंजी निवेश (चल रहे बड़-बड़े पूंजीगत कार्य भी शामिल हैं) नीचे दिखाया गया है :--

(करोड़ रुपये)

कारखाने का नाम	'ग्रास ब्लाक' (जिसमें चल रहे पूंजीगत कार्य भी शामिल हैं)
	31-3-77 की स्थिति
भिलाई इस्पात कारखाना	712.00
राउरकेला इस्पात कारखाना . . .	482.22
दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . .	298.34
बोकारो इस्पात कारखाना . . .	1194.90
इस्को	179.79

(घ) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में सेल इंटरनेशनल लि० की मार्फत निर्यात की गई इस्पात सामग्री की मात्रा और मूल्य तथा आयातकिये गये साधारण इस्पात की मात्रा और मूल्य नीचे दिखाय गये हैं :—

(मात्रा हजार टन) (मूल्य करोड़ रुपये)

	1975-76		1976-77	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
इस्पात सामग्री का निर्यात .	506	86.81	1409	260.51
साधारण इस्पात का आयात .	355	125.35	182*	59.50*

*अप्रैल-दिसम्बर, 1976 की अवधि के लिए ।

P. C. O. at Post Office of Daulatpur Simeri (Bihta Area), Patna District

†6239. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a P. C. O. will be provided in the post office of Daulatpur Simeri (Bihta area) in Patna District under the new scheme which is only two kilometres away from Hawai where there is a telephone line; and

(b) whether the local people have been urging for the same frequently through representations ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The proposal to open a public call office at Daulatpur Simeri (Bihta area) in Patna District is showing loss, which cannot be condoned according to the existing policy of the Department. The PCO can be opened on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the loss to the Department.

(b) One representation was received from the public in August, 71 and another in April, 77 for the opening of PCO at Daulatpur Simeri.

'मीसा' के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी

6240. **श्री मोहन जैन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के उन कर्मचारियों, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान 'मीसा' के अन्तर्गत बंदी बनाया गया था और जिन्हें वापिस नौकरी में ले लिया गया है, को नजरबंदी की उस अवधि के लिए उनके वेतन और कुछ अन्य लाभों से वंचित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) रेलवे और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो लाभ दिए गये है उन लाभों से उन्हें वंचित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार संयंत्र के प्रबन्धकों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेश देने का है ताकि उन्हें कोई हानि न हो ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : भिलाई इस्पात कारखाने के उन 63 कर्मचारियों को जिन्हें अन्तरिक सुरक्षा कानून (मीसा) के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था, दोबारा नौकरी में ले लिया गया है । सेवा समाप्ति की तारीख से लेकर कार्यभार संभालने की तारीख तक अनुपस्थिति की अवधि को उनको शेष छुट्टियों तथा बाकि अवधि को छूट-दिवस मान लिया गया था । छूट-दिवस की अवधि के लिए कोई वेतन नहीं दिया गया था। ऐसे सभी कर्मचारियों की वरिष्टता कायम रहेगी और अनुपस्थिति की अवधि के लिए उन्हें सांकेतिक वेतन वृद्धि दी गई है ।

(ग) और (घ) : इन कर्मचारियों को रेलवे के दैनिक कर्मचारियों के आधार पर भुगतान करने के मामले पर विचार किया जा रहा है ।

परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना

6241. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना है ; और

(ख) यह किस ढंग से क्रियान्वित की जाती है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : दोयोजनाओं--अर्थात् कर्मचारी परिवार पेंशन योजना और कोयला खान परिवार पेंशन योजना में, जो 1 मार्च, 1971 को शुरु की गई थी, परिवार पेंशन, जीवन बीमा लाभों, सेवानिवृति लाभ और रुपया निकालने के लाभ व्यवस्था है । इन योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था कर्मचारियों और

नियोजकों के अंशदानों में से 1-1/6% राशि जुटाकर की जाती है । इन योजनाओं के कार्यान्वियन का समस्त खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है । कर्मचारी परिवार पेंशन योजना की व्यवस्था केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा दी जाती है । कोयला खान परिवार पेंशन योजना की व्यवस्था न्यासी बोर्ड, कोयला खान भविष्य निधि द्वारा की जाती है ।

आन्ध्र प्रदेश में ढलवां लोहा संयंत्र

6242. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में ढलवां लोहा संयंत्र स्थापित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : विशाखापत्तनम के इस्पात कारखाने के प्रथम चरण में कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये निर्यातोन्मुख धमन-भट्टी की स्थापना की सम्भावना पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है । आन्ध्र प्रदेश में कच्चे लोहे का एक कारखाना लगाने का अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोले जाने पर रोक

6243. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों को खोले जाने पर रोक लगी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे हटाया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं । देहाती इलाकों में डाकघर खोलने पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्य के लिए धन की प्राप्ति

6244. **श्री पी० के० कोडियन** : : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती राधा रमण और श्री जगमोहन ने मना किया है कि उन्होंने परिवार नियोजन कार्य के लिए कुछ धनराशि प्राप्त की थी जैसा कि मंत्री महोदय ने लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें अभी तक श्रीमती राधा रामण द्वारा मना करने की कोई सूचना नहीं मिली है । फिर भी, 7 जुलाई, 1977 के 'स्टेट्समेन' में छपी एक प्रैस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में

आई है जिसमें श्रीमती राधा रमण द्वारा धन प्राप्त करने का उल्लेख है । इस रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती राधा रमण ने कहा है कि इस धन का उपयोग सवारी, शिविरों के आयोजन, माइक्रोफोन और शामियानों आदि के खर्चे को पूरा करने के लिए किया गया था, और इस प्रकार उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए कोई धन प्राप्त नहीं किया था । इस वक्तव्य का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने धन प्राप्त ही नहीं किया, बल्कि यही कहा है कि यह धन उनके निजी लाभ के लिए खर्च नहीं किया गया । जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जगमोहन का सम्बन्ध है, उन्होंने व्यक्तिगत रुप से कोई प्रेरणा राशि लेने से इन्कार किया है ।

(ख) जहां तक श्रीमती राधा रमण का सम्बन्ध है, उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता । जहां तक श्री जगमोहन के इन्कार का सम्बन्ध है, अब तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि लगभग पांच सौ मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्रेरणा-राशि का भुगतान किया गया था । प्रेरणा-राशि के भुगतान के बारे में दिल्ली प्रशासन पूरी छानबीन कर रहा है ।

मेडीकल कालेजों में केन्द्रीय सरकार द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित सीटें

6245. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडीकल कालेजों में बहुत सी सीटें केन्द्रीय सरकार द्वारा भरी जाती है ;

(ख) प्रत्येक कालेज में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उन सीटों को भरने की प्रक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख) और (ग) : इस मंत्रालय के अनुरोध पर प्रत्येक वर्ष भारतीय।विदेशों के कतिपय वर्गों के छात्रों को अलाट किए जाने के लिए मैडिकल कालेजों द्वारा कुछ सीटें भारत सरकार के सुपुर्द कर दी जाती हैं। ये सीटें उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जिनके अपने कोई मेडिकल कालेज नहीं हैं तथा विदेश, शिक्षा और आर्थिक कार्यमंत्रालयों में बांट दी जाती हैं। पात्र वर्गों के छात्रों और उन संगठनों को सूची का वितरण जिनके द्वारा इन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करनी होती है, संलग्न है।

विवरण

वर्ग	अधिकारी जिसे आवेदन पत्र भेजे जाते हैं
1	2
1. ऐसे संघ शासी क्षेत्रों तथा राज्यों से सम्बन्धित छात्र जहां मैडिकल डेंटल/कालेज नहीं हैं।	मुख्य सचिव, संबंधित संघ शासी क्षेत्र/राज्य
2. (एक) सशस्त्र सेवा के मृत/अपंग/सेवारत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के बच्चे ।	सचिव, आई० एस० तथा बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, मुलानाआजादरोड, नईदिल्ली
(दो) सशस्त्र सेवा के अपंग/मृत कर्मचारियों की पत्नियां तथा विधवायें ।	

विवरण—जारी

1	2
3. सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के मृत/अपंग कर्मचारियों के बच्चे ।	सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली का महा-निदेशक ।
4. एस०एस०बी० के मृत/अपंग कर्मचारियों के बच्चे	निदेशक एस० एस० बोर्ड० गृह मंत्रालय, आर० के० पुरम, नई दिल्ली ।
5. ड्यूटी पर केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस मारे गये अथवा अपंग हुए कर्मचारियों के बच्चे ।	कमानडैंट सी० आर० पी०, आर० के० पुरम नई दिल्ली ।
6. विदेश में भारतीय मिशनों, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी विशेष एजेंसियों में सेवारत भारत आधारित कर्मचारियों के बच्चे ।	विदेश मंत्रालय, कल्प यूनिट, नई दिल्ली (केवल ऐसे बच्चों के बारे में विचार किया जायेगा जो विदेश में पढ़ रहे हैं ।)
7. भूटानी तथा तिब्बती शरणार्थी बच्चे	विदेश मंत्रालय, नारदर्न रजिस्ट्री, नई दिल्ली।
8. अपने खर्च पर पढ़ने वाले छात्र।	विदेश मंत्रालय (छात्र कक्ष), नई दिल्ली।
9. सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी छात्र ।	शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (एन०एस० 3 सेक्शन) नई दिल्ली।
10. कोलम्बो योजना आदि के अन्तर्गत छात्र ।	वित्त मंत्रालय, संबंधित देश के भारतीय उक्त आयुक्त की मार्फत।
11. बर्मा, श्रीलंका, मुजम्बिक से स्वदेश वापस आने वाले तथा पाकिस्तान तथा भूत पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ।	पुनर्वास विभाग (आर० एच०—चार सेक्शन) पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली।

बम्बई उपनगरों में टेलीफोनों का काम न करना

6246. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उपनगरों में टेलीफोनों के काम न करने के बारे में सरकार को कई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) बम्बई उपनगरों के टेलीफोन प्रणाली कार्यकरण को पुनः सामान्य करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) (ख) और (ग) : जी नहीं । तथापि बम्बई में ज्योंही मानसून शुरू होती है उसके साथ ही हमेशा अधिक संख्या में टेलीफोन कनेक्शन खराब होने की शिकायतें आने लगती हैं। ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों को जल्द फिर से चालू करने के लिए निम्न-लिखित विशेष कदम उठाए गए हैं :—

केबुल की खराबियों को, जिनसे कई लाइनें एक साथ प्रभावित होती हैं, प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाता है और मरम्मत का काम चौबिस घंटे चलता रहता है ।

उपयुक्त स्थानों पर खराबियां दूर करने वाले दलों के लिए औजारों, गाड़ियों, विभिन्न प्रकार के साजसामान और परीक्षण उपस्कर ही पहले से ही विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि खराबियां दूर की जा सकें ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

6247. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम पुनः आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या इसके नए तरीकों को क्रियान्वित करने के लिए परिवार कल्याण कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायगा ; और

(ग) क्या वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के हस्तक्षेप को कम किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम को ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है और इसे पुनः आरंभ करने का प्रश्न ही नहीं उठता । परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर तथा शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से चलाया जाएगा ।

(ख) परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए काम कर र सारे स्टाफ को एकीकृत नीति के अंतर्गत लाया जाएगा तथा इसे बहुधंधी कार्यकर्ता योजना की और उन्मूख किया जायेगा ।

(ग) इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा के अभिन्न अंग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और चिकित्सा अधिकारी इसके कार्यान्वयन के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे । इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की कमी

6248. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आम बात है कि दिल्ली/नई दिल्ली में, जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हैं, स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की कमी रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण में संसद का सत्र

6249. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में किसी नगर में संसद् का सत्र लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या दक्षिण में संसद् का सत्र लगाने में खर्च के सिवाय कोई अन्य कारण भी है जो इस मामले में बाधक है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : दक्षिण भारत में संसद में एक अधिवेशन का आयोजन करने के प्रश्न की संसद सदस्यों की एक समिति द्वारा वर्ष 1968 में जांच की गई थी । यह समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची थी :—

1. वर्तमान परिस्थितियों और हालात में थोड़ा सा समायोजन कर त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन करना व्यवहार्य नहीं है ।

2. यदि त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में प्रतिवर्ष संसद का एक अधिवेशन करने का निर्णय लिया जाता है तो 15 से 16 करोड़ रुपये की लागत के पूंजी व्यय और 1.05 से 1.25 करोड़ रुपये तक की लागत के आवर्ती सालाना खर्च से इसका प्रबन्ध किया जा सकता है ।

3. इस कार्य में 3 से 4 वर्षों का प्रारम्भिक समय भी लगेगा ।

इस समिति, जिसका प्रतिवेदन मई, 1969 में दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा गया था, द्वारा बताई गई वित्तीय तथा अन्य कठिनाईयां अभी भी व्याप्त है । फिलहाल इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

यूनियनों को मान्यता देने की कसौटी

6250. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक उपक्रम में एक यूनियन के सिद्धान्त को मानती है ;

(ख) यदि हां, तो किसी उद्योग अथवा उपक्रम विशेष में किसी यूनियन को मान्यता देने की कसौटी क्या है ;

(ग) क्या मान्यता प्रदान करने से पूर्व इस बात का सत्यापन किया जाता है कि मान्यता प्राप्त युनियन को उस उपक्रम विशेष में अधिकांश श्रमिकों का विश्वास और 'समर्थन प्राप्त' है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) : इस तथा अन्य संबंधित मामलों का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है । इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए संकल्प की एक प्रति लोक सभा की मेज पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 947/77]**

निर्धन व्यक्तियों का मुफ्त उपचार

6251. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जयप्रकाश नारायण ने निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त दवाइयां दिये जाने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख) और (ग) : इस बारे में हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु, इस आशय की एक रिपोर्ट समाचारपत्र में छपी थी, जिसके अनुसार श्रीजयप्रकाश नारायण ने 6 जुलाई, 1977 को "स्वास्थ्य सेवाओं की योजना के कुछ पहलू" पर हुई संगोष्ठी में बोलते हुए यह सुझाव दिया बतलाया गया है कि सरकारी खर्च पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावना के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए अन्ततः जिससे अत्यधिक निर्धन लोगों को ही फायदा होगा । राज्यों के अधिकांश राजकीय अस्पताल निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। वैसे भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्तूबर, 1977 से जन स्वास्थ्य रक्षक विषयक एक योजना को चलाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव या समुदाय में एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखा जाएगा ।

जड़ी बूटियों का निर्यात

6252. **श्री टी० बालकृष्णैया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नक्सवोमिका' और 'विन्का रोसिया' जैसी औषध जडी बूटियां जिन्हें आम तौर पर 'नित्य कल्यानी' और 'राउवोल्फिया सर्पेन्दिया' नाम से जाना जाता है, बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत से विदेशों को निर्यात की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो भारत से उक्त बूटियों की खरीद कौन-कौन से देश करते हैं ; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख) और (ग) : सूचना वाणिज्य मंत्रालय से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

सिंगापुर में स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले भवनों का अर्जन

6253. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय द्वारा मंत्रालय की अनुदानों पर वाद-विवाद के दौरान दिय गय आश्वासनों के अनुसार, सिंगापुर की सरकार की सहायता से सिंगापुर स्थित उन दो भवनों को अर्जित करने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है जिनमें से एक का प्रयोग स्वतत्र भारत की अस्थायी सरकार द्वारा पहले अपने मुख्यालय के रुप में किया जाता था और दूसरे का प्रयोग उसके प्रेसीडेंट नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रिहायशी क्वार्टर के रुप में किया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार द्वारा यह कार्यवाही कब तक करने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) : भारत सरकार ने सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर से सिंगापुर में नेताजी और आई०एन०ए० से संबद्ध भवनों की वर्तमान स्थिति और उनके दर्ज के बारे में रिपोर्ट मांगी है ।

हाई कमिश्नर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायगा ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का विमान दुर्घटना में ग्रस्त होना

6254. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माउंटबेटन की डायरी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारें में विशेषकर कथित विमान दुर्घटना के बारे में, बहुत सी प्रारम्भिक जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शाह नवाज़ जांच समिति और खोसला आयोग के समक्ष माउंट बेटन डायरी के केवल कुछ पृष्ठ रखे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो नेताजी के लापता होने के रहस्य का पता लगाने के लिए क्या सरकार का विचार लार्ड माइंटबेटन और यू० के० सरकार से माउंटबेटन डायरी की सम्पूर्ण प्रति भारत सरकार को भेजने का अनुरोध करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है या की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : दुर्भाग्य से माउंट-बेटन के कागजात गुप्त दस्तावेज़ होने के कारण हमें उपलब्ध नहीं थे । फिर भी, भारत सरकार की 11 जुलाई, 1970 को अधिसूचना के अनुसार केन्द्र सरकार ने एक जांच आयोग को नियुक्ति की जिसके एक मात्र सदस्य पंजाब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिश श्री जी० डी० खोसला थे । इस आयोग को 1945 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता हो जाने से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच का काम सौंपा गया था और उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देने के लिए कहा गया था । इसने अपनी जांच पूरी करके 30 जून, 1974 को रिपोर्ट दे दी । सरकार ने रिपोर्ट की जांच कर ली है और इस आयोग के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने का निश्चय किया है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताईवान के ताईहोकू हवाई अड्डे पर एक वायुयान दुर्घटना में हो गई थी । यह रिपोर्ट संसद में भी रख दी गई थी ।

बांगला देश में युद्ध के दौरान नष्ट की गई हिन्दू धार्मिक संस्थाओं का पुनर्निर्माण

6255. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाजन से पूर्व के दिनों में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम, भोलागिरी आश्रम, आनन्दमयी आश्रम तथा बहुत से अन्य हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की शाखायें और मन्दिर पूरे बंगला देश में थे ;

(ख) क्या वर्ष 1971 में पाकिस्तान की सेना द्वारा किये गये अत्याचारों के दौरान हिन्दूओं और बौद्धों के अधिकांश मन्दिर तथा संस्थाएं नष्ट हो गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या बांगला देश की मुक्ति के बाद शेख मुजीबुरहमान के अधीन अवामी लीग की सरकार ने हिन्दूओं और बौद्ध मंदिरों का पुनर्निर्माण करने तथा बांगला देश और भारत के बीच हिन्दू बौद्ध तथा ईसाई धार्मिक संस्थाओं के साधुओं और आयोजकों के निर्बाध यात्रा करने का आश्वासन दिया था ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सरकार को इस अवधि में बंगला देश में अल्पसंख्यक समुदायों के बहुत से धार्मिक स्थानों को नष्ट किए जाने की खबरें मिली हैं। लेकिन इस बारे में कोई ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार को ऐसे किसी आश्वासन की जानकारी नहीं है ।

Appointment of Air Artistes on Contract Basis

6256. Shri Nawab Singh Chauhan: Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the names of departments where employees are appointed on contract basis for the entire period of their service;

(b) whether Government propose to abolish the practice of making appointments in Government offices on contract basis for a long period;

(c) whether the A. I. R. artistes work on contract upto the age of 58 years and on the terms that the contract can be terminated at any time without assigning any reasons;

(d) whether Government consider this as an exploitation of labour; and

(e) if so, the remedial steps being taken by Government ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) to (e) : According to the information made available by the Ministry of Information & Broadcasting, All India Radio, Doordarshan, Song & Drama Division etc. engage, apart from regular Govt. employees, staff artistes on contract basis to meet their programme requirements. The staff artistes are engaged on contract initially for a period of three years, and on completion of their probation, they are given contracts upto the age of 58 years. The circumstances under which contract is terminable either by Govt. or by the staff artistes are prescribed in clause 4 of the agreement form (relevant extract enclosed) signed by the Staff Artistes with the All India Radio. **[Placed in Library. See No. L. T. 948/77].**

Officers of U.P. Government on Deputation to Indian Telephone Industries

6257. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the officers of the State Government of Uttar Pradesh who are on deputation in Indian Telephone Industries Ltd.;

(b) the terms and conditions of deputation and when they will be reverted to their parent offices;

(c) whether Government propose to appoint their own permanent officers in place of these deputationists on the basis of which they have been taken on deputation; and

(d) the names of the officers in Delhi office who do not belong to the Indian Telephone Industries Ltd.

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) (b) and (c) : S/Shri H. C. Gupta, R. C. Rastogi and Dr. G. N. Tandon, officers of Uttar Pradesh Government, are at present on deputation in Indian Telephone Industries Ltd. They are governed by the normal terms and conditions of deputation of Government officers to public sector undertakings. They will be reverted back to their parent offices on the expiry of their deputation and when suitable ITI officers become available to replace them.

(d) The officers in ITI's Delhi Regional Office, who do not belong to the Company's service, are S/Shri H. C. Gupta, S. P. Srivastava and T. L. Pandit.

श्री डी० एस० लाम्बा की मृत्यु के बारे में जांच आयोग

6258. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री डी० एस० लाम्बा की मृत्यु के बारे में जांच करने वाले देशपाण्डे आयोग के बारे में 30 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2290 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोग के समक्ष जिन गवाहों ने गवाही दी है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने गवाह निपुण थे और किस की ओर से उनसे प्रश्न पूछे गये ;

(ग) किन गवाहों की गवाही पर प्रतिकूल और भर्त्सनात्मक टिप्पणियां की गई ; और

(घ) क्या उक्त आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (घ) : श्री डी० एस० लाम्बा की मृत्यु के कारणों की जांच करने के बारे में श्री देशपाण्डे आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार को मिल गई है तथा अब उसकी जांच की जा रही है । यह रिपोर्ट और उसमें वर्णित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

एकीकृत चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के संगठन से ज्ञापन

6259. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत एकीकृत चिकित्सा पद्धति के 50,000 से अधिक स्नातकों को शुद्ध और अनेक अवमानक उपाधियों सहित एक समान अनुसूची में रख दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को एकीकृत चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) : "एकीकृत चिकित्सा पद्धति" नामक कोई मान्यता प्राप्त प्रणाली नहीं है । भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के बनाने के समय जिन अर्हताओं को राज्य सरकारों द्वारा मान्यता-प्राप्त थी उन पर विचार करने के बाद ही भारतीय चिकित्सा पद्धति की अर्हताओं को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया था ।

(ग) जी हां ।

Automatic Telephone Exchange at Sitamarhi, Bihar

†6260. **Shri S. S. Das** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state

(a) whether a proposal was already under consideration by the Ministry for converting the C. B. telephone exchange of Sitamarhi into an automatic telephone exchange and there was some departmental progress in regard to this proposal;

(b) whether there is any proposal under consideration for providing S. T. D. facility between Sitamarhi which is a trade centre and an important district headquarter on Nepal border, and its Divisional and State headquarters viz., Muzaffarpur and Patna respectively for the convenience of telephone users; and

(c) if the answers to both parts are in affirmative, whether he would get these two moves implemented soon ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) Yes, Sir. The conversion of Sitamarhi Manual Exchange to Automatic working is being planned.

(b) No, Sir. There is no immediate proposal for providing STD facility between Sitamarhi and Muzaffarpur and Patna. However, a 'No Delay' trunk service has been provided to Patna.

(c) Active steps are being taken for finding a suitable building and exchange equipment for the installation of the automatic exchange. It is hoped that it will be possible to commission the automatic exchange during the 6th Plan period.

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में लोहे और इस्पात का उत्पादन

6261. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा जमशेदपुर स्टील वर्क्स में पिछले महीने की तुलना में अप्रैल, 1977 में सब प्रकार से कम उत्पादन दिखाया गया है ;

(ख) क्या बिक्री योग्य इस्पात का कुल उत्पादन पिछले महीन में 143,500 टन की तुलना में कम हो कर अप्रैल, 1977 में 1,23,500 टन रह गया ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(घ) इस कमी को रोकने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) प्राय: मुख्य वार्षिक भारी मरम्मत, मरम्मत तथा अन्य रख-रखाव के कार्य प्राय: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में किये जाते हैं तथा इस कार्य के लिए भट्टियों, मिलों आदि को बन्द करना पड़ता है । किसी भी वित्तीय वर्ष के पहले महीने में उत्पादन उससे पहले के महीने, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष का अन्तिम महीना होता है । और जिसमें जहां तक संभव होता है अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार से प्रयत्न किये जाते हैं, की तुलना में उत्पादन कम होता है । इस से अर्द्ध तैयार माल का जिसका इस्तेमाल फिनिशिंग मिलों में पुनर्विलन के लिए किया जाता है, स्टाक जमा हो जाता है । वित्तीय वर्ष के अन्त में इसका स्टाक कम हो जाता है तथा वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद इसका स्टाक बढाना पड़ता है । इसलिए इन दोनों महीनों के उत्पादन की तुलना नहीं की जा सकती । फिर भी अप्रैल के महीने में किये गये उत्पादन की तुलना पिछले वर्षों के इसी महीने के उत्पादन से की जा सकती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए लगातार पिछले तीन वर्षों के अप्रैल के महीने का विक्रेय इस्पात का तुलनात्मक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	विक्रय इस्पात का उत्पादन (टन)		
	1975	1976	1977
अप्रैल	105,382	112,058	123,592

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

तमिल नाडु के गांवों को डाक सुविधाएं

6262. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु में ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें डाक घर अथवा एक डाक सेवा की सुविधा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977–78 के दौरान कितने गांवों में यह सुविधा उपलब्ध की जायेगी ;

(ग) इन गांवों में अब तक इन सुविधाओं को उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन गांवों में यह दोनों सुविधायें कब तक उपलब्ध की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) जी नहीं । तमिल नाडु के सभी गांव में दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत आते हैं । इस राज्य में 15735 गांव है । इनमें से 7862 गांवों में डाकघरों की व्यवस्था है ।

(ख) ऐसा प्रस्ताव है कि वर्ष 1977–78 के दौरान 121 अतिरिक्त डाकघर खोले जायें और लगभग 3000 गांवों की चलते फिरते डाकघरों के जरिये डाक की काउंटर सुविधायें दी जायें ।

(ग) डाकघर निर्धारित मानदंड पूरे होने और साधन उपलब्ध होने पर खोल दिये जाते हैं ।

(घ) सभी गांवों में दैनिक डाक वितरण सेवा उपलब्ध है । राज्य के प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

इज्जतनगर जंक्शन में रेलवे डाक सेवा आरंभ किया जाना

6263. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे में इज्जतनगर जंक्शन में रेलवे डाक सेवा आरंभ करने के बारे में पिछले महीने कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : जी नहीं। अभी तक ऐसी कोई अर्जी प्राप्त नहीं हुई है।

शिलांग तथा गोहाटी के बीच रेलवे मेल सेवा

6264. **श्री होपिंगस्टोन लिंगडोह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग तथा गोहाटी के बीच रेलवे मेल सेवा के खुलने से शिलांग में पार्सलों के वितरण में एक दिन का विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ा बाजार डाकघर, शिलांग

6265. **श्री होपिंगस्टोन लिंगडोह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलांग में तथाकथित बड़ा बाजार डाकघर बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित नहीं है ; और

(ख) पुलिस बाजार, शिलांग में स्थित इस तथाकथित बड़ा बाजार डाकघर के लिये किराए पर लिए गए मकान के लिए मकान मालिक को प्रतिमाह कितना किराया दिया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) यह डाकघर पुलिस बाजार और बड़ा बाजार के बीच स्थित है। यह मुख्य बड़ा बाजार से लगभग 1/2 किलोमिटर दूर है ।

(ख) 1177 रुपये प्रतिमाह ।

तमिल नाडु में इस्पात संयंत्रों में बिजली की कमी

6266. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु में इस्पात संयंत्र राज्य में बिजली की कमी के कारण बन्द हो गए हैं और पूर्णत: समाप्त होने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार किस कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : जी, नहीं। बिजली की कमी के कारण तमिलनाडु में लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन में कमी हुई थी परन्तु कोई भी इकाई पूर्णतः समाप्त तथा बन्द नहीं हुई थी।

(ग) बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कुछ अल्प, मध्यम तथा दीर्घावधि उपाय किये हैं/प्रस्ताव तैयार किये है। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल है :—

(1) पांचवी योजनावधि के दौरान क्षमता में 935 मेगावाट की वृद्धि करना,

(2) इन्नोर के तापीय बिजलीघर में बिजली का उत्पादन अधिकाधिक करने के लिए कुछ फेरबदल किये गए हैं। वर्ष 1977-78 में कुछ और फेरबदल करने का विचार है। बेसिन ब्रिज थर्मल स्टेशन में भी सुधार किये गये हैं। तत्काल राहत देने के लिए 210 मेगावाट की कुल क्षमता के तीन गैस टरबाइन जैनरेटर आयात करने का विचार है,

(3) टूटीकोरीन के थर्मल स्टेशन की 420 मेगावाट (निर्माणाधीन) की क्षमता को 630 मेगावाट तक बढाने के लिए एक अतिरिक्त इकाई की स्थापना करने का विचार है;

(4) दीर्घावधि उपाय के रूप में तमिल नाडु सरकार बिजली के अतिरिक्त कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

गन्तव्य स्थान के डाकघरों द्वारा चिट्ठियों पर मुहर लगाया जाना

6267. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी डाक/चिट्ठियों पर गंतव्य स्थानों के डाकघरों में भी तिथि की मुहर लगाई जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि जब भी डाक/चिट्ठी को गन्तव्य डाक घरों में विलंब हो जाता है तो उन पर वहां की तारीख मुहर नहीं लगाई जाती ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी डाकघर डाक के निकालने और बांटने में विलंब को छिपाने की प्रक्रिया को समाप्त करने के उद्देश्य करने से टिकट को रद्द करने/तारीख की मुहर लगाने की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) रजिस्ट्रि वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी डाक वस्तुओं को वितरण के लिये भेजने से पहले उन पर गंतव्य डाकघर में तारीखी मुहर लगा दी जाती है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांगला देश से आये लोगों को भारतीय नागरिकता

6268. **श्री रोबिन सेन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों के बारे में वर्तमान सरकार की क्या नीति है, जो 1972 के बाद बांगला देश पारपत्र और अल्पावधि वीजा पर बांगला देश से भारत आये थे और तभी से भारत में अपने सम्बंधियों, जो भारतीय नागरिक है, के पास रह रहे हैं और जो वृद्धावस्था या जीविका-साधन के अभाव आदि के कारण बांगला देश वापस नहीं जाना चाहते

(ख) क्या भारत सरकार ने जून, 1977 में ऐसा आदेश जारी किया था कि ऐसे लोगों को एक महीने के भीतर ही भारत छोड देना चाहिए ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने सम्बन्धियों के पास भारत में स्थायी रूप से रहने की अनुमति और भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) वर्तमान नियमों एवं विनिमयों के अधीन जो भी बंगलादेश का राष्ट्रिक 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में आया है उसे बंगलादेश लौटना होगा। वर्तमान नीति में ऐसे बंगलादेश राष्ट्रिकों को भारत में स्थायी रूप से रुकने की सुविधा या भारतीय नागरिकता देने की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

'कोल्ड रोल्ड शीट्स' में काला बाजारी

6269. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 20/22/24/26/28 गेज की 'कोल्ड रोल्ड शीटें' काला बाजार में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के यार्ड मूल्य से 1000 रुपये प्रति टन प्रीमियम पर बिक रही थी जैसा कि फरवरी, 1977 के अन्त तक हो रहा था; और

(ख) क्या सरकार इस्पात के इस प्रकार के उत्पादन का अधिक उत्पादन करने के प्रश्न पर विचार करेगी जिसे कि यह कालाबाजार रूक सके ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) और (ख): हाल में वार्षिक रख-रखाव तथा राउरकेला इस्पात कारखाने की ठंडी बेलन मिल के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप तथा बोकारो में ठंडी बेलन मिल के चालू होने में हुई कुछ देरी के कारण भी ठंडी बेलित चादरों की उपलब्धि में कमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार की कीमतों में वृद्धि हो गई है। फिर भी, आशा है कि जब अक्टूबर, 1977 से बोकारो में 20 गेज तथा उससे पतली ठंडी बेलित चादरों का उत्पादन होने लगेगा, उस समय प्रदाय स्थिति काफी हद तक सुगम हो जायेगी और बाजार की कीमतों में गिरावट आ जाएगी ।

Order by N.L.I. Re-Appointment of Relations

6270. **Shri Bhanu Kumar Shastri**: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state whether the Dean of the National Labour Institute had issued an order on 13th July, 1976 prohibiting the officer of the Institute to exercise their influence in any manner to get their relatives employed in such companies as come in contact with the Institute ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : Yes. Extracts from the office order No. NLI/Acctts./76 dated 13-7-76 issued by the Dean, NLI are re-produced below :—

"Pursuant to Section V Rule 2 of the Service Rules (General) of the Institute, following Rules are issued for compliance by all staff members :—

1. No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company or firm with whom the Institute has any contact or relationship."

स्वास्थ्य मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव द्वारा किये गये दौरे

6271. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में भूतपूर्व स्वास्थ्य सचिव ने कितने समय तक कार्य किया था ;

(ख) आपात स्थिति के दौरान उसने विदेशों के कितने दौरे किये ;

(ग) प्रत्येक दौरा कितनी अवधि के लिए किस देश का और किस प्रयोजन से किया गया ; और

(घ) प्रत्येक दौरे पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई और उसमें किये गये सरकारी कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) भूतपूर्व स्वास्थ्य सचिव श्री ज्ञान प्रकाश ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 11-10-1974 से 4-4-1977 (पूर्वाह्न) तक कार्य किया।

(ख) से (घ) : आपात्काल के दौरान श्री ज्ञान प्रकाश ने निम्नलिखित चार देशों का दौरा किया :

1. नवम्बर 1975 में जापान और दक्षिण कोरिया।
2. जून 1976 में अमरीका का।
3. दिसम्बर, 1976 में जिनेवा और न्यूयार्क।
4. फरवरी, 1977 में इन्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड।

हरेक दौरे की अवधि, उसका उद्देश्य और सरकार द्वारा इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आपात स्थिति के दौरान भूतपूर्व स्वास्थ्य सचिव श्री ज्ञान प्रकाश द्वारा किए गए दौरे

दौरे की अवधि	जिन देशों का दौरा किया	दौरे का उद्देश्य	व्यय
1.10 से 21 नवम्बर, 1975	दक्षिण कोरिया और जापान	भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्ध रखने वाले प्रेरणात्मक और संचार प्रबन्ध संबंधी सूचना और मूल्यांकन पद्धतियों, प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों तथा अन्य पहलुओं का अध्ययन करना।	भारत सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया था, क्योंकि विश्व बैंक द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति की गई थी।

विवरण—जारी

दौरे की अवधी	जिन देशों का दौरा किया	दौरे का उद्देश्य	व्यय
2.11 से 25 जून, 1976	अमरीका	भारत सरकार की जन संख्या निती के बारे में विश्व बैंक से विचार-विमर्श करना और परिवार नियोजन कार्यक्रम की सहायता से संबंधित मामलों के बारे में जनसंख्या परिषद तथा जनसंख्या संबंधी कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड से विचार विमर्श करना।	नई दिल्ली से वाशिंगटन तक का किफायती (Economy) दर्जे का वायुयान किराया विश्व बैंक द्वारा दिया गया था। तथापि श्री ज्ञान प्रकाश ने प्रथम श्रेणी में यात्रा की, इसलिए प्रथम श्रेणी और किफायती दर्जे के अन्तर का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया (रु० 10,814) (क) प्रतिदिन के हिसाब से न्यूयार्क में 6 दिन का व्यय रु० 1436.88 (ख) मनोरंजन व्यय रु० 716.99।
3.(1) 7 से 8 दिसम्बर, 1976	जिनेवा (स्विट्-जरलैंड)	विश्व स्वास्थ्य संगठन के निमंत्रण पर ट्रोपिकल रोगों के अनुसंधान और प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम की बैठक में भाग लेना।	7–8 दिसम्बर 1976 को जिनेवा का दौरा विश्व स्वास्थ्य संगठन के निमंत्रण पर था और व्यय भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया था।
3.(2) 10 से 17 दिसम्बर, 1976	न्यूयार्क (अमरीका)	संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (UNDP) के निमंत्रण पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन और जनसंख्या कार्यक्रमों के प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन की समीक्षा करने के लिए आयो-	उनका न्यूयार्क का दौरा 10 से 17 दिसम्बर, 1976 तक के लिए था और यह दौरा संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के निमंत्रण पर था तथा इसका व्यय संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना द्वारा वहन किया गया था। यह दौरा उनके जिनेवा के दौरे के क्रम में था। मिशन के प्रधान होने

विवरण—जारी

दौरे की अवधी	जिन देशों का दौरा किया	दौरे का उद्देश्य	व्यय
		जित विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लेना।	के नाते श्री ज्ञान प्रकाश प्रथम श्रेणी के वायुयान किराये और दैनिक भत्ते के पात्र थे । विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना ने किफायती दर्जे का वायुयान किराया प्रदान किया था और उनके दैनिक भत्ते की दरों में और मिशन का प्रधान होने के नाते से उन्हें मिलने वाली दरों में थोड़ा सा अन्तर हो सकता है । इस प्रकार, केवल व्यय का अन्तर (प्रथम श्रेणी और किफायती दर्जे के वायुयान किराये के अन्तर तथा दैनिक भत्तों की दरों में अन्तर के कारण) भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। कुछ बिल तो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी, भारत सरकार की जिम्मेदारी लगभग 16,663 रु० की है।
4. 30 जनवरी से 13 फरवरी, 1977	इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर और थाईलैंड	विश्व स्वास्थ्य संगठन के निमंत्रण पर इन देशों में विशिष्ठ मलेरिया रोधी कार्यकलापों का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेता।	इस दौरे का भी आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने खर्च पर किया था। जहां तक उपर्युक्त मद (3) में उल्लिखित जिनेवा/न्यूयार्क के दौरों का संबंध है भारत सरकार पर केवल विमान के किरायों (पहला दर्जा और किफायती दर्जा) और दैनिक भत्तों की दरों के अन्तर का भुगतान करने की जिम्मेदारी है। इसके अभी तक बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। वैसे भारत सरकार पर लगभग 5,624.00 रु० का दायित्व हो सकता है। (विमान किराये के अन्तर के रूप में लगभग 2,532 रु० और दैनिक भत्ते की दरों के अन्तर के रूप में 3092 रुपये)

भारतीय खान ब्यूरो से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी

6272. **श्री के० मालया :**

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों की सेवा शर्तों को संरक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) उन्हें प्रतिनियुक्ति पर किस प्रकार और किन शर्तों पर भेजा गया था, यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो उनकी सेवाओं के उचित उपयोग के लिये उन्हें सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर क्यों नहीं भेजा जाता ; और

(ग) क्या भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है अथवा सर्वेक्षण कार्य खनिज समन्वेषण निगम को सौंपा जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भारतीय खान ब्यूरो का कोई कर्मचारी हाल ही में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था सर्वेक्षण करती है । भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण पूरा होने पर ही खनिज गवेषण निगम को चुनींदा क्षेत्रों में व्यापक खोजकार्य के लिए कहा जाता है ।

भारत गोल्ड माइन्स के श्रमिक

6273. **श्री के० मालया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में दिये गये आश्वासनों के अनुसार सरकार, भारत गोल्ड माइन्स, कोलार गोल्ड फील्डस में खनन श्रमिकों की छप्पर वाली झोपड़ियों को बदलने के लिये कोई परियोजना प्रारंभ करेगी ;

(ख) क्या खनन श्रमिकों को पीने को और अपने क्षेत्रों में सफाई के लिये जल उपलब्ध किया जायेगा; और

(ग) क्या उनकी बस्तियों में गलियो में बिजली और सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) टट्टीदार झोपड़ियों के बदले नए मकान बुनाने का लगातार चरणबद्ध कार्यक्रम है । चालू वित्त वर्ष में भारत गोल्ड माइन्स का 979 टट्टीदार झोपड़ियों को बदलने का प्रस्ताव है जिसमें से 19 जुलाई, 1977 तक 297 झोपड़ियों को बदला जा चुका है ।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स की मजदूर बस्तियों को पेयजल की पूर्ति बेथामागला वाटर वर्क्स से की जाती है जिसे कर्नाटक वाटर सप्लाई और ड्रेनेज बोर्ड चलाता है और जो कोलार स्वर्ण क्षेत्र से दस मील दूर है । पिछले 2 सालों में लगातार सूखा के कारण पर्याप्त जल का भंडार नहीं किया जा सका ।

भारत गोल्ड माइन्स द्वारा मजदूर बस्तियों को नल की वर्तमान आवश्यकता कुए बनाकर पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही मान्सून आ जाने से इस स्थिति में सुधार होने की आशा है। बस्तियों की सफाई जल पूर्ति के प्रश्न से संबध्द है जिस पर भारत गोल्ड माइन्स विचार कर रही है।

(ग) जी हां। भारत गोल्ड माइन्स द्वारा मजदूर बस्तियों में 1221 मार्ग बस्तियों तथा 55 कि० मी० सड़कें बनाई जा चुकी है। मार्ग-रोशनी के लिए तेज रोशनी वाले बल्बों के स्थान पर ट्यूबें लगाई जा रही है। सम्पर्क सडकों का भी चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुधार किया जा रहा है।

भारत गोल्ड माइन्स में श्रमिकों तथा अधिकारियों की संख्या

6274. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री बी० रांचैया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान भारत गोल्ड माइन्स, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में श्रमिकों तथा अधिकारियों (नैमित्तिक तथा नियमित) की संख्या कितनी रही है ;

(ख) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान कोलार स्वर्ण क्षेत्र में स्वर्ण की खानों से कितना सोना निकाला गया ; और

(ग) वर्ष 1974 से 1976 तक यहां श्रमिकों को कितना बोनस दिया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लि० में 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या (नैमित्तिक और नियमित) निम्नलिखित है :—

	1974-75	1975-76	1976-77
(1) कामगार . .	12,123	11,620	11,436
(2) अधिकारी . . .	137	179	222
(3) प्रत्येक दिन औसतन लगाए नैमित्तिक कामगार	350	502	501

(ख) 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में भारत गोल्ड माइन्स का उत्पादन क्रमश: 18 लाख ग्राम, 17.48 लाख ग्राम और 22.04 लाख ग्राम था।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० के कामगारों को 1974-75 वर्ष के दौरान बोनस (अनुग्रहपूर्वक राशि) के लिए 19.09 लाख रुपये का भुगतान किया गया। 1975-76 और 1976-77 में कामगारों को कोई बोनस नहीं दिया गया।

राजक्षय रोग का पुनः फैलना

6275. **श्री पी० के० कोडियान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजयक्षमा अनुसंधान केन्द्र द्वारा अमरगढ़ में किये गये नमूना सर्वेक्षण से राजक्षय रोग के पुनः फैलने का पता लगा है ;

(ख) क्या इस अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने इस संक्रामक बीमारी के फैलाव का निर्धारण करने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि अमरगढ़ स्थित टी० बी० अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों और गांवों के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों में कोई बहुत अन्तर नहीं है। इसलिए, इस स्टेज पर टी० बी० की व्यापकता का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

Non-Working of Automatic Telephone Exchange in Bareilly

†6276. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the reasons why newly set up automatic telephone exchange in Bareilly, Uttar Pradesh is not working properly;

(b) whether most of the telephones are not working since the commissioning of the automatic telephone exchange and telephone subscribers have been put to great difficulty; and

(c) if so, the steps contemplated to keep it in order ?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The new 3300 line automatic telephone exchange was installed at Bareilly on 27th March 1977 replacing the three old manual exchanges and is reported to be working satisfactorily. However, the underground telephone cable network connecting the three manual telephone exchanges had to be re-arranged for single exchange working. These works resulted in temporary interruptions on various telephones. Some underground cables were damaged during road works undertaken by local authorities. These developed into cable faults as and when moisture percolated in the cables during rains in the recent few months.

(b) & (c) No, Sir. Most of the telephones have been working satisfactorily.

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों द्वारा तालाबन्दी

6277. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में दो पटसन मिलों ने अपने यहां तालाबन्दी घोषित कर दी है तथा तीसरे मिल ने शीघ्र ही अपने यहां तालाबन्दी करने की धमकी दी है ;

(ख) क्या पांच श्रमिक संगठनों ने 28 जुलाई को पटसन श्रमिकों को सांकेतिक हड़ताल करने को कहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संकट से निबटने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रबीन्द्र वर्मा) : (क) यह मामला वस्तुत: राज्य क्षेत्र में आता है। संभाव्यत: यह उल्लेख अगरपाड़ा मिल में तालाबन्दी और बारनागोर जूट मिल में उत्पादन के स्थगन के संबध में है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से जूट आयुक्त द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार प्रेपेरेटरी विभाग के ड्राइंग अनुभाग के श्रमिकों द्वारा अपने सामान्य कार्य को करने के लिए तथाकथित लगातार इन्कार करने के बाद अगरपाड़ा मिल के प्रबन्ध ने जुलाई 21, 1977 को तालाबन्दी की घोषणा की थी और कच्चे जूट सामान की तथाकथित कमी के कारण बारनागोर जूट मिल में सामान्य उत्पादन प्रक्रिया कुछ समय के लिए स्थगित हो गई। जैसे ही जे० सी० आई० (भारतीय जूट निगम) से मिल को संविदा वस्तुएं पहुंच जाएगी, इस मिल में उत्पादन प्रक्रिया पुन: शुरू हो जाएगी।

(ख), (ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों के पांच केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने आई० जे० एम० ए० मिलों द्वारा बड़े पैमाने पर तथाकथित छंटनी की नीति के विरुद्ध मुख्य रूप से विरोध करने के लिए 28 जुलाई, 1977 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का संयुक्त आह्वान दिया। श्रमिकों की अन्य मांगों में न्यूनतम बोनस, अनिवार्य जमा योजना राशि की अदायगी, छंटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली, बन्द जूट मिलों को खोलना, कार्य के नए मानदण्डों को, जिसने उच्चतर कार्यभार थोपा, दूर करना और कच्चे जूट आदि के लिए उचित कीमत निश्चित करने की मांग शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार, जो इस मामले में उपयुक्त सरकार है, और वाणिज्य मंत्रालय भी इस मामले से अवगत हैं।

इस्पात ट्यूबों का निर्यात

6278. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की ट्यूबों का उत्पादन तथा निर्यात करने में लगी गैर-सरकारी कंपनियों भारी मुनाफा कमा रही हैं जिसका उनके प्रबन्धकों द्वारा उचित लेखा नहीं रखा जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को पता लगा है कि यह कंपनियां अपने निर्यात व्यापार में अनियमितताएं कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं और ऐसी इस्पात ट्यूबों कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :(क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। फिर भी, ऐसा देखा गया है कि इस्पात के ट्यूब निर्माताओं के लेखों की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष होती है और लाभ, यदि कोई हो, कम्पनियों के हिसाब-किताब में दिखाया जाता है। इसके अलावा इस्पात की ट्यूबों के निर्यात पर निम्नतम मूल्य लागू होते हैं और इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन समिति का भी इस पर कुछ नियंत्रण है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एण्टीबायोटिक्स के उपयोग सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने वाले विशेषज्ञ दल का गठन तथा उसके कर्मचारी

6279. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एण्टीबायोटिक्स के अंधाधुंध उपयोग पर नियंत्रण के बारे में 16 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एण्टीबायोटिक्स के उपयोग संबंधी एक राष्ट्रीय नीती बनाने के लिए गठित किए गए विशेषज्ञ दल के सदस्य तथा कर्मचारी कौन है; और

(ख) क्या उसका प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई अन्तिम तारीख निश्चित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

एण्टीबायोटिक्स के प्रयोग के बारे में राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए गठित किए गए विशेषज्ञ ग्रुप की रचना और कार्मिकों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	अध्यक्ष
2. डा० रणजीत सेन, उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय . .	सदस्य
3. डा० सी० एम० सिंह, निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आइजत नगर (उ० प्र०)	,,
4. डा० वी० के० शर्मा, जीवाणुविज्ञान और निवारक चिकित्सा विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा) . .	,,
5. डा० जयाराम पणिकर, सुक्ष्म जीव विज्ञान के प्रोफेसर, मेडिकल कालिज, कालीकट (केरल)	,,
6. डा० के०बी० शर्मा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रोफेसर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	,,
7. डा० जे० सी० सूरी, उप-निदेशक, पशुजन्य रोग प्रभाग, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था, दिल्ली	,,
8. डा० आर० के० सान्याल, उप-महानिदेशक (जे०), स्वास्थ सेवा महानिदेशालय	,,
9. डा० एस० के० चुटानी, चिकित्सा परामर्शदाता, विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	,,
10. डा० एस० के० नायर, शल्य चिकित्सा विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	,,
11. सहायक महा-निदेशक (जन स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

6280. **श्री वसन्त साठे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जूलाई, 1977 के सभी प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में सरकार की प्रस्तावित ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में दिल्ली को फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसियेशन के प्रमुख की टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्राम स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (जन-स्वास्थ्य रक्षक) प्राथमिक रूप से लोगों को रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुधार की शिक्षा देगा। जहां तक इलाज करने का सवाल है वह प्राथमिक किस्म का और छोटी-मोटी बीमारियों का ही इलाज करेगा । पीने के लिए साफ पानी, रोग फैलने की आशंका वाले सभी गांवों को प्राइमरी हैल्थ सेण्टरों के माध्यम से रोग निरापद करना जैसी बातों पर, जिनका गांवों के सास्थ्य से सीधा संबंध होता है, उनके विचार अच्छे है ।

धन की कमी के कारण दिल्ली टेलीफोन विभाग की भूमिगत तारों का रख-रखाव कार्य करने में असमर्थता

6281. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में छपा यह समाचार सच है कि दिल्ली टेलिफोन विभाग धन की कमी के कारण भूमिगत तारों के रख-रखाव संबंधी कार्य को करने में असमर्थ है जिस के परिणाम-स्वरूप टेलीफोन पद्धति बिगड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो समाचार-पत्र के इस समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोल इंडिया लिमिटेड तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा काल्पनिक सहकारिताओं को कोयला परमिट

6282. **श्री समर गुह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पनागढ़ बाजार, सावित्री प्लेस, स्टेशन रोड, पनागढ़ जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाली से प्रकाशित 'पनागढ़ व्रत' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड तथा ईस्टर्न कोलफील्डस द्वारा काल्पनिक सहकारिताओं को दिए गए कोयला परमिटों के बारे में तथ्यात्मक विवरण दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) काल्पनिक आवेदकों को कोयला परमिट देने की भ्रष्ट प्रक्रिया के अंतर्गस्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) "पनागढ़ वृत" में प्रकाशित समाचार में काल्पनिक सहकारिताओं को कोयला देने के लिए परमिट जारी करने के बारे में कुछ आरोप लगाए गए हैं ।

(ख) इस मामले का संबंध वर्ष 1976–77 के उत्तरार्ध से है जब कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तदनुसार ईस्टर्न कोल फिल्डस लिमिटेड द्वारा परमिट जारी करने के बारे में उदार नीति अपनाई गई थी। सहकारिताओं सहित 1,000 से अधिक आवेदकों को कोयले का आबंटन किया गया था। जब कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तो आवेदकों की प्रमाणिकता के बारे में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई थी। अधिकांश ऐसे आवंटन उन कोयला खानों से किए गए थे जिनके पास स्टाक प्रचुर मात्रा में था। अप्रैल, 1977 से लेकर कोयले की उन्मुक्त बिक्री ऐसी खानों तक सीमित कर दी गई है जिनके पास घटिया ग्रेड के कोयले का बड़ा स्टाक है।

जिस समय कोयले के आवंटन के लिए उदार निती अपनाई गई थी उस समय खानों के मुहानों पर कोयले का स्टाक जमा हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक आवेदक की प्रमाणिकता के बारे में जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

(ग) चूंकि आवंटन प्रबन्धकों की सामान्य नीति के अनुसार किए गए थे इसलिए किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए निगम

6283. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए एक निगम स्थापित करने का विचार है; और यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या इसके लिए शाहजहांपुर एक उपयुक्त स्थान है; और

(ग) इस पर अनुमानत: कितना खर्च होगा और यह निगम कब अपना कार्य आरम्भ कर देगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां। रानीखेत स्थित भारतीय औषधियों की केन्द्रीय फार्मेसी के प्रबंध के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन सरकारी क्षेत्र में निगम के निर्माण हेतु औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय फार्मेसी को स्थापित करने की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है कि रानीखेत में निगम की स्थापना उपयुक्त रहेगी ।

(ग) आरम्भ में 10 लाख रुपये लगाये जायेंगे। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक निगम उत्पादन शुरु कर देगा ।

कसेरगढ़ कोयला खान दुर्घटना की जांच

6284. **श्री ए० के० राय :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अगस्त, 1975 को कसेरगढ़ कोयला खान में हुई दुर्घटना की जांच करने वाले दत्त आयोग ने प्रबंधक श्री जे० पी० सिंह को कर्तव्य की भारी उपेक्षा करने का दोषी पाया है;

(ख) क्या ओवर मैन, शाट फायरर तथा सहायक-प्रबंधक को तो दण्डित किया गया है परन्तु प्रबंधक को छोड़ दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार आपात स्थिति के दौरान खानों में दुर्घटनाओं के उन सभी मामलों में "अपराध तथा दण्ड" की स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी जिनमें न्याय करने के लिए जाँच समितियां स्थापित की गई थीं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्री आर० सी० दत्त ने, जो 9 अगस्त, 1975 को कसेरगढ़ कोयला खान में दुर्घटना की जाँच के लिए जाँच न्यायालय के अध्यक्ष थे, श्री जे० पी० सिंह, प्रबंधक को कर्तव्य की उपेक्षा करने का दोषी पाया ।

(ख) और (ग) : जाँच न्यायालय द्वारा अपना निर्णय देने से पहले ही प्रबंधक द्वारा अपनी स्वयं की जांच के पश्चात ओवर मैन, सरदार और सहायक प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही की न्यायालय द्वारा परिपुष्टि की गई है। जहां तक प्रबंधक का संबंध है उन्हें प्रबंध द्वारा चेतावनी दी गई है क्योंकि उन की ओर से गलती तकनीकी प्रकार की थी।

(घ) छः गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 (1) के अधीन श्रम मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा स्थापित छः जांच न्यायालयों में से चार रिपोर्टें अब तक प्राप्त हो चुकी है। इन रिपोर्टों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध खान अधिनियम के अधीन और कार्यवाही किए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

ग्रेप फन्टा में रंगने की सामग्री का अनधिकृत उपयोग

6285. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला कंपनी विशेषत: अपने ग्रेप फेन्टा के लिए अनधिकृत रंग-सामग्री का उपयोग कर रही थी ;

(ख) क्या पूर्ववर्ती सरकार उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में जानबूझकर विलंब कर रही थी;

(ग) क्या अन्ततः कानूनी कार्यवाही की गई थी, और यदि हां, तो उसका क्या फल निकला;

(घ) कतिपय एकाधिकारगृहों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्मित वनस्पति, मक्खन तथा दैनिक उपयोग की अन्य ऐसी कौन सी मदें हैं जिन्हें मिलावटी घटिया किस्म की आदि पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी व्यापारी फर्मों के विरुद्ध गत पांच वर्षों के दौरान कितने मुकदमें चलाये गए और उक्त अवधि के दौरान पकड़े गए मिलावट के मामलों संबंधी पूर्णतम ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख) और (ग) : केन्द्रीय खाद्य दस्ते के खाद्य निरिक्षक ने 22-10-1973 को फेन्टा ग्रेप का एक नमूना मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स (प्राईवेट) लिमिटेड नई दिल्ली के परिसर से लिया था और उसे विश्लेषण के लिए भेज दिया था। दिल्ली नगर निगम के जन विश्लषक ने इस नमूने के मिलावटी होने की रिपोर्ट दी थी क्योंकि उसमें ब्ल्यू वी० आर० एस० नामक निषिद्ध कोलतार रंग पाया गया था और इस संबंध में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई थी ।

उपयुक्त अधिकारियों से परामर्श करके इस मामले में 17-5-1974 को मुकदमा चलाया गया ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा लिए गए अन्य दो नमूने भी मिलावटी बतलाए गए और दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा 9 मई, 1974 को मुकदमें चलाए गए थे । ये तीनों मामले 27 जून, 1975 को खारिज कर दिए गए थे क्योंकि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता को न्यायालय द्वारा जो अपीली नमूने भेजे गए थे, उनमें वे विश्लेषण करने पर, अनुमत रंग पाए गए थे ।

(घ) और (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन रेड क्रास सोसायटी का लेखा

6286. **डा० रामजी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या इंडियन रेड क्रास सोसाइटी को एलोफेंटा एक्सपोर्टस से 3000 रुपये का चैक नं० 053164 दिनांक 4-11-1976 प्राप्त हुआ था; और यदि हां, तो क्या इसे उसके लेखे में जमा कर दिया गया था; और यदि हां, तो कब; और

(ख) क्या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्री ललित माकन को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 28,000 रुपये दिए गए थे; और यदि हां, तो क्या उपरोक्त राशि में से 16,337 रूपये इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी को दिए गए; और यदि हां तो यह राशि उसके लेखे में कब जमा की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने बताया है कि उनकी दिल्ली शाखा को यह चैक मैसर्स एलोफेन्टा एक्सपोर्टस से मिला था और इसकी प्राप्ति सूचना भेज कर इसे तारीख 28-1-77 को दिल्ली शाखा के खाते में जमा कर दिया गया था जिसकी रसीद नम्बर 8523 था ।

(ख) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने बतलाया है कि उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, श्री ललित माकन को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई प्रोत्साहन शुल्क नहीं दिया है। भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की दिल्ली शाखा के पास श्री ललित माकन से दो किस्तों में 16,357.60 रुपये की राशि मिली थी :—

(i) उप-राज्यपाल के उप-सचिव से नकद 1,357.60 रुपये प्राप्त हुए थे । इन्हें दिल्ली शाखा के खाते में जमा कर दिया गया था और इसकी प्राप्ति-सूचना तारीख 1-12-1976 को रसीद नं० 6709 द्वारा भेज दी गई थी ।

(ii) उप राज्यपाल के उप-सचिव से जो 15,000 रुपये की राशि तारीख 13-12-1976 के भुगतान आदेश सं० टी० वाई० एम०/00184/ 1029/76 द्वारा प्राप्त हुई थी, उसे दिल्ली शाखा के खाते में जमा कर दिया गया था और उसकी प्राप्ति सूचना तारीख 14-12-76 को रसीद सं० 7280 द्वारा भेज दी गयी थी।

Delegation sent Abroad to Campaign in Support of Emergency

*6287. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the members of Parliament and other persons sent abroad on Government expenses for campaigning in support of imposition of emergency during emergency period;

(b) whether some film actors, tantries and astrologers also campaigned in America in support of emergency imposed by the former Prime Minister of India;

(c) whether a murderous attack was made on Prof. Subramaniam Swami, M. P. in England and the assailants were sent from India; and

(d) if so, the action being taken by Government to ascertain all the facts in this regard and how the culprits are being dealt with ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

*6288. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the portraits of the former Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi and the poster of her 20-point programme are still hanging on the walls in the Indian Embassies;

(b) whether the Indian Embassy in Nepal is not only displaying her portraits and posters of her 20-point programme, but it has given publicity to rer achievements in a magazine "Arti" by spending money even after the formation of the Janata Government; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) & (b) : In the Embassy of India, Nepal, no portraits of former Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi are on display nor was there any further expenditure on publicity to her achievements in the magazine "Arti" after the formation of the Janata Government.

Posters of the 20-point programme are not on display in our Missions abroad.

Portraits of important and respected national leaders continue to be displayed in Indian Missions abroad.

(c) Does not arise.

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्रों द्वारा विदेशों में चलाये जा रहे होटल

6289. **श्री धन्ना सिंह गुलशन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्रों ने विदेशों में अपना कारोबार स्थापित किया है या वे बड़े होटल चला रहें हैं;

(ख) यदि हां, तो ये होटल किन-किन देशों में स्थित हैं और उनमें कुल कितनी पुंजी लगाई गई है ; और

(ग) ये होटल किस के नाम से चलाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत भारतीयों को विदेशों में किसी भी प्रकार का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है, चाहे वह व्यवसाय स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाए अथवा विदेशी पार्टियो के सहयोग से। सरकार को भूतपुर्व प्रधान मंत्री के दोनों में से किसी भी लडके से विदेश में होटल स्थापित करने के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है।

दिनांक 12-7-1977 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3261 के लिये दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement Correcting answer to USQ 3261 dated, 12-7-77

दिनांक 12-7-1977 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3261 का उत्तर सभा पटल पर रखते समय उक्त प्रश्न के उत्तर के भाग (ग) में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिलों में जहाँ पर इण्डन गेस को एजेंसियों का आवंटन किया गया है, शामिल नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में, अब इण्डेन गैस की एजेंसीयां अबंटित की गई हैं, वे आगरा अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, देवीरया, फैजाबाद, फरूखाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसीं, कानपुर, लखनउ, मेरठ, मिर्जापुर मुजफ्फर नगर, नैनीनताल, राय-बरेली, सहारनपुर और वाराणसी हैं। इंडियन आयल कारपोरेशनने सरकार को सूचना भेजते समय लगते से गोरखपर और देवरिया का नाम छोड़ दिया था।

2. पहले से दिए गए उत्तर में उक्त सुधार करने के लिए मैं सदन से क्षमा याचना चाहता हूं। इंडियन आयल कारपोरेशन ने अपनी गलती के लिए खेद प्रकट किया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अतारांकित प्रश्न संख्या 3261 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुणा) : मैं गैस ऐजेंसियो के आबंटन के बारे में श्री नवाबसिंह चौहान के अतांरांकित प्रश्न संख्या 3261 के 12 जुलाई, 1977 के दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखि संख्या एल० टी० 912/77]।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारें में
Re: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री सी० के० चंद्रप्पन (कन्नानुर) : हमने श्री चरण के विरूद्ध विशेषाधिकार की एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस की अनुमति नहीं दी। चूंकि वह मामला न्यायालय के समक्ष है, इसलिए उस की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप किन्ही आधारों पर ही उसे अस्वीकृत कर सकते है । कृपया नियम 225 देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 222 देखिये। आप मेरी अनुमति के बिना उसे पेश नहीं कर सकते। मैंने अनुमति नहीं दी हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मै उसे पेश नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 222 के अन्तर्गत आप मेरी अनुमति के बिना एक शब्द भी नहीं कह सकते अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि मामला न्यायालय के समक्ष है। नियम 222 इस प्रकार है :

> "कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिस में या तो किसी सदस्य के या सभा के या उस की किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त है।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रस्ताव की सूचना आप के अध्यक्ष बनने से पहले दी गई थी और फिर हमे उपाध्यक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस में कहा गया था कि बिहार सरकार को स्पष्टीकरण देने को कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष ने पत्र कब भेजा था ? सूचना दिनांक 15 जुलाई की है और मेरे पास कोई रिकार्ड नहीं है कि उपाध्यक्ष ने कोई पत्र भेजा था।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : रिकार्ड यह है ।

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : नियम 222 के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी । मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं । यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि संसद् सदस्यों की तथ्यों की जांच करने संबंधी समिति बेलची मौके पर गई थी और उन्होंने सब तथ्य एकत्र किये थे कि स्थानीय पुलिस अत्याचार करने वालों से मिली हुई थी, जिस के कारण 11 आदमी जिंदा जलाये गये। यह भी समाचार मिला है कि स्थानीय लोगों के अनुरोध करने पर भी स्थानीय पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। गृह मंत्री ने 13 जुलाई के अपने वक्तव्य में कहा है यह अपराधियों के दो दलों के बीच का झगडा था ।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची की बिहार राज्य पुलिस और बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतया बबुनियाद है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस प्रकार बिहार पुलिस के महानिरीक्षक, बिहार के गृह मंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्री सभा को गुमराह करने के दोषी है और यह विशेषाधिकार का मामला है, जिससे अग्रेतर जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए ।

[श्री बी० राचैया]

यह मामला 15 जुलाई को उठाया गया था और आज आप के कार्यालय ने बताया है कि उस की अनुमति नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उपाध्यक्ष से बात करुंगा ।

श्री बी० राचैया : उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और उन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले को अनुमति दी थी और मुझे नियम 222 के अन्तर्गत यह मामला उठाने की अनुमति दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उपाध्यक्ष ने अनुमति दे दी है, तो मुझे उसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि अनुमति नहीं दी गई तो मैं इस की अनुमति नहीं देता, क्यों कि यह न्यायालय के समक्ष है । मैं उपाध्यक्ष से बात करुंगा ।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : उन्होंने जो कुछ निवेदन किया है, उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें कुछ कहने की अनुमति दी थी। अत: यह मामला सभाके विचाराधीन है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur) : I want to ask under Rule 222, have you given a consent or not? If you have given a consent, then all this must be expunged. This should not remain part of the proceedings.

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि उपाध्यक्ष ने अनुमति दी है—वह उस समय अध्यक्ष थे—तो मुझे उसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : महोदय, यह सही है कि उपाध्यक्ष महोदय उस समय अध्यक्ष थे और उनका निर्णय अन्तिम है परन्तु सभा की यह परम्परा रही है कि आप उपाध्यक्ष से परामर्श करके तथा तथ्यों का पता लगा कर अपना विनिर्णय दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान दें कि अनुमति और होती है तथा विनिर्णय और होता है । विनिर्णय को बदला जा सकता है अनुमति को नहीं । एक बार अनुमति दिये जाने के बाद मामला सभा के विचाराधीन हो जाता है । यदि अनुमति दी गई है, तो मैं रिकार्ड देखूंगा और उपाध्यक्ष से बात करूंगा । मैं उन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । परन्तु यह विनिर्णय है, तो अध्यक्ष को उपाध्यक्ष का विनिर्णय बदलने का अधिकार है । यदि उपाध्यक्ष ने अनुमति दी है तो मैं उसको बदलूंगा नहीं । मैं इस मामले की चर्चा करुंगा ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

औषध और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I lay on the Table a copy of the Drugs and Cosmetics (Sixth Amendment) Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 1594 in the Gazette of India dated the 13th November, 1976 under section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 **[Placed in Library. See No. LT 913/77.]**

केन्द्रीय उत्पादन शल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त तथा राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० सां० नि० 546(ङ) और 547 (ङ) जो दिनांक 30 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 914/77]।**

(2) अधिसूचना संख्या 264/77-सी० ई०, जो दिनांक 2 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) अधिसूचना संख्या 265/77-सी० ई० और 266/77-सी० ई० जो दिनांक 3 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्रों में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 915/77]।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) के अन्तर्गत अधिसुचनायें तथा लौह सोद्रण-पतले मसाले की पाईपलाइनें--अनुभव और प्रयुक्ति सम्बधी प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 952 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 916/77]**

(2) 'लौह सांद्रण-पतले मसाले की पाइपलाइनें-अनुभव और प्रयुक्ति' संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 917/77]

भारतीय बेतार तार (संशोधन नियम)

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय बेतार तार (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 978 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 918/77]**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इत्यादि और मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण तथा एक अधिसूचना का शुद्धिपत्र

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[श्री रविन्द्र वर्मा]

(बी) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 919/77)

(2) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विवरण संख्या 26—तीसरा सत्र, 1971
(बी) विवरण संख्या 25—तेरहवीं सत्र, 1975
(तीन) विवरण संख्या 8—पन्द्रहवां सत्र, 1976 } पांचवी लोक सभा
(चार) विवरण संख्या 8—सोलहवां सत्र, 1976
(पाच) विवरण संख्या 5—सत्रहवां सत्र, 1976
(छः) विवरण संख्या 2—पहला सत्र, 1977 } छठी लोक सभा
(सात) विवरण संख्या 1—दूसरा सत्र, 1977

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 920/77]

(3) अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 547 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 21 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 254 का शुद्धि पत्र दिया हुआ

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 921/77]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(1) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 25 जुलाई, 1977 को पास किये गये विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1977 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(2) कि राज्य सभा 3 अगस्त, 1977 की अपनी बैठक में लोकपाल विधेयक, 1977 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के बारे में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये नामनिर्दिष्ट किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:—

(1) श्री रवि राय
(2) श्री सुन्दर सिंह भण्डारी
(3) श्री महादेव प्रसाद वर्मा

(4) श्री विट्ठल गाडगिल

(5) श्री जी० पी० सिंह

(6) श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी

(7) श्रीमती मारगरेट आल्वा

(8) श्री ए० आर० अन्तुले

(9) श्री सवाईसिंह सिसोदिया

(10) श्री एन० जी० रंगा

(11) श्री एस० डब्ल्यू० ढाबे

(12) श्री बिपिन पाल दास

(13) श्री भूपेश गुप्त

(14) श्री के० ए० कृष्णस्वामी

(15) श्री जी० लक्ष्मणन

अविलम्बनीयं लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में निरन्तर वर्षा के कारण मकानों के गिरने तथा कुछ व्यक्तियों की कथित मृत्यू

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"निरन्तर वर्षा के कारण दिल्ली में अनेक मकानों के गिरने जिससे कुछ व्यक्ति मारे गये, पानी जमा हो जाने, सड़कों के टूट जाने तथा माल नलियों के रुक जाने से जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को भारी चिन्ता है, के समाचार तथा यमुना नदी से अनेक क्षेत्रों के बाढ़ग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये की गई कार्यवाही"

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : महोदय, इस वर्ष मानसून शुरु होने के बाद से दिल्ली में असाधारण वर्षा हो रही है। आज तक हुई कुल वर्षा सारे साल की वर्षा की औसत के लगभग बराबर है। जुलाई, 1977 के महीने में लगभग निरन्तर वर्षा जिसमें बीच-बीच में भारी वर्षा हुई है, के कारण दिल्ली के विभिन्न भागों में नालियां रूक जाने और पानी जमा हो जाने की समस्याएं पैदा हो गई हैं। परन्तु दिल्ली नगर निगम वाटर पम्पों और सल्ज वाटर पम्पों की सहायता से, इन क्षेत्रों में से जहां पानी जमा हो गया है पानी निकालने के संयुक्त उपाय कर रहा है। पानी जमा होने से क्षतिग्रस्त सड़कों की ईंट-पत्थरों से उनके गड्ढ़ों को भरकर मरम्मत भी की जा रही है।

बहुत सारे मकान जो भारी वर्षा को नहीं सह सके थे पिछले 20 दिनों में पूर्णत: अथवा अंशत: क्षतिग्रस्त हुए। बताया जाता है कि मकानों के गिरने से दिल्ली के विभिन्न भागों में छ: जाने गई हैं। इसके अतिरिक्त 3 व्यक्ति डूबने से तथा दो बिजली का झटका लगने से मर गये हैं। निगम द्वारा

[श्री चरणसिंह]

एक सर्वेक्षण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ मकानों को जो खतरनाक समझे जाते थे गिरा दिया गया है। 32 मुकदमें भी उन मकान मालिकों/मकान के निवासियों के खिलाफ चलाये गये हैं जिन्होंने मकानों को खतरनाक घोषित किये जाने के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं करवाई थी। निगम ने प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 500 रु० तथा गम्भीर रूप से प्रत्येक घायल हुए व्यक्ति को 250 रू० देने का भी फैसला किया है। मकान गिरने से प्रभावित परिवारों को वैकल्पित स्थान देने के प्रश्न पर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से दिल्ली नगर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

जलागम क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण, यमुना नदी में भी बाढ़ आ गई तथा यह 28-7-1977 को खतरे के निशान को पार कर गई। इसके परिणामस्वरूप अनेक गांवों, पुनर्वास बस्तियों तथा दिल्ली की कुछ अन्य बस्तियों पर बाढ़ का असर पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक असर नजफगढ़ ब्लाक पर पड़ा है। हरियाणा क्षेत्र में दरारे पड़ने से बाढ़ का पानी ढ़ासा बांध में गिर रहा है। इससे बांध में दरार पड़ने का खतरा हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए बांध को उंचा तथा मजबूत किया जा रहा है। कल सुबह से सेना के एक हजार जवान इस कार्य में लगे हुए है। उनकी सहायता दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भरती किए गए असैनिक मजदूरों द्वारा की जा रही है। नजफगढ़ झील बांध को भी खतरा हो गया है। सुबह से लगभग दो सौ मजदूर इस बांध को मजबूत बनाने के कार्य में लगे हुए हैं।

दिल्ली प्रशासन ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से ग्रामीणों तथा उनके मवशियों को निकालने, खाद्य सामग्री तथा अनिवार्य वस्तुओं की व्यवस्था करने, चिकित्सा, पशु चिकित्सा तथा अन्य सहायता के उपाय करने के बारे में प्रबन्ध किए हैं।

आप की अनुमति से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे अभी-अभी समाचार मिला है कि उत्तम नगर के पास आज प्रातः नाले संख्या 8 में 20 से 30 फूट चौड़ी दरार आ गई है। इस दरार से हस्तक तथा नागलोई ग्रामों को खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली प्रशासन के इंजीनियर तथा वरिष्ठ अधिकारी तुरन्त वहां भेज दिये गये हैं। साथ-साथ वहां के निवासियों को भी उन स्थानों से हटाया जा रहा है।

ढांसा बान्ध की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री जी० जी० मावलंकर : महोदय, यद्यपि आप ने कल कहा था कि सभा सात बजे तक बैठेगी और मध्यान्ह भोजन अवकास न होगा, परन्तु न तो इसका उल्लेख कार्य सूची में है और न ही संसदीय कार्य में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया है। इसका अर्थ है कि सभा की अनुमति नहीं ली गई है।

अध्यक्ष महोदय : सभा की राय क्या है ?

श्री हरि विष्णु कामत : कल से हम बिना मध्याह्न भोजन अवकाश के बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। सभा मध्याह्न पश्चात 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इस के पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए मध्याह्न पश्चात् 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2.15 बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Kanwar Lal Gupta : From the statement made by the Home Minister it is clear that the condition of Delhi is very serious.....

श्री अण्णासाहिब गोटखिडे : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । गृह मंत्री उपस्थित नहीं है । उत्तर कौन देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वयं प्रधान मंत्री उपस्थित है । वह गृह मंत्री की ओर से उत्तर दे सकते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : A very serious situation has arisen in Delhi as a result of the floods.

श्री के० लकप्पा : महोदय, नियमों के अनुसार सदस्य द्वारा उठाये गये ध्यान आकर्षण का उत्तर सम्बन्धित मंत्री को देना होता है, क्योंकि सम्बन्धित मंत्री उपस्थित नहीं है, ध्यान आकर्षण कैसे लिया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण के उत्तर में सम्बंधित मंत्री ने वक्तव्य दे दिया है । अब कुछ स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, जिस का उत्तर सरकार की ओर से कोई भी दे सकता है ।

श्री के० लकप्पा : प्रधान मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

श्री एम० एन० गोविंद नायर : ध्यान आकर्षण के सम्बन्ध में गृह मंत्री ने उत्तर दिया है । दूसरा मंत्री स्पष्टीकरण कैसे दे सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप के मार्गदर्शन के लिए नियम 197 पढकर सुनाता हूं । नियम 197 इस प्रकार है :—

"कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा ।"

इस में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी विशे मंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाये ।

अब चूंकि गृह मंत्री आ गए है, श्री कंवर लाल गुप्त अपना प्रश्न पूछे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Nearly 8 lakhs of people in Delhi are surrounded by flood waters and unauthorised and unapproved colonies are worst affected. The situation is such that it is beyond description. Nearly 25 thousand people are suffering from malaria and cholera. The condition of the roads is very bad and the Corporation has no funds to repair the roads. The Corporation is not in a position to repair the roads.

So the repair of roads and removal of water could not be undertaken. There is a lot of confusion due to multiplicity of authorities in Delhi.

[Shri Kanwar Lal Gupta]

The people of Haryana and Rajasthan broke the Dhansa Bandh which flooded the area of West Delhi. Will the Home Minister ensure that complete arrangements are made to check epidemics? Will the Government make alternative arrangements for those whose houses have been destroyed or damaged? Municipal Corporation of Delhi is a big establishment and the Central Government should give it sufficient funds.

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : There are no two opinions about the sufferings of the people. Floods undo the developments made by the country every year. Shri Kanwar Lal Gupta has expressed desperate feelings. The condition of the country or that of Delhi cannot be improved in four months. There has been deforestation in U. P. and other areas. There is lot of pressure on land due to shortage of land. If trees are planted at a distance 2 furlongs on both sides of the rivers it would help afforestation and prevent floods. It is very difficult to take land from Agriculturists and convert it into forests. But if the persons who are displaced in the drive for afforestation are given alternative employment, this job can be done at national level. There is no other remedy.

It is said that the population of Delhi has risen from 36 lakh to 55 lakhs. More and more offices and factories are being established here and that naturally gives rise to population increase. If it is decided to convert Delhi into a dry port it would affect the systems of roads, water supply and drainage. In the absence of trees entire rain water is drained into rivers. If forests are planted then only 18 per cent water would go to rivers.

It is said that the city is in the grip of floods. The MPs of Delhi should have been at danger spots. We too have sympathy for citizens of Delhi. We want practical solutions to the problem. The Government will implement them rapidly.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : दिल्ली को शुष्क पत्तन घोषित किए जाने का विचार बहुत पुराना है **(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी : बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति से सरकार की कमजोरियों का पता चलता है। बाढ़ से अधिकांश क्षति निर्धन व्यक्तियों की होती है। परन्तु सरकार द्वारा किए गये राहत कार्य से धनी वर्ग को ही लाभ पहुंचता है। सरकार को इस बारे में दीर्घकालीन उपाय बरतने चाहिए तथा अल्पकालीन राहत कार्य भी करने चाहिये। मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार का इस बारे में कोई दायित्व नहीं है।

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : If we give compensation to every one affected by floods our entire budget will be insufficient.

श्री समर मुखर्जी : सरकार के रवैये से पता चलता है कि सरकार इस मामले को समुचित गम्भीरता से नहीं देखती।

श्री चरण सिंह : हम इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री फजलुर्रहमान (बेतिया) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिये नहीं बुलाया जायेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनके नाम कार्य-सूची में होते हैं।

Shri Ugrasen: Sir, the notice regarding floods which I had given related to the floods in the entire country but the calling attention motion accepted by you relates to Jamuna floods only. The whole country is confronted with this havoc. So my submission is that until and unless a permanent solution of the flood problem is evolved the problem cannot be solved. A Commission should be appointed to make a comprehensive study of floods in the country. There is no history of floods here in our country and until and unless such a history is prepared, it will be difficult to find out a solution of the flood problem. My other submission is that flood and water technology should be made a subject of study for our engineering students. Research work should also be carried out for this purpose.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : गृह मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह निश्चय ही सराहनीय है। उनका यह कहना ठीक ही है कि जंगलों के नाश से ही बाढ़ आती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बाढ़ों का अध्ययन भी किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अध्ययन कार्य में तो अभी समय लग जायगा परन्तु जो नदियां अपने किनारों तथा पुलों से उपर होकर बह रही हैं, उनकी गाद आदि निकालने का कार्य तो शीघ्र ही कर दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही म मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में खाद्य सामग्री के पेकेट गिराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि बाढ़ पीड़ितों की कुछ राहत पहचानी जा सके।

Shri Charan Singh: The situation to warrant distribution of food packets has not come so far. In case it is required, we will readily do it. At present all sorts of relief operations are being carried out. Even cash compensations are also being given to the survivors.

Dr. Bapu Kaldate (Aurangabad): I want to know how many relief camps have been opened. May I also know if anti-cholera vaccination is also being given.

Shri Charan Singh: I cannot say how many people have been inoculated but I can say that medical relief is being made available to the flood victims. The survivors of victims are being given cash relief and even those injured are also being given help in the form of cash. The representatives of catchment areas such as Haryana, Madhya Pradeh and Uttar Pradesh are also being called to Delhi for taking up afforestation schemes.

Dr. Bapu Kaldate: In view of widespread flood devastation, may I know how many relief centres have been opened? May I know if any cholera inoculation has also been given or any arrangement for the same has been made?

Shri Charan Singh: I cannot say how many people have been inoculated but as I said, all sorts of medical and veterinary relief is being provided to flood vicitims.

कार्य यंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पांचवा प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सदन के समक्ष कार्य-यंत्रणा समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्ययंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। कार्य यंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, 3 अगस्त, 1977 को हुई थी। कार्ययंत्रणा समिति ने यह सिफारिश की है कि चालू सत्र के लिए निश्चित किया गया कार्य समाप्त करने के लिए

[श्री रविन्द्र वर्मा]

यह सभा गुरुवार 4 अगस्त, 1977 से प्रातः 11 बजे से लेकर 7 बजे तक, बिना मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुए कार्य करती रहेगी ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन, जिसे आज सभा में प्रस्तुत किया गया था, के साथ सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के पांचवे प्रतिवेदन से, जिसे आज सभा में प्रस्तुत किया गया था, के साथ सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपका ध्यान एक महत्वपूण बात की ओर दिलाना चाहता हूं । यह विषय तो आज की कार्यवाही सूची में भी नही है अतः आप इसे किस प्रकार ले सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य यंत्रणा समिति के कुछ विवरण तथा प्रतिवदन अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

नियम 377 के अधिन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण दिल्ली में विद्युत संकट

श्री वयालार रवि (चिरयंकिल) : मैं सदन का ध्यान पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चले आ रहे बिजली के संकट की ओर दिलाना चाहता हूँ । बिजली के संकट के कारण दिल्ली के नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । यद्यपि श्री स्वरूप चन्द गुप्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि बिजली बंद होने की घटनाओं में गत कुछ दिनों से वृद्धि हो गई है परन्तु फिर भी दिल्ली में सप्लाई की स्थिति सामान्य बनाने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लगभग 25,000 कार्मचारी गत कुछ सप्ताह से हड़ताल पर है। पांच कर्मचारियों ने तो भूख हड़ताल कर रखी है परन्तु इस समस्या को हल करने के लिए न तो केन्द्रीय सरकार ने और न ही दिल्ली नगर निगम ने ही कोई कदम उठाया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जाये ।

(दो) रिहायशी क्षेत्रों में डाक्टरों के चिकित्सालयों और उपचारगृहों को चलाए जाने पर प्रतिबन्ध

Dr. Sushila Nayyar (Jhansi) : I want to draw the attention of the Housing Minister under Rule 377, towards the orders of D. D. A. banning the running of nursing homes and clinics in residential areas. The order also states that those who will run such nursing homes in residential areas, will be prosecuted. I think there is hardly any justification for such an order when we are fully aware that our hospitals are badly over crowded and the number of beds are very limited. In Delhi there are 88 nursing

homes which are having 15 to 50 beds. The number of clinics in Delhi is not very much. But these nursing homes and clinics are of great help to the people of those areas and to ask them to shift to Commercial areas will not be good. Nursing homes everywhere else in the World are in residential areas. So I want to know from the hon. Minister what is being done in our country and whether Government is considering to reverse this order if so, when it will be done?

(तीन) पंजाब और हरियाणा के अन्य केन्द्रों में खुले में पड़ी गेहूं

श्री यदवेन्द्र दत्त : श्रीमान, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं

पंजाब तथा हरियाणा के चंडीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर 60 लाख टन गेहूं खुले में रखा हुआ है। वर्षा के कारण इसके नष्ट होने का खतरा है। जिससे सरकार को 720 करोड़ रुपए का नुकसान हो जायेगा। मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारी वर्षा आदि से इस गेहूं को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा र हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

विदेश मंत्री की तंजानिया यात्रा के बारे में वक्तव्य
STATEMENT *RE* VISIT TO TANZANIA BY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): मैं हाल में ही तंजानिया की राजकीय यात्रा से लौटा हूं और मुझे लगा कि इस सम्मानित सदन को अपनी यात्रा के परिणामों से अवगत कराने के इस प्रथम अवसर का मुझे लाभ उठाना चाहिए।

मेरी तंजानिया यात्रा जनता सरकार के किसी मंत्री की प्रथम अफ्रीका यात्रा थी। मुझे अवसर मिला कि मैं अफ्रीकी मित्रों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक संबंधों को घनिष्ठतर बनाने की भारत की इच्छा को दोहरा सकूं और दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाले स्वतंत्रता संग्रामों के साथ भारत की निरंतर एकजुटता तथा समर्थन का विश्वास दिला सकूं।

मेरी तंजानिया यात्रा दो भागों में थी। प्रथम, मैं अपने मित्र तथा सहयोगी तंजानिया के विदेश मंत्री श्री मकापा का मेहमान था। हमने दार्ला के दो चक्रों में जिम्बाब्वे, नमीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर गहराई से चर्चा की। "हार्न आफ अफ्रीका" में जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है उसका भी सर्वेक्षण किया। इस अवसर पर मैंने अपने तंजानियाई मित्र को भारतीय उपमहाद्वीप में हाल में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी दी। हमने दोनों देशों के लिये अनेक रुचिकर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी चर्चा की। हमारी वार्ता परम्परागत गर्मजोशी तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई जो भारत-तंजानिया संबंधों की हमेशा से विशेषता रही है।

राष्ट्रपति न्येरेरे से मुझे 29 जुलाई को भेंट करने का सौभाग्य मिला। यह भेंट इससे अधिक अच्छे अवसर पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि राष्ट्रपति लुसाका में प्रथम पंक्ति के देशों के शिखर सम्मेलन से हाल में ही लौटे थे और वाशिंगटन की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। राष्ट्रपति न्येरेरे विश्वमान्य राजनेता हैं और अपनी प्रतिभा, साहस, दूरदृष्टि तथा सरलता के लिए समूचे विश्व का समादर अर्जित कर चुके हैं। उनके साथ मेरी बातचीत बड़ी विचारोत्तेजक रही और उससे मुझे दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति को समझने में नई दृष्टि मिली।

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

यह संयोग की बात है कि स्वापो के अध्यक्ष श्री नुजोमा उन्हीं दिनों दार-एस-सलाम में थ और हमारी मुलाकात हुई जिसमें नमीबिया की स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नमीबिया की समस्या का हल ढूंढने के मामले में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करने के दावपेच चल रहे हैं और किस प्रकार स्वापोइन प्रयत्नों को विफल करने के लिए कटिबद्ध है। उनका मत था कि राष्ट्र संघ की सभा का एक विशेष अधिवेशन होना चाहिए जिसमें नमीबिया समस्या की गंभीरता पर ध्यान खींचा जा सके और उसको स्वाधीनता को निकट लाया जा सके। हमने इस सुझाव का समर्थन करना मान लिया।

श्री नुजोमा ने भारत द्वारा दी गई नैतिक तथा भौतिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया और यह आशा प्रकट की कि वे वर्ष के अन्त तक भारत की यात्रा करेंगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि भारत में उनका हार्दिक स्वागत होगा।

दार-एस-सलाम में मेरी राजनीतिक वार्ता सामयिक, अर्थपूर्ण तथा फलदायी रही। किन्तु मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में भाग लेना था, जो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक हुई। बैठक का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जुम्बे ने किया और इस अवसरपर तंजानिया के पाँच मंत्री उपस्थित थे। यह इस बात का संकेत था कि तंजानिया भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्वपूर्ण मानता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम भी ऐसा ही समझते हैं।

तंजानिया के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में हमारा सहयोग द्रुत गति से बढ़ा है और उसके अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों से लेकर तेल तथा गैस की खोज तक शामिल है। इस समय तंजानिया में 800 से अधिक भारतीय विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और हमारे तंजानिया मित्रों ने इन विशेषज्ञों द्वारा तंजानिया के आर्थिक विकास में दिये जा रहे योगदान की मुक्तकण्ठ सराहना की।

दार-एस-सलाम से लगभग 200 किलोमीटर दूर हिन्द महासागर में स्थित सोंगो सोंगो के छोटे से द्वीप की मेरी यात्रा स्मरणीय थी। यह वह द्वीप है जहां हमारे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तंजानिया के पैट्रोलियम कारपोरेशन की मदद से बड़ी मात्रा में गैस खोज निकालने में सफलता पाई है। गैस की मात्रा का वर्तमान अनुमान 30 बिलियन क्यूबिक मीटर है और वह तंजानिया की ऊर्जा की आवश्यकता के एक बड़े भाग की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी। सोंगो सोंगो अपेक्षाकृत अलग अलग है और वहाँ काम करना कोई सरल बात नहीं है। कठिनाईयों के बावजूद मैंने पाया कि भारतीय विशेषज्ञों का मनोबल बड़ा ऊँचा है। मैं इस अवसर पर उनकी और तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन की सराहना करना चाहता हूँ। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत तथा तंजानिया के स्नेह संबंधों को अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सोंगो सोंगो में प्राप्त गैस का उपभोग करने की योजनाएं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तंजानिया सरकार के विचारार्थ तैयार कर रहा है। हम इस क्षेत्र में और उर्वरक, पैट्रोकैमिकल आदि क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को विस्तृत करने के लिए तत्पर हैं।

अन्य प्रमुख औद्योगिक परियोजना, जिसे कार्यान्वित करने पर भारत और तंजानिया सहमत हो गये हैं वह कोरा चीनी मिल के बारे में है। इस मिल में प्रतिदिन 2,500 टन गन्ना पेरने की क्षमता होगी; जिसे दूसरे चरण में 3,500 टन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय मशीनों तथा साज-सामान पर जो व्यय होगा, उसे कुछ मात्रा में सरकारी ऋण तथा कुछ मात्रा में आई डी बी आई/एस

बी आई द्वारा दिये कर्ज से पूरा किया जायेगा। चीनी मिल 1980 में काम करना शुरू कर देगी और भारत तथा तंजानिया के बीच घनिष्ठ संबंधों में और एक कड़ी होगी।

भारत और तंजानिया के बीच आर्थिक सहयोग अब इतना व्यापक है कि मैं अनेक परियोजनाओं के नाम ले सकता हूं जिनमें हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उदाहरणार्थ—मुख्य भूमि तथा जंजीबार में औद्योगिक संस्थान, दार-एस-सलाम में बाओसिकल फेक्टरी, जंजीबार को ट्रकों तथा बसों की सप्लाई, तंजानिया को रेल इंजनों, डिब्बों तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति और लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास।

तंजानिया से भारत को कच्चे काजू की आबाध आपूर्ति के बारे में भी चर्चा हुई। तंजानिया इस बात के लिये राजी हो गया है कि भारत की आवश्यकता का, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत तंजानिया के काजू का सब से बड़ा परम्परागत आयातक है, प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगा। कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिये मिलजुल कर काम करने की संभावनाओं को भी खोजा जा रहा है।

पिछले कुछ समय से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, गुट 77 की बैठक तथा अन्यत्र भी विकासशील देशों के बीच सहयोग के विकास के बारे में काफी चर्चा हुई है जिससे सामूहिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। भारत और तंजानिया के बीच सहयोग, जो मतवाद से मुक्त और पृथकता से दूर है, एक उदाहरण है जो यह बताता है कि यदि ईमानदारी से सहयोग करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है, तो क्या कुछ किया जा सकता है। मैं भविष्य के बारे में आशान्वित लौटा हूँ और मुझे विश्वास है कि तंजानिया तथा अन्य विकासशील देशों के साथ हमारा सहयोग निरंतर बढ़ता रहेगा।

मैं तंजानिया सरकार और विशेषत: तंजानिया के विदेश मंत्री तथा संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्ष वित्त तथा नियोजन मंत्री का आभारी हूँ जिन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का तंजानिया की परम्परा के अनुसार आतिथ्य सत्कार किया।

गृह मंत्री के व्यवहार के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE* CONDUCT OF HOME MINISTER

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान, मैं भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय पर व्यवस्था का केवल एक ही प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री समर गुह : चाहे आप इसे निन्दा प्रस्ताव कहिए अथवा संकल्प, यह सही रूप से नहीं है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार कोई एक विशेष मामला उठाया जा सकता है। इस प्रस्ताव में भी तीन भिन्न भिन्न मामले उठाए गए हैं। इसमें पहली बात हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में है तथा तीसरी बात निर्वाचन आयोग की फाइलों से निकाले गए पत्र के बारे में है। इन तीनों मामलों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। अत: यह नियम 186 के प्रथम उपबन्ध का उल्लंघन है।

[श्री समर गुह]

दूसरी बात यह है कि इसमें अपमानजनक वक्तव्य दिया गया है। मैंने आज तक सभा में ऐसा निन्दा प्रस्ताव नहीं देखा जिसमें अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया हो। (**व्यवधान**)

उस नियम के खण्ड 7 के अनुसार सभा में उसी सत्र के दौरान उस मामले पर चर्चा नहीं होगी, जिस पर चर्चा किए जाने की सम्भावना हो। उदाहरण के लिए हरिजनों के मामले पर पहले ही चर्चा हो रही है निन्दा प्रस्ताव पेश करने का यह तरीका है कि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अध्यक्ष के समक्ष पेश करेगा और उस पर अध्यक्ष अपनी अनुमति देगा। 50 सदस्यों को उस प्रस्ताव का समथन करना होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्री गुह द्वारा बताई गई बातों के अतिरिक्त नियम में यह भी कहा गया है कि ऐसा प्रस्ताव हाल ही में हुए किसी मामले के बारे में पेश किया जा सकता है। किन्तु इस प्रस्ताव की (ग) मद इस सत्र के आरम्भ होने से पहले हो गई थीं और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हो चुकी है। अब हमें यह देखना चाहिए कि क्या इस प्रस्ताव पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए अथवा नहीं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : लोक सभा के समाचार भाग-II संख्या 249 में यह प्रस्ताव नियम 189 के अन्तर्गत अनियत तिथी प्रस्ताव के रूप में छपा था। यकि अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव की सूचना को स्वीकृत करता है तो इसका अर्थ यह है कि अध्यक्ष ने इसका महत्व तथा अविलम्बनीयता स्वीकार कर ली है। नियम 186 (1) के अनुसार एक विशेष मामला उठाया जाना चाहिये किन्तु इस प्रस्ताव में तो तीन मामले आते हैं दूसरे केवल हाल ही में घटित मामले के बारे में ऐसा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है किन्तु प्रस्ताव के (क) भाग में बताई गई बात तो 13 जून, 1977 में हुई है।

ऐसे पूर्वोदाहरण इस सदन में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की संसद में भी आये हैं कि एक दिन का विलम्ब होने पर मामला अविलम्बनीय महत्व का नहीं रह जाता क्योंकि उसे तुरन्त सभा के ध्यान में लाना चाहिए। प्रश्न इस बात का है कि प्रस्ताव को ने इस प्रस्ताव को इस नियम के अधीन क्यों उठाया है?

नियम 186(6) में बताया गया है कि इसके द्वारा इस विषय पर फिर से चर्चा एक ही सत्र में नही उठाई जा सकती जिसमें कि उसी मामले पर चर्चा हो चुकी हो। बेलछी काण्ड पर पहले ही चची हो चुकी है। अतः जब इस विषय पर पहले ही इस सत्र के दौरान चर्चा हो चकी है तो इन सभी नियमों के विरुद्ध यह प्रस्ताव कैसे उठाया जा सकता है?

अन्त में अध्यक्ष प्रस्ताव के किसी भाग पर या समूचे प्रस्ताव पर फिर से चर्चा उठाने की अनुमति दे सकता है।

अन्त में प्रस्ताव में यह कहा गया है "यह सभा एतद्द्वारा गृह मंत्री के विरुद्ध अपनी नाराजगी प्रकट करती है और उनके आचरण का निरनमोदन करती है।" गृह मंत्री सदन में और इसके बाहर मात्र गृह मंत्री के रूप में हीं काम नहीं करते हैं। सदन द्वारा एक मंत्री के आचरण का निरनमोदन किए जाने का अर्थ है समूचे मंत्रि परिषद के आचरण का निरनुमोदन किया जाना। सदन एक मंत्री के बारे में चर्चा नहीं कर सकता और यह नहीं कह सकता कि उनका आचरण ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को समझ गया हूं।

श्री जगन्नाथ शर्मा (गढ़वाल) : हमारे संविधान को ब्रिटिश हाउस आफ कामंस के संविधान से प्रेरणा मिली (हैं। (**व्यवधान**) ब्रिटीश हाउस आफ कामन्स में भी ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जब वहां ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया हो ।

यह प्रस्ताव वस्तुत: अविश्वास प्रस्ताव है और यह संविधान के उपबन्धों का पालन किए बिना पेश नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता हो तो यह एक गलत परम्परा होगी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए संवैधानिक उपबन्ध हैं। यह प्रस्ताव इस तरह से नहीं उठाया जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एकही मुद्दा उठाना चाहूंगा। अब हम द्वितीय चरण पर हैं, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का चरण समाप्त हो चुका है। आपने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the chair.*]

जो बातें उठाई गई हैं वे प्रस्ताव स्वीकार किए जाने से सम्बन्धित हैं। अब हम उन्हें इस लिए नहीं उठा सकते क्यों कि अध्यक्ष महोदय ने अपनी बुद्धि से अस्वीकार कर दिया है। अब मामला पेश किए जाने की स्थिति में है। इस स्थिति में भी नियम लागू होंते हैं। क्योंकि इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि अब नियम लागू नहीं होते। इस स्थिति में नियम 186 लागू होता है और इस नियम तथा नियम 188 के अनुसार इस मामले पर निर्णय लिया जाना चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि प्रस्ताव का दूसरा मामला प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गत दो महीने में नियुक्त किए गए जांच आयोगों का विषय है अथवा नहीं। यदि ऐसा है तो अध्यक्ष की इस पर नियम 188 के अधीन विचार करना होगा और अपना निर्णय देना होगा। अध्यक्ष महोदय की जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये। इस मामले को कल तक रोका जा सकता है।

अब मैं मामले के अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं। संविधान के अनुच्छेद 75 के माध्यम से रुकावट खड़ी करना। अनुच्छेद 75 के खण्ड (3) में कहा गया है "मंत्रिमण्डल संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है।" अत: न तो संविधान में और न ही प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध है जिस के अन्तर्गत संविधान के इस विशेष अनुच्छेद की चुनौती देने वाला ऐसा कोई प्रस्ताव पेश किया जा सके ताकि किसी एक मंत्री को लोक सभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सके। प्रस्ताव का शब्द विन्यास उचित ढंग से नहीं किया गया है। किसी मंत्री के आचरण विरुद्ध केवल एक ही तरीके से प्रस्ताव लाया जा सकता है और वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर ही किया जा सकता है। अन्य कोई तरीका इसके लिए नहीं है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो यह एक खतरनाक उदाहरण होगा। अत: मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस सम्बन्ध में दो बुनियादी बातों को ध्यान में रखना होगा। एक तो यह कि अध्यक्ष को अपने निर्णय में फीर बदल करने से रोकने को कोई नियम नहीं है। दूसरे ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा किसी सदस्य को यह कहने से रोका जा सके कि अमुक प्रस्ताव नियमानुसार नहीं नहीं है। यदि इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है तो यह प्रस्ताव बिना किसी आधार के गिर जाएगा।

[श्री श्यामनंदन मिश्र]

यह प्रस्ताव नियम 184 के अन्तगत लाया गया है और उसी के अनुसार इस पर विचार होना चाहिए। यदि यह उसकी कसौटी पर खरा नहीं उरता तो यह प्रस्ताव नियम 184 के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता ।

हम इस प्रस्ताव को न तो नियम 184 के अन्तर्गत मानते है और न ही किसी अन्य नियम के अन्तर्गत । यह प्रस्ताव किस नियम के अन्तर्गत पेश किया गया है ? बुनियादी प्रश्न यह है। क्योंकि मेरे विचार में यह प्रस्ताव न तो अविश्वास प्रस्ताव है और न ही नियम 184 के अनुसार है इसलिए यह नियम बाह्य है ।

श्री सी० एन० स्टीफन (इहकी) : प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक आपत्ति यह उठाई गई है कि इसमें एक से अधिक मामले उठाए गए हैं। हमने 'भूल चूकों' की बात कही है और उसी आधार पर निन्दा की है। नियम कहता है कि भूल चूकों को स्पष्ट रूप से बताया जाए । इसलिए हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया और उन्हीं के आधार पर हम निन्दा करना चाहते हैं। जहां तक निन्दा प्रस्ताव का सम्बन्ध है नियमों में कोई विशेष उपबन्ध नही है। ऐसे प्रस्ताव सामान्य प्रस्तावों के नियमों के अनुसार अनियत दिन वाले प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत किए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल अथवा कुछ मंत्रियों अथवा एक मंत्री के विरुद्ध उनकी गलतियों के विरुद्ध लाया जा सकता है। जहां तक पूर्वोदहारण का सम्बन्ध है, 1968 में श्री मधु लिमये ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिस पर आधा दिन चर्चा चली। अनुच्छेद 75 और नियम 184 आदि सभी पर चर्चा हुई थी। वहां निरनुमोदन का ही शब्द उपयोग में लाया गया था। सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इन सभी बातों पर विचार किया गया है। यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। यह निन्दा प्रस्ताव है। अध्यक्ष इसे स्वीकार कर सकते हैं। यह इस सदन और हाउस आफ कामन्स के विनिर्णयों के अन्तर्गत आता है अतः आपत्तियों का अस्वीकार किया जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के विरुध्द एक प्रस्ताव सभा पटल पर रखा था और उसमें मैंने भारत सेवक समाज के बुरे कारनामों के बारे में कपूर आयोग की रिपोर्ट के कुछ विशिष्ट पैराग्राफों की ओर सदन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था। श्री मिश्र ने केबिनेट के सदस्य बनने से पहले जो कुकृत्य किए थे प्रस्ताव उसके संबंध में था। श्री स्टीफन ने मेरे प्रस्ताव के संबंध में जो कुछ कहा है वह गलत है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्री स्टीफन ने हाउस आफ कामन्स के प्रक्रिया नियमों का उल्लेख किया है। हमारे अपने प्रक्रिया नियम हैं, विशेषाधिकारो इत्यादि के संबंध में उनके और हमारे नियम जरूर एक जैसे है लेकिन अन्य मामलो में भी नहीं ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम): इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि उठाए गए इन व्यवस्था के प्रश्नों में कोई सार नही है। परन्तु ये सभी आपत्तियां तकनीकी है और प्रस्ताव में उचित संशोधन करके उन्हें दूर किया जा सकता है। यह उचित नहीं लगता कि आज तकनीकी बात को लेकर ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकृत किया जाए। हमे जनता के मन में यह धारणा नहीं पैदा करनी चाहिए कि हम कुछ बात उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हम उनसे डरते नहीं हैं। हम उनका सामना करने के लिए तैयार है अगर उनमें साहस है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला कर दिखाएं ।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur): The rules are clear as to what conditions have got to be fulfilled before a motion can be admitted. This motion appears to be a censure motion and it cannot be admitted in the form in which it has been brought here. If a Minister has done something wrong the entire council of Ministers is responsible for that. This motion is out of order and it cannot be admitted in the present form.

Reference has been made to the Precedents of House of Commons. But these Precedents will be applicable when our rules are not very clear and definite in this regard.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : व्यक्तिगत रूप से मैं यह मानता हूं कि यदि निन्दा प्रस्ताव हो तो वह समूचे मंत्रिमंडल या प्रधान मंत्री के विरुध्द होना चाहिए। परन्तु मैं उसकी आड़ नहीं लेना चाहता और जब आपने उसे स्वीकार कर लिया है तो मैंने उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी आपत्तियों पर अधिक बल न दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह ऐसा मामला है जिसका असर भविष्य पर पड़ेगा। प्रश्न यह है कि क्या यह प्रस्ताव नियमों के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं जहां तक मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाने की बात है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए ऐसे उपबंध है और उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है फिर यदि कोई मंत्री या सदस्य सदन को गुमराह करता है तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रस्ताव तीन अलग अलग बातों से संबंधित है। परन्तु संबध्द मंत्री को अवसर दिए बिना यह प्रस्ताव कुछ काल्पनिक तथ्यों अथवा अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है और अविश्वास प्रस्ताव के विकल्प के रूप में लाया गया है। जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप में भी नहीं किया जा सकता इसमे प्रक्रिया का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। यदि गृह मंत्री कोई गलत बयानी करते है तो उसके लिए समूचे मंत्रिमण्डल को जिम्मेदार माना जाए और उसके लिए 'अविश्वास-प्रस्ताव' की व्यवस्था है। विशेषाधिकार के उल्लंघन पर मंत्री को अपने वक्तव्य को स्पष्ट करने का अवसर दिय जाना चाहिए। इसलिए स्पष्ट ही यह प्रस्ताव इन सभी नियमों से बचने के लिए लाया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : यद्यपि सभा के नेता ने अनुरोध किया है कि अब आपत्ति न उठाई जाए पर मुझे खेद है मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न को वापिस नहीं ले सकता प्रस्ताव की भाषा बिलकुल निन्दा प्रस्ताव की भाषा नहीं है। अत: मेरा अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था के प्रश्न पर दोबारा विचार करें हम इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हैं और हमने सदन में इस विषय पर कई बार चर्चा की है यदि बार-बार ऐसे मामलों पर चर्चा को अनुमति दी जाएगी तो भविष्य के लिए यह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण बन जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब पक्षों की बातें सुनी हैं। प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह प्रस्ताव नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य है और दूसरा यह कि दोनों आरोप नियम 186 के विरुध्द हैं और क्या प्रस्ताव का विशेष भाग आपत्ति जनक है और क्या उसे प्रस्ताव के मुल पाठ से हटा दिया जाना चाहिए। मुझे ज्योंही यह प्रस्ताव मिला मुझे स्वयं यह संदेह हो गया कि मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए क्या किसी मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। मैंने पूर्वोदाहरण तथा नियमों से ध्यान पूर्वक पढ़ा है, नियमों को जांच के बाद न तो मुझे कोई नियम इसके पक्षमे मिला न विपक्ष में। मैंने पिछले पूर्वोदाहरण देखे और उनके अनुरुप मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा कि प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। अत: मैंने प्रस्ताव

[अध्यक्ष महोदय]

स्वीकार कर लिया और इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या यह नियम 186 के अनुरूप था। नियम 186 में यह व्यवस्था है कि प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जा सकता है जब इस शर्त की पूर्ति हो कि इससे वास्तविक रूप से निश्चित मामला उत्पन्न होगा। वस्तुतः जब मूल नोटिस दिया गया तो यह निरर्थक एवं दोषपूर्ण था और इसलिए हमें प्रस्तावक को इसे संशोधित करने के लिए कहा ताकि इससे निश्चित मामला उठ सके। उनके अनुसार निश्चित मामला यह था कि गृह मंत्री ने संसद को गलत सूचना दी है। और इसलिए उनकी निंदा की जानी चाहिए। प्रस्ताव में दिए गए उदाहरण दृष्टांत मात्र थे और सभी एक मामले से सम्बन्धित थे और वह मामला यह था कि उन्होंने सदन को गलत सूचना दी है। (व्यवधान)

अतः मेरे विचार से नियम 186 का उल्लंघन नहीं हुआ। अब प्रस्ताव के स्वीकार करने के बाद मुझे पता चला कि बेलछी कांड के बारे में आपराधिक मामला विचाराधीन है। अब चूंकि मामला न्यायालय में है, अतः उस पर चर्चा करने से न्यायालय की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ सकता है। इस लिए मैंने पहले भाग अर्थात् "क" भाग को निकाल दिया है क्योंकि उसे स्वीकार करने के बाद ही मुझे वास्तविकता का पता चला था। अतः निन्दा प्रस्ताव (ख) और (ग) भाग तक ही सीमित रहेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हम जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रस्ताव अनुच्छेद 75 (3) के अन्तर्गत आता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवन्द्रम) : श्रीमान्, आपने कहा है कि आपने यह निन्दा प्रस्ताव लछी कांड के बारे में गलत सूचना देने के कारण स्वीकार किया है... (व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : श्रीमान, क्या आप (ख) और (ग) पर चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं या केवल (ख) भाग पर... (व्यवधान)

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : आप कृपया अपने विनिर्णय पर पुनर्विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप कैसे कहते हैं कि नियम 338 आवश्यक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह चुका हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस नियम में "यह नहीं होगा" शब्द हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप भाग (ग) की अनुमति कैसे दे रहे है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मेरा निर्णय अंतिम है।

श्री मोरारजी देसाई : अध्यक्ष का विनिर्णय सबको मानना चाहिए और उस पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये।

श्री समर गुह : हम आपके निर्णय का सम्मान करते है किन्तु भविष्य में जब कोई और अध्यक्ष आयेगा तो वह पूर्व दृष्टांत का अनुसरण करेगा। हमें तो भविष्य की चिंता है। निन्दा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : यदि अध्यक्ष ने एक बार निर्णय दे दिया हो तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री समर गुह : हम तो विनिर्णय पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सभा के समक्ष जिम्मेदार होगी। किसी एक मंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव नहीं हो सकता। कृपया भविष्य में मार्ग दर्शन के लिए आप यह स्पष्ट किजिए (**व्यवधान**)। हमें भविष्य के लिए स्वयं को इस सम्बन्ध में जानकार बनाना चाहिए। यदि यह अविश्वास प्रस्ताव का स्थानापन्न प्रस्ताव है तो फिर इसे एक मंत्री के विरुद्ध पेश कैसे किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है। (क) भाग पर चर्चा नहीं होगी **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं निम्न लिखित प्रस्ताव पेश करता :–

"कि निम्नलिखित मामलों के बारें में गृह मंत्री की भुलचूकों पर विचार करने के बाद अर्थात्:–

(क) कि वह निराधार और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देने के लिए सभा-मंच का दुरुपयोग करते रहे हैं जैसा कि अन्य उदाहरणों के साथ-साथ गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वादविवाद का उत्तर देते हुए 13 जुलाई, 1977 को उनके इस आरोप से स्पष्ट है कि भूतपूर्व सरकार की तैयारी सभा विचार जेलों में नजरबन्द राजनीतिक नेताओं को गोली से उड़ाने का था,

(ख) कि उन्होंने अपने शासकिय पद का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्र सांविधिनक निकायों के मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसा कि अन्य उदाहरणों के साथ-साथ निर्वाचन आयोग की फाइलों से दिनांक 5 मई, 1977 का पत्र जो भारतीय लोक दल के नेता के रूप में उन्होंने लिखा था, वापस मंगाने के उनके आचरण से स्पष्ट है,

यह सभा एतद्द्वारा गृह मंत्री के विरुद्ध अपनी नाराजगी, प्रकट करती है और उनके आचरण का निरनुमोदन करती है।"

मैं विपक्ष के अपने मित्रों को बतादो कि मैंने इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए सभा की अनुमति बदले की भावना से नहीं मांगी है।

मुझे अत्यधिक खेद है कि **(व्यवधान)** किन्तु श्रीमान इस संसद का सदस्य होने तथा इस देश का नागरिक होने के नाते मैंने यह प्रस्ताव पेश करके अपना कर्तव्य निभाया है।

मेरा गृह मंत्री से कोई बैर नहीं है। मैं उनकी संगति में भी नहीं रहा हूं किन्तु एक राजनितीक कार्यकर्ता होने के कारण मैं उनकी गतिविधियों को देखता आ रहा हूं और कई बातों में मैं उनकी सराहना भी करता हूं।

गत कुछ वर्षों से देश का नैतिक स्तर एवं राजनैतिक स्तर गिरा है और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये है कि न्यायाधिशों की निष्पक्षता संदेहास्पद हो गई है, प्रधान मंत्री की निष्पक्षता संदेहास्पद हो गई है, तथा राजनीतिक नेताओं की निष्पक्षता सन्देहास्पद हो गई है। देश के जनजीवन में विश्वास की कमी हो गई है। इस वर्तमान समस्या के लिए हम सब जिम्मेदार है। यह एक राष्ट्रिय समस्या है, जिसका मुकाबला करना होगा।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

मैं गृह मंत्री महोदय का उनकी आयु के लिहाज से, उनके अनुभव के लिहाज से तथा उनके लम्बे सार्वजनिक जीवन के लिहाज से पूर्ण आदर करता हूं तथा उनके कार्य पर दृष्टी रखे हुए हूं। उनके कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे यह धारणा बन गई है कि हरिजनों के प्रति तथा पददलितोंसे उन्हें सहानुभूति नहीं है। उनके कार्य के देखने से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हुं कि वे भूमि सुधार, हरिजनों तथा पद दलितों के विरूद्ध है। उनके कार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि गांधी वादी अर्थ व्यवस्था एवं भावी आर्थिक ढांचे के बारे में उन्हें गलत फहमी है। यह आम धारणा बन गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सीमा से बाहर नहीं जा रहे है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं है। मैं जानता हूं कि यह संभव नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह प्रस्ताव पास हो जाये, क्यों कि मैं इस सरकार को गिराना नहीं चाहता। यह सरकार जनता द्वारा चुनी गईहै तथा मैं चाहता हूँ कि यह कुछ समय तक सत्ता में रहे। हमारा देश एक बड़ा देश है और इस की समस्यायें पेंचिदा है। अतः इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार को गिराना न होकर उन प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिलाना है, जो प्रशासन और आचरण में पनप रही है। मुझे यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि प्रस्ताव के पहले भाग को जिसमें बेलची दूर्घटना का उल्लेख है, निकाल दिया गया है तथा उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। आप का निर्णय सर्वमान्य है तथा मैं प्रस्ताव के अगले भाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

प्रस्ताव का अगला भाग इस प्रकार है :–

"कि वह निराधार और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देने के लिए सभा मंच का दुरुपयोग करते रहे हैं जैसा कि अन्य उदाहरणों के साथ-साथ गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर वादविवाद का उत्तर देते हुए 13 जुलाई, 1977 को उनके इस आरोप से स्पष्ट है कि भूतपूर्व सरकार की तैयारी तथा विचार जेलों में नजरबन्द राजनीतिक नेताओं को गोली से उड़ाने का था।"

मूल प्रश्न यह है कि जब कोई मंत्री, विशेषतया गृह मंत्री, सभा में कोई वक्तव्य दे, तो उसे अपनी बात को प्रमाणित करना चाहिए। उन्हें सभा के प्रति इतना आदर अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। उन्हें अपने प्रति भी इतना न्याय करना चाहिए कि वह जो बात कहें उसे प्रमाणित करें। सभा मंच अफवाहे फैलाने का स्थान नहीं है। वह गृह मंत्री है तथा उनके पास फाइलों आदि हैं। यह उनका दायित्व था कि अपने कथन को प्रमाणित करते, परन्तु जब अगले दिन उनसे अपने कथन का प्रमाणित करने को कहा गया तो उन्होंने कह दिया कि मेरे कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि पुलिस अथवा सेना को आदेश दिये गये थे, अपितु मेरे कथन का यह अभिप्राय था कि जब जीवन के अधिकार को लम्बित कर दिया गया था तो इससे स्पष्ट है कि विचार था। उन्होंने अपने कथन की पुष्टि करने की बजाये यह स्वीकार किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया और लिखित रुप में कुछ नहीं दिया गया। कोई योजना नहीं बनाई गई और किसीसे सलाह नहीं ली गई।

उन्होंने आगे कहा कि महान्यायवादि श्री नीरेन डे जो सरकारी वकिल थे, ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष बताया था कि भारत में किसी को जीने का अधिकार नहीं है।

श्री डे के प्रश्न से दो बातें उत्पन्न होती है। पहली तो यह कि क्या उन्होंने ऐसा तर्क दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में मुख्य तर्कों का उल्लेख होता है। मेरे पास निर्णय तथा उसमें कहीं भी न्यायाधीशों ने यह नहीं कहा है कि श्री नीरेन डे ने ऐसा तर्क दिया था।

दूसरे श्री नोरेन डे ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि उन्हों ने ऐसा तर्क नहीं दिया था । उन्हो ने स्वयं कहा है कि कोई भी ईमानदार वकील ऐसा तर्क नहीं दे सकता । गृहमंत्री महोदय ने केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को ही अपने कथन का आधार बनाया है, जो कि सही नहीं है ।

वर्ष 1975 की स्थिति पहली बार नहीं आई। 1962 और 1964 में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तब कहीं ऐसा नहीं किया गया कि किसी को मारने की योजना थी । जब भी असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 359(1) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 को निलम्बित किया जा सकता है। क्या इसका मतलब यह था कि इसके निलम्बित होने ही लोगों को जेलों में गोली से उड़ा दिया जाये। यदि सरकार यह समझती है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा का यह परिणाम है तो उन्होंने गत 3-4 महीनों में अनुच्छेद 359 में संशोधन करने का प्रस्ताव क्यों नहीं किया ताकि हम खतरे को टाला जा सके ।

दूसरी बात यह है कि यदि आपात-स्थिति के दौरान जेल में बन्द लोगों को मारा जाना अपराध नहीं है और सरकार इस बात के लिये स्वतंत्र है कि वह जिसे भी चाहे मार दे तो केरल में राजन के मामले को हत्या का मामला नहीं समझा जाता। लेकिन हत्या का मामला दर्ज किया गया है ।

तीसरे, यदि सरकार का इरादा लोगों को गोली से उड़ाने या मार देने का होता तो सरकार द्वारा बन्दियों को अवधि से पूर्व एक एक करके रिहा करने के आचरण को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। स्वयं श्री चरण सिंह को फरवरी, 1976 में रिहा किया गया।

वस्तुत: ज्योहीं गृह मंत्री ने यह कहा कि मेरे पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, और किसी के द्वारा ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है, तो उन्होंने अपने पहले वक्तव्य को ग़लत बताया है। मूल सिद्धांत यह है कि उनके वक्तव्य को प्रमाणित करना होगा। चूंकि गृह मंत्री ने सिद्धांत का उल्लंघन किया है अत: उन्हें ग़लत वक्तव्य देने के लिये सदन से क्षमा मांगनी चाहिये ।

जनता पार्टी भले ही भारत के संविधान के प्रावधानों को जन-विरोधी समझे । यदि वे ऐसा स्वीकार करते हैं तो उन्हें संविधान में संशोधन करना चाहिये। हमने बार-बार कहा है कि 42 वें संशोधन के सम्बन्ध में हम उनका समर्थन करेंगे। हम इस प्रयोजन के लिये उन्हें तो - तिहाई का बहुमत देंगे ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि कांग्रेस पार्टी यह आश्वासन देती है तो वह संविधान का संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को लोक सभा और राज्य सभा दोनों में समर्थन करेगी तो मैं कल ही विधेयक पेश कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री का यह कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने नेता के माध्यम से यह वचन देती है कि वह लोक सभा और राज्य सभा दोनों में 42 वें संशोधन के निरसन सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करेगी तो वह इस विधेयक को तुरन्त पेश करेंगे।

श्री यशवंतराव चव्हाण (सतारा) : मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने हमसे परामर्श नहीं किया कि वह किस प्रकार का विधेयक लाना चाहती है और उसका स्वरुप क्या होगा। मैंने पहले ही कहा है कि आप का संविधान संशोधन विधेयक कैसा होगा और हम उसपर चर्चा करने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसलिए पैदा हुआ क्योंकि श्री स्टीफन ने कहा है, "हम इस सदन तथा दूसरे सदन में इसका समर्थन करने के लिये तैयार है।" अतः प्रधान मंत्री ने जानना चाहा कि क्या वह पार्टी की ओर से बोल रहे हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : सत्तारुढ़ दल की करनी और कथनी में अन्तर है। यह तथ्य स्वीकार करने के बावजूद कि अनुच्छेद 359(1) का संवैधानिक प्रभाव जनता के लिये प्रतिकूल है फिर भी उन्होंने इन महीनों के दौरान संवैधानिक स्थिति को सुधारने के लिये कुछ नहीं किया यद्यपि उन्होंने यह माना है कि 42 वां संशोधन गलत है उन्होंने विरोधी दल से इस बारे में बातचीत शुरु नहीं की है। उन्होंने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है। उन्होंने हमसे इस बात के लिए कोई परामर्श नहीं किया कि कौन से उपबन्ध रखे जाने चाहियें और कौनसे नहीं। उदाहरण तथा क्या आप का यह कहना है कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारिता सम्बन्धी निदेशक तत्व का लोप किया जाना चाहिये ? क्या आप यह भी चाहते हैं कि नागरिकों की शिकायतों को सुनने और उनका निपटारा करने के लिये प्रशासनिक फोरम स्थापित करने सम्बन्धी उपबन्ध का भी लोप किया जाना चाहिये ? क्या आप यह भी चाहते हैं कि प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया जाये जिसमें उपबन्ध है कि देश को सामाजिक होना चाहिये ? अतः कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो सत्तारुढ़ दल भी बनाये रखना चाहेगा। जहां कहीं भी इसके संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी हम इसकी समर्थन करेंगे। दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, विरोधी पक्ष के नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि कई बातों में हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। 42 वें संशोधन के कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिन्हें सत्तारुढ़ दल में हटाना नहीं चाहेगा। अतः मैं गृह मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाता हूं कि उन्होंने निराधार और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे सिद्ध करने के लिये उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। उन्होने श्री निरेन डे ने जो कुछ कहा है उससे अन्दाजा लगाया है। अतः उन्हे सदन से क्षमा मांगनी चाहिये या अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिये।

चौधरी साहब ने 5 मई को निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था। मैं केवल मामले के वे तथ्य बताउंगा जो चौधरी साहेब और श्री शान्तिभूषण ने राज्य सभा में कहे है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसके कर्मचारी तथा अन्य सभी बातें विधि मंत्रालय के अधीन है न कि संसद की तरह जो पूर्णतया अध्यक्ष के अधीन है। उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी पूर्णतया सरकार के अधीन नहीं है, अपितु ये उच्चतम न्यायालय के अधीन हैं। परन्तु निर्वाचन आयोग का स्टाफ विधि मंत्रालय के अधीन है।

तथ्य ये है कि 5 तारीख को एक पत्र लिखा गया। 5 तारीख को ही चार दलों ने जनता पार्टी में विलय होने का निर्णय लिए और उसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई गई।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पूर्वाधिकार का यह निर्णय है कि सभा में पार्टी सम्बन्धी मामलों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह पार्टी सम्बन्धी मामलों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वह गृह मंत्री के कृत्य पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री शान्ति भूषण ने राज्य सभा में और प्रधान मंत्री ने अपनी प्रेस सम्मेलन में यह तर्क दिया "भारतीय लोक दल के नेता ने पत्र लिखा और भारतीय लोक दल के नेता ने पत्र वापस मांग लिया और बाद में पत्र फिर फाइल में लगा दिया गया"। इसमें क्या गलत बात है? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। यह चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश से सम्बन्धित मामला है। 1 मई को निर्णय लिया गया कि 4 घटक दल मिल कर एक दल बनायेंगे और विलय के बाद निर्वाचन आयोग नये दल को मान्यता प्रदान करेगा। उसे इस पार्टी को एक चिन्ह देना होगा।

चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश के अन्तर्गत चुनाव आयोग अर्द्ध न्यायिक कार्य कर रहा है और इस आयोग ने विलय होने वाले दलों द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र के आधार पर अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही शुरु करनी थी। चार दलों कांग्रेस संगठन जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोक दल ने पत्र लिखे। 5 तारीख को आयोग को पत्र प्राप्त हुए। इस आधार पर कार्यवाही शुरु होनी थी और चुनाव आयोग को अर्द्ध न्यायिक निर्णय देना था।

चुनाव आयोग को एक बार लिखा गया पत्र सार्वजनिक सम्पत्ति बन जाता है क्योंकि यह पत्र वह लोग देख सकते हैं जिन्हें आयोग के समक्ष आपत्ति प्रकट करनी होती है। साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि एक ऐसा दस्तावेज जिसे किसी पार्टी को भी देखने का हक है, सरकारी दस्तावेज होता है।

इस सरकारी दस्तावेज के संबंध में अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही शुरु हो चुकी थी। एक पार्टी पत्र वापिस लेना चाहती थी। इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए था? सामान्य तरीका यह था कि पार्टी एक पत्र चुनाव आयोग को लिखती और कहती कि हमारा पहले वाला पत्र अस्वीकार कर दिया जाए। लेकिन इस मामले में क्या गृह मंत्री ने चुनाव आयुक्त को टेलीफोन किया और चुनाव आयुक्त ने वह पत्र उन्हें वापिस कर दिया। चौधरी साहिब, ने, पत्र न लिख कर टेलिफोन के द्वारा जो पत्र मंगाया, वह उचित बात नहीं थी। उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसे किसी को भी नहीं करना चाहिए।

यहां एक उच्च अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण को एक दस्तावेज का, जिसके आधार पर न्यायिक कार्यवाही की जानी है, अंग बन जाता है तो चुनाव आयुक्त दलों की ओर से देश की जनता की ओर से उसका न्यासी बन जाता है। उसे सौंपी गई सम्पत्ति का निपटारा कानूनी तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता।

यह मामला दण्ड संहिता की धारा 405 के अन्तर्गत आता है। क्योंकि यहां विश्वासघात किया गया है यदि कोई सरकारी अधिकारी विश्वास घात करता है तो उसे कड़ा दण्ड दिया जाता है।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

चुनाव आयुक्त एवं सरकारी कर्मचारी है और जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें आजीवन कारावास दिया जा सकता है। चौधरी साहिब की क्या भूमिका रही है। उन्होंने अपराध के लिए उकसाया है। अपराध करने के लिए उकसाने के लिए भी समान दण्ड दिया जा सकता है।

गृह मंत्री ने संवैधानिक प्राधिकरण के कार्यों में हस्तक्षेप किया है उन्हें इतनी अधिक शक्तियां प्रदान करके जनता ने उनमें अपनी आस्था प्रदर्शित की थी लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने इन शक्तियों का दुरुपयोग करके निन्दनीय कार्य किया है। उन्होंने दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध करने के लिए एक अधिकारी को प्रेरित किया है। इसलिए उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए।

मैंने इन दो आधारों पर निन्दा प्रस्ताव सदन के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि निम्नलिखित मामलों के बारे में गृह मंत्री की भूलचूकों पर विचार करने के बाद, अर्थात् :—

(क) कि वह निराधार और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देने के लिए सभा-मंच का दुरुपयोग करते रहे हैं जैसा कि अन्य उदाहरणों के साथ-साथ गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए 13 जुलाई, 1977 को उनके इस आरोप से स्पष्ट है कि भूतपूर्व सरकार की तैयारी तथा विचार जेलों में नजरबन्द राजनीतिक नेताओं को गोली से उड़ाने का था,

(ख) कि उन्होंने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्र सांविधिनक निकायों के मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसा कि अन्य उदाहरणों के साथ-साथ निर्वाचन आयोग की फाइलों से दिनांक 5 मई, 1977 का पत्र जो भारतीय लोक दल ने नेता के रूप में उन्होंने लिखा था, वापस मंगाने के उनके आचरण से स्पष्ट है,

यह सभा एतद्द्वारा गृह मंत्री के विरुद्ध अपनी नाराजगी प्रकट करती है और उनके आचरण का निरनुमोदन करती है।"

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रारम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं कि प्रस्तावक ने हमें निराश किया है। हम कुछ अधिक गम्भीर आरोपों की आशा कर रहे थे। परन्तु प्रस्तावक ने जो आरोप लगाए हैं उनके पीछे दृढ़ विश्वास की कमी झलकती है।

मैं यह सोच ही रहा था कि मैं गृह मंत्री को इस अनोखे सम्मान के लिए चुने जाने पर बधाई दूं। सदन के अधिकांश सदस्य एवं बाहर के लोग इस प्रकार की प्रतिष्ठा से डाह करते होंगे जिसके लिए गृह मंत्री बड़े ध्यानपूर्वक और काफी सोच विचार के बाद चुना गया है। पता चला है कि इस प्रस्ताव के पीछे एक अन्य नीति है और यह अन्य नीति केवल निराशा से छुटकारा पाने के लिए नहीं बल्कि इस बड़े दल में फूट डालने के लिए बनाई गई थी।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बठ जाएं ।

श्री एन० वी० कृष्णप्पा (चिकबल्लापुर) : जब हमारे दल के सदस्य बोल रहे थे तो उन्हे कई बार बीच में रोका गया और उनका काफी समय ऐसे ही चला गया... (**व्यवधान**) मैं भी ऐसा कर सकता हूं ।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : हम दोनों ओर के तर्क सुनना चाहते ह । कृपया हमारी सहायता करें ।

अध्यक्ष महोदय : अपने दोनों ओर के साथियों से अपील कीजिए ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरे मित्र यह जान लें कि इस दल की एकता का निर्माण मजबूत शिलाओं पर हुआ है और इसका शिलान्यास संघर्ष की अग्नि पर हुआ है और हम सभी इस्पात के पंजों से जकड़े हुए हैं और कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता ।

यह भी स्पष्ट हो गया है कि गृह मंत्री को इसके लिए क्यों चुना गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वह न केवल देश के नेता है बल्कि उस राज्य के नेता हैं जिस राज्य के तत्कालीन नेता हार गए हैं। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि जनता ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में श्रीमती इन्दिरा गांधी को बिलकुल अस्वीकार कर दिया।

गृह मंत्रीजी के आचरण के उस अंश पर चोट की गई है जिसके लिए वह विशिष्ट सिद्धांतों वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। क्या इस बात पर मतभेद हो सकता है कि वह देश के सर्वोत्तम नेता माने गए हैं। जब प्रस्तावक गृह मंत्री के आचरण के उस अंश के बारे में बोल रहे थे जिस अंश से वह प्रभावित थे तो उन्हें यह महसूस करना चाहिए था कि वह देश के सर्वोच्च प्रशासक है न कि उन पर स्वतंत्र या संवैधानिक निरुप के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाना चाहिए था ।

प्रस्तावक ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को भेजा गया पत्र अर्द्ध-न्यायिक दस्तावेज था और इस प्रकार यह एक ऐसा दस्तावेज बन गया था जो जनता की सम्पत्ति था और उसे हटाने का गृह मंत्री को कोई अधिकार नहीं था। यह कोई ऐसा पत्र नहीं था जो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हो, हटा लिया गया हो या संशोधित कर दिया गया हो। यदि भारतीय लोक दल के सचिव ने चिठ्ठी लिखी है और भारतीय लोक दल के अध्यक्ष उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपत्तिजनक बात कुछ नहीं है। अध्यक्ष को वह पत्र देखना ही था कि क्या यह सही रूप में है या नहीं।

यह प्रश्न उठाया गया है कि इसमें जनहित का नुकसान हुआ है या जन-हित प्रभावित हुआ है। क्या सदस्य का यह सुझाव है कि जन हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? क्या इसमें गुप्त रूप से कुछ किया गया है? ऐसा गुप्त रूप से नहीं किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने कागजों में लिखा है कि भारतीय लोकदल के अध्यक्ष ने पत्र मांगा था। पत्र हटाया नहीं गया। पत्र केवल वापिस करने के लिए मांगा गया था और इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। इसमें गृह मंत्री की सत्यनिष्ठता पर संदेह कसे हो सकता है? इससे जन हित पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा करना आपत्तिजनक है ।

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

प्रस्ताव के समर्थकों के पास अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां तक गृह मंत्री का संबंध है, यह प्रस्ताव उनके लिए प्रशंसा का प्रस्ताव बन गया है। प्रस्तावों के समर्थकों के लिए यह प्रस्ताव हतोत्साह एवं निराशा का प्रस्ताव बन गया है।

यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि गृह मंत्री ने आपात स्थिति के काले दिनों के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित किया और मारुति आयोग तथा 'बंसीलाल' आयोग गठित किया। अतः हम प्रतिपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

हम इस प्रस्ताव को गृह मंत्री के विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव नहीं समझते, बल्कि सरकार दल तथा प्रजा तंत्र को पुनः कायम करने के विरुद्ध प्रस्ताव समझते हैं। ये सब चीजें उन्हें अखरती हैं। ये लोग देश में प्रजातंत्र के पुनः कायम होने से संतुष्ट नहीं हुए है।

यह कम महत्व की बात नहीं है कि प्रस्तावक प्रतिपक्ष के नेता नहीं है। हमारे विचार में यह प्रस्ताव प्रतिपक्ष के नेता से ही सम्बन्धित है। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पेश नहीं किया।

विषय का दूसरा महत्व गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि नेताओं को गोली से उड़ाने का विचार था।

श्रीमती गांधी ने ऐसी कई निराधार बातें की है जो बहुत ही तुच्छ है परन्तु इन लोगों में इतना साहस नहीं कि उनकी बात का विरोध कर सकें या काट सकें। क्या श्रीमती गांधी ने श्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के बाद 7 जनवरी, 1975 को यह नहीं कहा था कि यह खतरनाक योजना का हिस्सा था और यह एक रिहर्सल थी? गृह मंत्री ने तो केवल यही कहा है कि 'विचार' था। लेकिन श्रीमती गांधी ने यह पक्का आरोप लगाया था कि यह एक योजना और रिहर्सल थी। लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात को हजम कर लिया।

श्री सी० एम० स्टीफन (मवक्तपुजा) : हम तो आज भी यही मानते हैं। यदि नहीं तो डायनामाइट का मामला क्या था? मुख्य न्यायाधीश पर बम फैंकना क्या था?

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : डायनामाइट मामला अदालत में है, उसका उल्लेख करने की अनुमति क्यों दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला अदालत में है तो उसका उल्लेख न किया जाए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : 7 जनवरी, 1975 के बाद श्रीमती गांधी ने श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के बाद यह कहा कि यह तो खतरनाक योजना की एक रिहर्सल थी? गृह मंत्री ने तो अपने वक्तव्य में केवल यह कहा कि 'विचार' था। परन्तु श्रीमती गांधी ने तो यह कहा था कि यह एक योजना और रिहर्सल थी। उस समय तो हमारे माननीय सदस्यों ने कोई ऐतराज नहीं किया। इतना ही नहीं इसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री मिश्रा को श्रद्धांजली देने समय तो यहां तक कह दिया था कि यह बात सभी जानते है कि जयप्रकाश नारायण का निशाना क्या था। अंत में श्रीमती गांधी ने श्री जयप्रकाश नारायण जैसे संत

व्यक्ति को भी नहीं बख्शा। श्रीमती गांधी ने स्पष्ट शब्दों में यह आरोप लगाया कि श्री जयप्रकाश नारायण उनके खून के प्यासे है तथा उनका असली निशाना वह स्वयं ही थी। उस समय तो मेरे कांग्रेसी मित्रों में से किसी ने भी यह कहने का कष्ट नहीं किया श्रीमती गांधी से श्री नारायण जैसे संत व्यक्ति के बारे में तो इस प्रकार निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिये। श्रीमानजी, आप को याद होगा कि 19 सितम्बर, 1975 को इस देश की आंतरिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति फोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि श्रीमती गांधी का यह आरोप काफी गंभीर है जिस में उन्होंने यह कहा था कि 29 जून के बाद उन्हें तथा उनके साथ काफी लोगों को मार देने का षड्यंत्र था। उस समय मेरे कांग्रेसी मित्रों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी।

इस देश की आन्तरिक स्थिति पर राष्ट्रपति फोर्ड के विचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक नेताओं को जेलों में ही डाला गया। अन्य देशों में तो उन्हें मार दिया गया होता इस का क्या अर्थ है ?

प्रस्तावक ने भूतपूर्व महान्यायवादी द्वारा दो दिन पूर्व दिये गये वक्तव्य का हवाला दिया है। लेकिन श्री नीरेन डे ने क्या कहा था ? उन्होंने कहा था कि प्रश्न यह नहीं है कि मौलिक अधिकारों को केवल निलम्बित कर दिया गया था। आपातस्थिति के बाद नागरिक न्यायालय में जा सकता है, परन्तु यदि कोई आपातस्थिति के दौरान मर जाता है तो सीधा कब्र में जाता है। श्री नीरेन डे ने गृह मंत्री के कथन का खंडन नहीं किया। भूतपूर्व महान्यायवादी ने कहा था कि वे भय के वातावरण में रह रहे थे और वह अपनी प्रिय पत्नी के जीवन की सुरक्षा के बारे में आशंकित थे। गत सरकार की इस से बड़ी निन्दा और क्या हो सकती है। कि महान्यायवादी भयभीत थे और अपनी पत्नी की जीवन की सुरक्षा के बारे में आशंकित थे। यह तय करना उनका काम है कि क्या इससे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उनका विचार मारने का था। प्रस्तावक का कहना है कि इस आधार पर भूतपूर्व महान्यायवादी ने मामला तैयार नहीं किया था। परन्तु यही मूल जड़ है। इसलिए न्यायधीश खन्ना ने स्पष्ट रूप से पूछा एक नागरिक को यदि कोई सिपाही अथवा कार्यपालिका का कोई अधिकारी गोली से मार देता है तो उस नागरिक का क्या होगा ? तब महान्यायवादी ने आतंकित करने वाले ढंग से हाथ उठा कर कहा : "श्रीमन् इस सम्बन्ध में आप और हम दोनों असहाय हैं"। उस समय ऐसी असहाय अवस्था में पूरा राष्ट्र ही था। अतः हम आधुनिक राज्य के नागरिक नहीं हैं। हम तो पशुओं और गुलामों के समान हैं, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है तथा हम उन की दया पर रह रहे हैं। प्रस्तावक ने दो मामलों को लेकर गृह मंत्री पर वार करने का प्रयत्न किया है। उन के सम्मुख वह चट्टान की समान सीधे खड़े हैं। झुकना प्रस्तावक को चाहिए गृह मंत्री को नहीं। उन्हें यह कहने की भी आवश्यकता नहीं कि मैं विरोध करता हूँ क्योंकि प्रस्ताव स्वयं में इतना कमजोर है कि गिर जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के लिये 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यह प्रस्ताव चर्चा के लिये 3 बजे लिया जाना था परन्तु इस पर 4 बजे चर्चा आरम्भ की गई यदि सदन की अनुमति हो तो हम आज 7 बजे तक बैठें तथा एक घंटा इस विषय पर कल चर्चा करें।

श्री वसंत साठे : आज तो 6-30 बज मेरी आध घंटे की चर्चा है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा अनुरोध है कि हम आठ बजे तक बैठे रहे।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरा प्रस्ताव यह है यह चर्चा 7 बजे तक चले तथा चर्चा का उत्तर मैं कल दे दूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी यही विचार है कि आज हम 7 बजे तक चर्चा करें। प्रधानमंत्री कल इसका उत्तर दे दें। आज 7 बजे आधे घंटे को चर्चा आरम्भ हो जायेगी। श्री स्टीफन प्रधान मंत्री के जवाब के बाद अपना जवाब दे देंगे। अब इसके पश्चात् प्रत्येक सदस्य को केवल 10 मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बडांगरा) : यह प्रस्ताव मुख्य रूप से मंत्री के उत्तरदायित्व पर आधारित है। इसके दो पहलू हैं। मंत्री संयुक्त रूप से ही नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप से भी सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। गृहमंत्री श्री चरण सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान राष्ट्रवादी तथा चट्टान के समय अटल व्यक्ति है। उन्होंने अपने राज्य में जमीदार उन्मूलन करने वाले तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी संस्थाओं की साम्प्रदायिकतावादी नीति का विरोध करने वाले व्यक्ति रहे है। उनके ऊपर मुख्य रूप से यह आरोप है कि उन्होंने सदन में और सदनके बाहर आधारहीन वक्तव्य दिये हैं तथा यह दलोतों और हरिजनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। गत 100 दिनों में उनके इस सदन में आचरण से यह धारणा बनी है। हरिजनों और आदिवासियों को सुरक्षा गृहमंत्री और सरकार का संविधानिक कर्तव्य है। मेरा मुख्य आरोप यही है कि वे अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहे हैं।

निर्वाचन आयोग के मामले में भारत सरकार के गृहमंत्री की राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न उठता है। दिल्ली के स्टेट्समैन'' और 'पेट्रियट' में उनके द्वारा अपना पत्र वापिस लेने का समाचार भी छापा था। गृह मंत्री ने 8 मई को यह पत्र वापिस लेने की इच्छा व्यक्त की।

मेरा आरोप यह है कि यह पत्र श्री चरण सिंह को 9 मई को लौटाया गया और फिर 11 मई को निर्वाचन आयोग को दे दिया गया; इस प्रकार अपने गृह मंत्री होने का उन्होंने नाजायज लाभ उठाया।

विलिंग्डन अस्पताल के एक डाक्टर जो श्री चरण सिंह दामाद होते हैं, के विरुद्ध एक मरीज के अन्दर आपरेशन के बाद एक कैंची छोड़ देने के अपराध के कारण एक लिखित चेतावनी उनकी नीजी फाइल में जोड़ दी गई थी। परन्तु अप्रैल 1977 में श्री चरण सिंह के गृह मंत्री और उनके साथी श्री राजनारायण के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर उसे गुप्त रूप से श्री राजनारायण के कहने पर फाइल से निकाल दिया गया।

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): It is absolutely wrong change **(Interruption).** I give a notice of privilege motion on this.

Shri Charan Singh: Mr. speaker, I want to know that to what extent it is relevant to the matter under discussion? If the process the change that I have asked the Health Minister to do some favour towards any non-in-law, I am ready to resign otherwise he should resign.

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री का यह व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या माननीय सदस्य का यह कथन विषय से सम्बन्धित है? श्री उन्नीकृष्णन का यह आरोप सर्वथा असम्बद्ध है। (**व्यवधान**) निन्दा प्रस्ताव में आरोप नहीं जोड़ा जा सकता।

श्री उन्नीकृष्णन : मैंने दो बातें रखी हैं। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि कौनसी सही है।

अध्यक्ष महोदय : नियम, 353 के अन्तर्गत कोई सूचना, न देने के कारण मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : आपके विनिर्णय के बाद माननीय सदस्य के कथन को विवरण से निकाल दिया जाए । यह मेरा व्यवस्थाका प्रश्न है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जहाँ तक श्री मोरारजी देसाई और श्री चरण सिंह के प्रति सम्मान का प्रश्न है उसके बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं । परन्तु यहाँ उन्होंने भूल चूक की है और इसी कारण हम यह प्रस्ताव लाए हैं ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई–उत्तर पश्चिम) : प्रस्तावक ने कहा है कि यदि गृह मंत्री कोई वक्तव्य देते है जिसके द्वारा किसी पर आक्षेप लगता है तो उन्हे उसे अपने वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहिए परन्तु प्रस्तावक महोदय को यह मानना चाहिए कि कुछ वक्तव्यों के तथ्य को देखा जा सकता परन्तु कुछ बाते घटनाओं के आधार पर ही अनुमान की जाती हैं । जब गृह मंत्री ने यह कहा कि पिछली सरकार का विचार नेताओं को जेल में मारने का था तो ऐसा उन्होने परिस्थिति जन्य साक्ष्यो के आधार पर ही कहा । सदन के सामने समस्या यह है कि पिछली सरकार के विचार के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा लगाया गया अनुमान औचित्यपूर्ण है या नहीं ?

जब भी आपातस्थिति तथा उस दौरान हुई ज्यादतियों की बात की जाती है, तो कांग्रेसी सदस्य कहते है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं हैं । तब वे यह कैसे जान सकते हैं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कुछ नेताओं को मारने का विचार नहीं किया था ? इस बात पर यदि वे जोर देते हैं तो उन्हें यह मानना होगा कि वे भी प्रधान मंत्री के विश्वासपात्र थे और उन्हें जो कुछ वे कर रही थीं उसकी जानकारी थी । तभी व ऐसा कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री का ऐसा कोई विचार नहीं था । किसी भी कांग्रेसी सदस्य को प्रधान मंत्री को निर्दोष कहने का हक नहीं है और न ही यह कहने का कि उनका नेताओं को मारने का विचार नहीं था ।

श्री स्टीफन का यह कहना सही है कि न्यायालय में किसी या विधि अधिकारी द्वारा मात्र कोई तर्क इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त नहीं कि सरकार का विचार लोगों को मारने का था । परन्तु उसके यह कहने से सरकार की नीयत पता चलती है ।

यह बात उठाई गई कि क्या वास्तव में महान्यायवादी ने ऐसा तर्क दिया था । मैंने स्वयं उनका यह तर्क सुना था, उन्होंने ऐसा ही कहा था । इसके लिए यदि कोई चाहे तो बम्बई ला रिपोर्ट देख सकता है । इसका समाचार एक "ईवनिंग न्यूज" समाचार पत्र में भी छपा था ।

[**श्री सोनू सिंग पाटील पीठासीन हुए ।**
(SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair.*)]

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के विरुद्ध हत्या के स्पष्ट प्रमाण है । श्री नागरवाला को मारने का इच्छुक कोई व्यक्ति हो सकता है तो वह वही हो सकता है जो तथ्यों को छिपाना चाहता हो । . . .
(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । ऐसे किसी भी मामले का उल्लेख नहीं किया जा सकता जो न्यायिक जांच के अन्तर्गत हो या न्यायाधिकरण के सामने हो ।

सभापति महोदय : वे मामले के गुण दोष में नहीं जा रहे हैं । वे केवल सम्बन्धित मामले का उल्लेख मात्र कर रहे है । इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम जेठमलानी : गृह मंत्री के सामने भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा नागरवाला मामले में किये गये काम के और उस मामले के तथ्यों के प्रकाश में क्या उनका इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था कि मारने का विचार था। क्या गृह मंत्री को यह नहीं पता कि पिछली सरकार नैतिक और राजनीतिक रूप में राजन की हत्या की दोषी है ? यदि गृह मंत्री यह मानते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं तो यह अनुमान लगाना निश्चित ही है कि जेल में पड़े लोगों को मारने का विचार था। गृह मंत्री ने सदन में झूठा बयान नहीं दिया है और उनका यह वक्तव्य इस प्रस्ताव का विकल्प नहीं बन सकता।

इस संबंध में मैं श्री सुन्दर डाकू के वकील की एक भेंट की बात कहना चाहता हूँ। मैं डाकू की बात का विश्वास नहीं कर सकता परन्तु एक डाकू के सामने ** श्री संजय गांधी के होने पर मैं सुन्दर की ही तरजीह दूंगा।

सभापति महोदय : ऐसे शब्दों का उपयोग न किया जाए।

श्री वसंत साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष ने श्री० चरण सिंह के दामाद का मेरे द्वारा उल्लेख किए जाने पर नियम 353 के अन्तर्गत कहा था कि अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना किसी व्यक्ति के बारे में निन्दाजनक बातें नहीं कही जा सकती। क्या माननीय सदस्य ने पूर्व सूचना दी थी। क्या वे किसी की भी ** कह सकते हैं। आप एक निर्णय दे और अध्यक्ष महोदय दूसरा। ऐसा नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : मैं केवल ** शब्द को निकालना चाहता हूं।

श्री राम जेठमलानी : सुन्दर ने अपने वकील से कहा था कि मुझे पुलिस द्वारा मारे जाने का डर है क्यों कि मुझसे बार-बार एक जनता नेता को मारने के लिए कहा गया था।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*)]

इस प्रकार महान्यायवादी के सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार की बात कहने पर गृह मंत्री का यह निष्कर्ष निकालना कि लोगों को मारने का विचार था, सर्वथा उचित ठहरता है और ऐसा कह कर उन्होंने गलत बयानी नहीं की है।

प्रधान मंत्री को दाण्डिक अपराधों से बरी किए जाने का उपबन्ध संविधान में करने का और क्या औचित्य था ? आज तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया जाए क्योंकि जितना ही वे उस पर जोर डालेंगे उतना ही इस सम्बन्ध में और अधिक प्रमाण मिलते जाएंगे कि मारने का विचार था।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के आदेश के अनुसार 7 बजे हमें आधे घंटे की चर्चा आरंभ करनी है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अन्य दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला है। यदि चर्चा यहीं समाप्त हो जाती है तो यह केवल जनता और कांग्रेस दल की चर्चा बन कर रह जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे अभी और चालू रखी जाए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

**Expunged as ordered by the chair.

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह निर्णय करना चाहिए कि समय बढ़ाया जाए या नहीं ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): चर्चा को 7.30 तक चलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा आधे घण्टे की चर्चा 7.30 बजे शुरू की जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम चर्चा का समय 7.30 तक बढ़ाते हैं ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। दूसरे पक्ष से अभी जिन दो वक्ताओं ने बोला है उनका तर्क गलत है। गृह मंत्री ने सीधा आरोप लगाया था कि तैयारियां हो रही थी कि कुछ लोगों को ढाका के समान जेल में गोली से मार दिया जाये। जब इस तरह का आरोप लगाया जाये तो कोई भी व्यक्ति जो कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो तो वह समझ जायेगा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से एक ही निर्णय निकलना चाहिए। श्री नीरेन डे के वक्तव्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पिछली सरकार जेल में बन्द कुछ लोगों को मारना चाहती थी।

कानून का एक सामान्य सिद्धान्त है कि इरादे का पता किए गए कार्य से लगाता है । जब अप्रैल 1976 में यह तर्क दिया गया था उस समय सरकार का कैसा आचरण था। सबसे पहला व्यक्ति जो छोडा गया है, वह श्री जय प्रकाश नारायण थे। उनसे कहा गया कि उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें मन पसन्द अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई। फिर श्री श्याम नन्दन मिश्र को छोड़ा गया। और तीसरे व्यक्ति श्री चरणसिंह थे जिन्हें छोड़ा गया। क्या उनमें से कोई यह कह सकता है कि सरकार के आदेश से उन्हें शारिरिक हानि पहुंचाई गई ? राजन के मामले को भारत सरकार से नहीं जोड़ा जा सकता और यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई योजना थी। इसलिए गृह मंत्री का यह आरोप सर्वथा आधारहीन और झूठा है। वह इस तरह झूठ बोल कर क्या प्राप्त करना चाहते है। इससे तो केवल लोग भड़केंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री वसंत साठे इतने भाववेश में आ गए हैं कि "झूठ" जैसे गैर-संसदीय शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं।

श्री राजनारायण : "झूठ" शब्द गैर-संसदीय है।

श्री वसंत साठे : यदि मैंने यह शब्द कहा है तो मैं इसे वापस लेता हूं।

दुर्भाग्य से मुझे आशंका है कि इसी तरह के प्रचार के कारण गोडसे ने भावावेश में आकर राष्ट्रपिता का कत्ल किया था। इस तरह झूठ बोलने से इस प्रकार का वातावरण बन जायगा।

कृपया "19 महीनों" की रहमत लगाओ। श्री चरणसिंह ने सभा तथा देश को गुमराह किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री साठे ने ऐसी बातें कही हैं जो कि सच नहीं है।

जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे हिसार जेल में रखा गया और हर प्रकार से मानसिक यातना दी गई। वहां मुझे दिल का दौरा भी पड़ा । किन्तु परीक्षण किए जाने के बाद मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई और कहा गया कि इस तरह की कोई बात नहीं है।

[श्री ज्योतिर्मय बस]

मेरे पिताजी मृत्यशैया पर थे किन्तु मुझे इससे अवगत नहीं कराया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुझे आपने मामले में तर्क देने के लिए तिहार जेल लाया गया । तब तक मेरे 85 वर्षीय पिता की मृत्यु हो गई... (व्यवधान)

मुझे ऐसी दवाई दी गई जिससे मुझे बहुत हानि हो सकती थी। मुझे पागल बनाने की चेष्टा की गई । पश्चिम बंगाल से मुझे जयपुर भेजा गया। वहां भी मुझे अन्य लोगों से बिल्कुल पृथक रखा गया। मेरा लड़का मुझे जयपुर मिलने आता था। उसके मस्तीष्क में भी खराबी आने लगी। डाक्टरों ने राय दी कि यदि लड़के को अपने मां बाप के साथ न रहने दिया गया तो वह पागल हो जायेगा । तब जाकर वे मेरी पत्नी तथा पुत्र को जयपुर मेरे साथ रहने के लिए लाये । वह झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : उन्होंने गैर-संसदीय शब्दों का प्रयोग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये गैर संसदीय शब्द रिकार्ड में नहीं आयेंगे ।

श्री समर मुकर्जी : हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे है। खुशी की बात है कि ये लोग भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर दोष लगा रहे हैं कि वह विपक्ष के नेताओं को मारने की योजना बना रही थी। कत्ल करने की राजनीति 1970 में पश्चिम बंगाल में शुरु हुई थी। तबसे हम कहते आये हैं कि सत्तारूढ़ दल राजनीतिक हत्याएं करवा रहा है और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे । अब समूचे देश को इसका अनुभव हो गया है।

श्री वसंत साठे : आप नक्सलवादियों ने रवींद्र नाथ टैगोर शांतिनिकेतन के प्रोफेसरों की हत्या की।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शोर मत मचाइये । श्री समर मखर्जी के भाषण में व्यवधान मत डालिए।

श्री समर मुखर्जी : साथ ही हम देश को चेतावनी देते रहे कि देश अधिनायकवाद की ओर जा रहा है । हमने अपने दल की कांग्रेस (बैठक) में 1972 में यह घोषणा की थी एकदलीय तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। पश्चिम बंगाल में हमने अर्ध-फासिस्ट-वादी आतंक का राज्य सहन किया। हजारों कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। हमारे कई राजनीतिक नेताओं की हत्या की गई । उस समय तो भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल को दोषी ठहराया जा रहा था, क्योंकि उन घटनाओं की समुचित जांच नहीं करवायी गई ।

गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसी योजना थी। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने आरम्भ से ही यह योजना बना ली थी और इसका हमें पता भी था। यह स्पष्ट रुप से बता दिया गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वयं राजनीतिक हत्याओं की योजना बनाई थी।

अतीत में हमने जब कभी सभा में इन हत्याओं के बारे में मामला उठाया तो हमारे पर विश्वास नहीं किया गया । आज सबको पता चल रहा है कि हम आधारहीन बातें नहीं करते थे। यही कारण है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से विहीत कर दिया गय है..... (व्यवधान)

जब तक यह सरकार अधिनायकवाद के विरुद्ध रहेगी हम उन्हें अपना समर्थन देते रहेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक हत्या की योजना बनाई थी। 1970 से 1977 तक क्या हुआ। इस बारे में हमारी बात सही निकली है.. (**व्यवधान**)

पहले श्री जय प्रकाश नारायण ने भी हम पर विश्वास नहीं किया। जब एक बार वह विश्वविद्यालय में गए और उनके साथ वहां तो दुर्व्यवहार किया गया। तब उनको भी विश्वास हो गया कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को छोड़कर विपरित मार्ग अपना लिया है.... (**व्यवधान**) जब हमने 1972 के चुनावों से पहले राजनीतिक हत्याओं के बारे में प्रधान मंत्री से बातचीत की थी तो उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें झूठ हैं। (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : श्रीमान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जरा मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

श्री समर मुखर्जी : प्रधान मंत्री को पूरा पता था कि क्या हो रहा है.. (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य विचाराधीन विषय को छोड़कर किसी और विषय पर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न ठीक है। श्री मुखर्जी आप प्रासंगिक विषय की चर्चा करें।

श्री समर मुखर्जी: प्रस्ताव के अनुसार गृहमंत्री ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेताओं की हत्या करने की योजना बनाई गयी थी। हमने भी अनुभव किया है कि ऐसी योजना थी। सारे देश को एक जल बना दिया गया था। एक आतंक और हत्या की राजनीति ने जन्म ले लिया था।

यदि भूतपूर्व प्रधानमंत्री चुनाव में न हारती तो अनेक नेता मार दिये जाते ताकि वे सत्ता पर बनी रह सकती। खेद की बात है कि विपक्ष के बैंचों पर बैठने वाले हमारे मित्र अब भी इन बातों से कुछ नहो सीख रहे। मैं इस निंदा प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि इसका उद्देश्य भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सभी अपराधों पर पर्दा डालना है।

आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION

ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को काम पर लगाया जाना

श्री वसंत साठे : मैं ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को काम पर लगाने की चर्चा शुरु कर रहा हूं.....

[**श्री सोनू सिंह पाटील पीठासीन हुये**
[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*.]]

[श्री वसंत साठे]

यह मामला भिलाई में लौह अयस्क खातों के कर्मचारियों की स्थिति से उत्पन्न हुआ है। ठेकेदारों और संविदा श्रमिकों के बीच उठे विवाद के कारण वहां अत्याधिक खेदजनक घटनायें हुई हैं और वहां एक दर्जन से अधिक श्रमिकों को गोली से मार दिया गया है।

संविद श्रमिकों की शर्तों का संविद श्रमिक नियमन एवं उत्पादन अधिनियम के अनुरुप बनाया गया है तथा उन्ही के अन्तर्गत नियम बनाये गये है। सरकारी क्षेत्र में भी खानों के उपबन्धों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि संविदा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हो और उनके लिये संविधिक प्रावधानों का पालन किया जाये।

इस सरकार की नीति औद्योगिकरण की रोजगारोन्मुख कार्यक्रम बनाने की है। लेकिन बिहार में मशीनीकरण का खतरा पैदा हो गया है और मशीनों द्वारा लौह अयस्क की खुदाई करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके फलस्वरुप हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। अतः मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करें कि यदि मशीनीकरण से सैद्धान्तिक रुप से कुछ लाभ हो सकता है किंतु वह किसे वरचिता देंगे ? क्या वह संविद श्रमिक को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों और बालबच्चों के भी रोजी रोटी देना उचित समझेंगे या मशीनों से लौह अयस्क की खुदाई करवाना उचित समझेंगे ?

मंत्री महोदय स्पष्ट आश्वासन दें कि कम से कम से कम वे अपने मंत्रालय में तो ग़रीब मजदूरों को रोज़गार से वंचित नही करेंगे और ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण नही होगा।

इन मजदूरों को 5 रुपये से भी कम दिया जाता है जबकि न्यूनतम वेतन 11–20 रुपये है। वे मुख्यतः छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अदिवासी हैं तथा निरहि और गरीब हैं। एक सहकारी समिति बनाकर उन्हें संगठित क्यों नहीं किया जाता है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें न्यूनतम वेतन मिले तथा उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाया जाये। जहां कही स्थायी रुप है वहां सरकार को संविद श्रमिक प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिये।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उन्हें न्यूनतम वेतन मिले और उनके लिए रोज़गार भी सुनिश्चित किया जाये और उसका मशीनीकरण नहीं होना चाहिये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मुझे आशा है कि इस आधे घंटे की चर्चा के फलस्वरुप इस मामले की ओर तुरंत ध्यान दिया जाना सम्भव हो जायेगा। यह मेरी आम शिकायत है कि प्रश्न कुछ होता है और मंत्री लोग उत्तर कुछ और ही देते हैं।

मैं यह बात सभा की सूचना में लाना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर प्रासंगिक नहीं होते और हर प्रश्न के बारे आधे घंटे की चर्चा करने का अवसर नही मिल सकता। उत्तर प्रासंगिक तथा उचित होने चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या गैर सरकारी ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्रों या खातों में भी संविद श्रमिकों का शोषण होता है। यदि ऐसा है तो सरकार इसका क्या समाधान करने जा रही है।

श्रमिकों को स्थायी रुप से रोजगार पर क्यों नहीं लगाया जाता। डाक-तार विभाग तथा रेलवे में भी इस प्रकार का शोषण हो रहा है। उन मंत्रालयों में भी श्रमिकों का शोषण समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसात) : सरकारी तथा और गैर सरकारी क्षेत्रों में लाखों संविद श्रमिक काम कर रहे हैं। संविद श्रमिकों की समस्या पर ब्रिटिश सरकार के समय से विचार किया जाता आ रहा है। सन 1920 के आसपास विकली आयोग ने संविद श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की थी। बाद में रागे समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। इन सब बातों के बावजूद भी 1970 में संविद श्रमिक विनियमन तथा उत्पादन अधिनियम पास किया गया। सरकारी क्षेत्र में इस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन ठेकेदारों के पास लाईसैंस होते हैं?

सरकारी क्षेत्र में कम से कम यह प्रणाली समाप्त हो जानी चाहिये।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : यह मामला अनेक बार सभा में उठाया जा चुका है और पहली लोक सभा में भी मैंने इसे उठाया था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लाखों मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन को कोई सुरक्षा प्रदान नही की जाती। उनके जीवन का कोई बाकि नहीं होता। यह एक तरह से बंधक मजदूर प्रणाली है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आप इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाने जा रहे है, मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : संविद श्रमिकों का प्रश्न बहुत ही महत्व-पूर्ण है। इस देश में संविदा श्रमिक का कौन प्रयोग नही करता है? मकान बनाने वाला भी ठेका श्रमिक का प्रयोग करता है। राज्य सरकार नगर निगम सहकारी समितियों आदि आदि सभी इसका प्रयोग करते हैं।

खानों में पिछले 15 वर्ष से काम हो रहा है। इस्पात की प्रौद्योगिकी बदल गई है। अब लम्पों की जगह कटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है तथा अन्य कई लाभ होते हैं।

संविद श्रमिक का मामला मेरे ध्यान में है। मुझे इसमें कहां तक सफलता मिलेगी, यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन संविद श्रम की समस्या राष्ट्रीय के प्रश्न है। मुझे आशा है, सदन में इसका कुछ हल निकल आयेगा ताकि समूचे राष्ट्र से सदा के लिये कलंक दूर हो जाये।

पहली सरकार ने क्या किया यह तो मुझे मालुम नहीं लेकिन उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों से बंधुआ मजदूर प्रणाली समाप्त करने का दावा अवश्य किया था। लेकिन हम देखते हैं सम्पूर्ण

[श्री बीजू पटनायक]

देश बंधुओं मज़दूर के सिवाय और कुछ नहीं है। संविदा श्रमिकों को चायबागानों पर ले जाया जाता है। वास्तव में आसाम के चाय-बागानों का उन्हीं से विकास होता है। ये श्रमिक तो देश से बाहर भी ले जाये जाते हैं।

संविदा श्रम नियमन एवं उत्पादन अधिनियम की धारा 10 का उल्लेख किया गया है। इस मामले का निर्धारण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है और वह अपना प्रतिवेदन अगले महीने में प्रस्तुत कर देंगी। लेकिन उस प्रतिवेदन का क्या लाभ होगा? हम उसे कैसे कार्यान्वित करेंगे? हम स्वीकृति कैसे देंगे? धन कहां से आयेगा? इन सभी प्रश्नों पर सदन में गम्भीरता से वादविवाद होना चाहिये। यदि हम मज़दूरों को थोड़ा भी आराम देना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में दृढ़ नीति बनानी होगी।

इसके बाद लोकसभा शुक्रवार, 5 अगस्त, 1977/14 श्रावण, 1899(शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 5th August, 1977/Sravana 14, 1899 (saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 1—248 लोक लभा 77—2-12-77—200.